अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

वर्ष-10 अंक-3 (कुल अंक 110) मई 2018

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 ISSN-0975-4431

संपादकीय कार्यालय: 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड,
भोपाल-462041 (म.प्र.) दूरभाष: 09300279796, 09425704990
Email : naveensamajikshodh@yahoo.com
Website : www.naveensamajikshodh.com

संस्थापक प्रधान सम्पादक
स्व.डॉ.जी.सी. सक्सेना

❖

प्रधान सम्पादक
राजेन्द्र सक्सेना

❖

प्रबंध संपादक
अभिजीत सक्सेना

❖

संपादक
श्रीमती सविता सक्सेना

❖

उपसंपादक
डॉ.संजय अग्रवाल (चिकित्सक)
डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)
डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

❖

वरिष्ठ शोध अधिकारी
डॉ. अनुपमा सुरेश

❖

शोध अधिकारी
डॉ. ममता दुबे ग्वालियर

❖

सलाहकार संपादक
राजेश सक्सेना

❖

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय: (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक
पो.बॉ. नं. 361, पोस्टल कोड नं. 319, सहम सुलतानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा (अर्थशास्त्री)
प्रोफेसर इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिंग,स्काईलाईन,युनिवर्सिटी शारजाह यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर
111, शेख रसीद बिल्डिंग, शेख जायद रोड, यू.ए.ई. दुबई

4. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

5. डॉ. प्रिन्स डेविड दंत चिकित्सक
11, अेलब्रेस्ट एवेन्यू, माउंट रास्किल, ओकलैण्ड 1041, न्यूजीलैण्ड

6. श्री सजग चतुर्वेदी, स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी थाईलैण्ड

7. श्रीमती ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

8. श्रीमती प्रतिभा, कनाडा

सहयोग राशि - देश में: साधारण अंक 50/-वार्षिक: 500/-
आजीवन सदस्यता: 5000/
विदेशों में: साधारण अंक: 9 डॉलर, वार्षिक: 90 डॉलर
सारे भुगतान (मनीआर्डर/चैक/ड्रॉफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से किए जावेंगे।
चैक से भुगतान करने पर रू. 30-अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक-राजेन्द्र सक्सेना द्वारा एम.आई.आफसेट वर्क्स, 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल-8 द्वारा मुद्रित एवं 25, रूपनगर कालोनी, जे.के. रोड, भोपाल-462023 (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक-श्रीमती सविता सक्सेना

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं हे। हमारा संपादक मंडल पूर्णत अवैतनिक एवं अव्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में

1. सरकार में विपक्ष की भूमिका.....डॉ. अनुपमा रावत - 6
2. शिक्षा छोड़ते बच्चे.....राममणि द्विवेदी - 11
3. औद्योगीकरण और बाल श्रमिक.....डॉ. नीलिमा चटर्जी - 15
4. तेजी से पलायन श्रमिक शहर की और.....डॉ. इन्दिरा बर्मन - 20
5. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक अध्ययन.....श्री हरीराम - 24
6. मध्यप्रदेश के पत्रकारों की सामाजिक आर्थिक दशा.....अनवर खान मंसूरी - 32
7. गोंड जनजाति में गतिशिलता (सामाजिक पहल).....श्रीमती अंजली गढ़वाल - 42
8. जहाँक़दर चुग़ताई के गीत.....डॉ. कु. मुबश्शिरह अरह अंसारी - 49
9. जहाँक़दर चुग़ताई के बच्चों की नज़में.....डॉ. कु. मुबश्शिरह अरह अंसारी - 54
10. उर्दू, अरबी, फारसी ज़बान का बाहम रिश्ता.....डॉ. कु. मुबश्शिरह अरह अंसारी - 60
11. शासकीय प्राथमिक शालाओं में नामांकन में गिरावट .....पवन कुमार शर्मा - 64
12. कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का गणित विषय .....प्रतिभा जायसवाल - 69
13. Study of Common Mistakes in Mathematics.....Dr. Ashwani Kumar Garg - 74
14. Developement and synthesis .....Santosh Kumar Dakhle - 85
15. Cyclisation of 1-(2-Hydroxyphenyl)-2.....Santosh Kumar Dakhle 89
16. Improvement in HPLC method for .....SubhashRam Dawar 93
17. Improvement of purification in HPLC.....SubhashRam Dawar 97
18. मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं की राज्य की राजनीति.....तबस्सुम 101

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान,** पूर्व कुलपति, बरकतुल्लाह एवं भोज विश्वविद्यालय, भोपाल-म.प्र. । फोनः 0755-2424777

- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना,** पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर म.प्र. । फोनः 0755-2628055

- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव,**
  पूर्व कुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-म.प्र. ।

- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह,** सदस्य, सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा) भारत सरकार । मो. 9425028689

- **एम.आर.एम. श्रीवास्तव,** पूर्व प्राचार्य मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश । मो. 9826286410

संपादक मंडल

- **प्रो. संजय एस. अग्रवाल,** विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- **प्रो. अलका डेविड, विभागाध्यक्ष,** गृह विज्ञान, शा.सरोजनी नायडू कालेज,
- **प्रो. अरविंद चौहान,** बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- **प्रो.आर.शंकर,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचरापल्ली-तमिलनाडु (620024)।
- **प्रो.परवेज अहमद अब्बासी,** विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय सूरत गुजरात,।
- **प्रो.डॉ. कामिनी जैन,** प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, पिपरिया
- **प्रो. आभा चौहान,** विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, जे.एण्ड के.।
- **डॉ. वंदना बक्शी,** सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड, भोपाल।
- डॉ. दिनेश परमार, अनुवांशिकी विभाग, ब.वि., भोपाल।
- डॉ. आरती श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नसरूल्लागंज।
- डॉ.जितेन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट,
- जी.जी.डी.एस.डी. (पीजी) कालेज, पलवल।
- डॉ. अनुपमा सुरेश, सहायक प्राध्यापक, भेल कॉलेज, भोपाल।
- डॉ. विपिन व्यास, व्याख्याता, बायोसाइंस, ब.वि., भोपाल।
- श्री अजय बिसारिया,व्याख्याता, हिंदी विभाग, अ.मु.वि.,अलीगढ़-उ.प्र.।
- डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा, विभागाध्यक्ष गणित बेनजीर कॉलेज, म.प्र.
- डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ
- इंजि. रोहन गुप्ता, एम-2/5, बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल
- डॉ. अमित कुल्हार, जिला पंचायत भोपाल
- फ़रह ज़िया, हिंदी विभाग अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़।
- तनवीर कुरैशी, नवीन सामाजिक शोध, भोपाल।

सम्पादकीय

कविवर रबीन्द्रनाथ टैगोर ने ताजमहल का अमलिन, श्रांति-क्लान्तिहीन, सौन्दर्यदूत कहकर अभिनंदन किया है। अंग्रेजी के रोमांटिक कवि जॉन कीट्स ने कहा है—'अ थिंग ऑफ़ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर।' सुन्दरता के सिरमौर इसी अमलिन ताज की सुकोमल, धवल, सुच्चिकण काया बीमार हो रही है। धुएं और धूल से उसका रंग काफी समय से पीला हो रहा था, लेकिन कई जगह अब हरा भी नजर आने लगा है। फफूंदी और हरे कीड़े उसकी निष्कलंक देह पर आ चिपके हैं। दीवारों पर जगह-जगह शैवाल (काई) उग आई है। ताजमहल मुहब्बत का मुकाम है। वह संगमरमर में समाया हुआ हसीन ख्वाब है। जहान में भला ऐसा कौन है जो इश्क से इनकार कर सके! आसमान में सिर ऊंचा करके बुलंद मीनारें कभी खत्म न होने वाली इनसानी उल्फत का पैगाम देती हैं। उसकी चाहत तमाम मजहबी रुकावटों से परे है। आज वह बेहाल है तो जाहिर है, यह सारी दुनिया के लिए फिक्र की जरूरी वजह है। अगर अदालत खीझती है तो वह जायज और मुनासिब है। पुरातत्व विभाग ने कहा कि यमुना में पानी न के बराबर रह गया है और गंदगी बेशुमार है। ताजमहल की दीवारों पर कीड़े इसी वजह से हैं क्योंकि पहले मछलियां इन कीड़ों को खा लेती थीं तो अदालत ने पूछा कि क्या ये कीड़े उड़कर या सीढ़ियां चढ़कर वहां पहुंच गए? पत्थरों पर लगी काई को लेकर भी सवाल किया गया और विभाग के वकील ने जवाब में कहा कि नदी में पानी की कमी होगी तो यह समस्या बनी रहेगी। इस पर बिफर कर जजों ने पूछा कि क्या काई उड़ सकती है और फिर खुद ही जवाब दिया कि 'अगर आपने (पुरातत्व विभाग) अपने काम को सही तरीके से अंजाम दिया होता तो ऐसे हालात नहीं होते।' मकबरे की रंगत बदलने की वजह भी कुछ इसी तरह बताई गई। विभाग के वकील ने कहा 'एक तो बहुत बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं और दूसरे उनके मोज़े गंदे होने के कारण यह परेशानी है।' इस पर अदालत ने यहां तक कह दिया कि क्यों न पुरातत्व विभाग से देखभाल का काम छीन लिया जाए? उसने सरकार से कहा कि वह विदेशी विशेषज्ञों को यह जिम्मेदारी सौंपने पर विचार करे।ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहर का शक्ल और सूरत में बिना बदलाव रखरखाव आसान बात नहीं है। यह बड़ी चुनौती है, इसके लिए खास तौर से माहिर लोगों की मदद, पक्का इरादा, कल्पना शक्ति एक साथ चाहिए। अदालत ने 157 साल से इस स्मारक का रखरखाव कर रहे पुरातत्व विभाग को उचित ही फटकार लगाई है, लेकिन क्या निजी हाथों में उसकी उचित देखभाल मुमकिन होगी। दिल्ली का लाल किला निजी हाथों में सौंपा जा चुका है और अब ताजमहल को देने की तैयारी चल रही है। दो बार पहले भी ऐसी कवायद की जा चुकी है, जब टाटा समूह ने यह जिम्मेदारी सम्भाली थी, लेकिन नाकामी हाथ लगी। आखिर क्या वजह है कि चार सदी से हमारी कला, संस्कृति और इतिहास की पहचान बनकर खड़ी एक बेमिसाल धरोहर के पाषाण हाहाकार कर रहे हैं। देश में आने वाले सैलानियों का पहला मुकाम ताजमहल होता है। सरकार उससे भरपूर राजस्व कमाती है और एक पूरा शहर रोजी-रोटी के लिए उस पर निर्भर है। तब भी क्या हम उसे सहेज पाने में समर्थ नहीं हैं।

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

सरकार में विपक्ष की भूमिका

डॉ. अनुपमा रावत
प्राचार्य
इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी कॉलेज, खानू गांव, भोपाल

भारतवर्ष के निर्माण के समय, यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु संविधान सभा द्वारा संसद का प्रस्ताव रखा गया, जो की हर देश में होती है नीतिगत फैसलों के लिए! हमारी संसद भी विश्व की सर्वाधिक मजबूत, शशक्त व निर्णायक सांसदों में से एक है ! ये संसद जिसमे भारत की जनता का जनता द्वारा चुने गयी प्रतिनिधि , प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ अहम् मुद्दों पर बहस करते हैं, और जो बातें जनता के हित में होती हैं उनके लिए आवश्यक कानून या प्रस्ताव पारित करते हैं

परन्तु पिछले कुछ समय से ये एक प्रचलन बन गया है बहस चाहे कितनी भी हो, मुद्दे वही पारित होंगे जो सरकार चाहेगी

जो पार्टियाँ सत्ता में होती हैं , वो ते सोचती हैं की जनता ने उन्हें सरकार बनाने के लिए चुन कर भेजा है तो वो अब देश के विधाता बन गए हैं इन्हें जरा भी परवाह नही होती की विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, वो भी जनता द्वारा ही चुन कर आये हैं, और जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फर्क बस कुछ सीटों का है या बहुमत का है कुछ सरकारें तो अपने निजी स्वार्थ या अपनी महत्ता सिद्ध करने के उद्देश्य से निराधार कानूनों में संसोधन या नए नियम पारित कराती हैं कोई सरकार आती है तो टाडा कानून लाती है , तो दूसरी सरकार पोटा विधेयक ! फिर जब पहली सरकार आती है तो वो पोटा समाप्त करती है इसमें जनता के हित का कितना ध्यान रखा जाता है ये तो मेरी समझ से परे है, हां अनावश्यक रूप से बार बार नियमो में संसोधन व बहसबाजी से देश का कितना पैसा व समय ये प्रतिनिधि बर्बाद करते हैं ये एक अँधा व्यक्ति भी आंकलन कर सकता है और ये तय है की जब दुबारा से फिर कभी विपक्ष सत्ता पक्ष में आएगा तो इन मुद्दों पे फिर से बहस होगी और संसोधन या निरस्त किये जाएँगे पुराने कानून।

क्यों न एक ही बार कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे की बार बार इन नियमो में संसोधन या निरस्तीकरण का अधिकार किसी स्थायी समिति के हाथो में आ जाए हाँ हमारी संसद प्रस्ताव रख सकती हो, लेकिन निर्णय दोनों पक्षों की सहमती तथा जनता के हितों को ध्यान में रख कर हो कानून बनाने की स्थायी समिति हर एक चीज का अध्ययन करे तथा जो सुझाव उसके हो उन पर बहस कर सकते हैं परन्तु ऐसी निरर्थक बहस नहीं होनी चाहिए की रोज रोज संसद स्थगित करनी पड़े हमेशा ऐसा नही होना चाहिए की आप सत्ता पक्ष में हैं तो विपक्ष की हर बात से बैर मन के बैठ जाए सुने उनकी

बात और देश हित में विचार करे न की स्वहित में लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में बहुमतवाला दल शासन सँभालता है, अन्य दलों के सदस्य सत्तारूढ़ दल के कार्यकलापों की आलोचना करते हैं। सरकार बनने के बाद जो दल शेष बचते हैं, उनमें सबसे अधिक सदस्योंवाले दल को 'विरोधी दल' कहा जाता है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्य अपने दल की आलोचना प्रायः नहीं करते, परंतु विपक्ष बिना किसी भय के सत्तारूढ़ दल की कमियों पर प्रकाश डालता है। समय-समय पर काम रोको प्रस्ताव, मत-विभाजन की माँग और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा सरकार के कार्यों में रुकावट पैदा करता है ।

इन सबका उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यों के औचित्य-अनौचित्य के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करना होता है । यह कथन सत्य है, 'प्रतिपक्ष अंधी सरकार की आँख' है । प्रतिपक्ष की इस भूमिका से सरकार शासन में मनमाना नहीं कर पाती । विपक्ष की आलोचना की अनदेखी करने से जनता के सम्मुख सरकार की छवि बिगड़ने का डर बना रहता है ।

अतः सरकार प्रत्येक विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व विपक्ष के रुख पर विचार करती है । इस प्रकार प्रतिपक्ष सरकार की अंधी चाल पर अंकुश लगाता है । जैसे सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली राष्ट्रहित से प्रेरित होनी चाहिए ठीक उसी प्रकार प्रतिपक्ष की आलोचना का लक्ष्य भी राष्ट्रहित होना चाहिए ।

वस्तुतः विरोधी दल सत्तारूढ़ दल के कार्यों का पूरक है, न कि जानी दुश्मन । भारतीय संसद् में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जबकि विपक्षी दल की रचनात्मक आलोचना के कारण सरकार ने अपने विधेयक को स्वयं वापस ले लिया है । जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, परंतु संभव है कि वह ठीक न हो और विरोधी जो कह रहा है, वह ठीक हो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का यही आदर्श है ।

कभी-कभी यह देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल सत्ता के मद में इतना चूर हो जाता है कि वह 'अधिनायकवादी' बन जाता है । ऐसी विकट परिस्थिति में प्रतिपक्ष अपनी तीव्र आलोचना से देश को अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से बचाता है ।

कभी किसी मामले के संबंध में सरकार की जानकारी अधूरी रहती है और प्रतिपक्ष सत्य की गहराई तक पहुँचकर सदन में रहस्योद्?घाटन करता है । इससे सरकार को अपनी भूल सुधारने का मौका मिलता है । इस प्रकार संसदीय प्रणाली में प्रतिपक्ष की भूमिका का महत्त्व निर्विवाद है ।

भारत में प्रारंभकाल में विपक्ष प्रबल नहीं था । सन् 1956 में केवल तीन मान्य विरोधी दल थे-साम्यवादी दल, समाजवादी दल और भारतीय जनसंघ । शनै-शनै विपक्षी दलों की संख्या बढ़ती गई, जैसे-लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डी.एम.के. ए.डी.एम.के. जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी आदि ।

जनता सरकार के अल्प कालावधि को छोड़ आरंभ से आज तक केंद्र में कांग्रेस का ही शासन रहा है और अन्य दल विपक्षी दलों की भूमिका निभाते रहे हैं । भारतीय संसद् का सौभाग्य रहा कि विपक्षी दलों में डी. राममनोहर लोहिया, भूपेश गुप्त, एच.बी, कॉमथ जैसे उच्च कोटि के सांसद रहे, जिन्होंने समय-समय पर सरकार की आँखें खोलने के साथ ही जनता-जनार्दन को भी जाग्रत् किया था ।

मगर आज की स्थिति इसके विपरीत है, विपक्षी दलों में वैचारिक भिन्नता बढ़ गई है । प्रतिपक्ष की भूमिका निभानेवाले दलों में वैचारिक एकता का अभाव है । जो भी हो, कुल मिलाकर भारतीय संसद् में प्रतिपक्षीय दल की भूमिका ही उचित

रही है ।

कांग्रेस पार्टी के आपातकालीन शासन के विरुद्ध विपक्षी दलों का मोरचा देश-हित में सफल रहा था । लोकतंत्र की सफलता के लिए पक्ष और विपक्ष, दोनों को समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । पक्ष और विपक्ष को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए न कि विरोधी। विपक्षी दलों को चाहिए कि वे लोकहित को सर्वोपरि मानकर सत्तारूढ दल को सही दिशा में अग्रसर करें तथा पक्ष को भी चाहिए कि प्रतिपक्ष के सुझावों का सम्मान करे ।

अभी भारत में लोकतंत्र युवावस्था में है। दलों की भीड़- भाड़ लोकतंत्र के स्वस्थ विकास का लक्षण नहीं है। दलों के सिद्धांतों में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, धर्म-जाति-संस्कार होना दुर्भाग्यपूर्ण है । दीर्घकाल से शासन पर काबिज रहने के कारण कांग्रेस पार्टी में भी शिथिल प्रवृत्तियों का प्रवेश हो चुका है । ऐसी दुर्व्यवस्था में मजबूत विपक्षी दल ही राष्ट्र का हितचिंतक बन सकता है ।

क्या लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना सरकार का होना? किसी काम को पूरा करने की जवाबदेही तो सरकार की होती है, तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत है? क्या विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की हर नीति का विरोध करना है।

सारे कार्यों पर निगरानी

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता इस देश की असली मालिक होती है जिसे बहुत सारे सेवकों की जरूरत होती है। वैसे तो बहुत सारे वेतनभोगी सेवक सरकारी अफसर व कर्मचारी के रूप में उनकी सेवा करने तथा उन्हें हर जरूरी सुविधा देने के लिये स्थायी रूप से अपनी पूर्णकालिक सेवा दे ही रहे हैं परन्तु उन स्थायी सेवकों से पूरी सेवा प्राप्त करने तथा उनकी गलतियों पर नजर रखने के लिये जनता अलग से अपने प्रतिनिधियों (सेवकों) का 5 साल के लिये चयन करती है जो जन प्रतिनिधि कहलाते हैं।

इस तरह से जनता द्वारा चुने गये ये जनता के प्रतिनिधि आपस में दो समूहों में बंटे होते हैं। एक बड़ा समूह जिनके पास आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन होता है, वह सत्ताधारी समूह या दल कहलाता है जबकि बाकी बचे सदस्य व दल दूसरे समूह (सरकार विरोधी समूह) में होते हैं। इस समूह के दल व सदस्यों को विरोधी दल का कहा जाता है।

पहला समूह बहुमत में होने के कारण सरकार बनाता है। इस समूह में कभी एक दल या कभी अलग-अलग दल एक साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पूरा करते हैं। इस समूह का जो नेता होता है, वह केंद्र में प्रधानमंत्री तथा राज्य में मुख्यमंत्री बन जाता है जो अपनी सरकार का मुखिया कहलाता है।

इसके अलावा सरकार के विभिन्न विभागों के संचालन के लिए अलग-अलग मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं। ये सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के प्रति सरकार की ओर से पूरा जवाबदेह होते हैं। अपने विभागीय अफसरों या कर्मचारियों के सहयोग से अपने विभाग का सफलतापूर्वक संचालन करना इनकी जिम्मेवारी होती है।

इसके अलावा दूसरा समूह है जो सत्ता से अलग होता है। इस समूह में आने वाली सारी पार्टियां विपक्षी पार्टियों के नाम से जानी जाती है। ये सरकार के सारे कार्यों पर निगगरानी रखती है, समीक्षा करती हैं तथा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करती हैं।

जनहित सर्वोपरि

कई बार सरकार द्वारा ऐसा कार्य भी किया जाता है या निर्णय लिया जाता है तो जनता के हितों के अनुरूप नहीं होता। ऐसे में विपक्ष द्वारा चुप रह जाना एक तरह से सरकार का मौन समर्थन करना होता है। फिर देश के असली मालिक जनता की अदालत में दोनों ही बराबर के गुनहगार माने जाते हैं क्योंकि सरकार के किसी भी गलत निर्णय का विरोध करना उनका नैतिक कर्तव्य है।

जनप्रतिनिधियों के इन दोनों समूहों को जनता द्वारा अलग-अलग तरह की जिम्मेवारी दी गयी है। आम जनता की सारी सुख सुविधाओं तथा जरूरतों का ध्यान रखना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देश की गरिमा को कायम रखना सरकार की जवाबदेही है जबकि विपक्ष का काम सरकार को ऐसा करने से रोकना जो जनता के हित में अनुकूल न हो तथा विश्व मंच पर हमारे देश की मर्यादा को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाये। साथ ही सरकार को अपना कोई भी फैसला लेते समय इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिये कि उनके इस फैसले का देश की आम जनता पर अच्छे और बुरे असर क्या-क्या हो सकते हैं जबकि विपक्ष का काम सरकार के किसी गलत निर्णय से होने वाले दुष्परिणामों से सरकार तथा आम जनता दोनों को आगाह करना है।

अगर इसके बावजूद सरकार अपना अड़ियल रूख छोड़ने को तैयार न हो तो विपक्ष सदन के भीतर और बाहर अपना विरोध प्रकट कर सकता है। विपक्ष को यह अधिकार है कि अगर सरकार जनहित की भावनाओं को अनदेखी करते हुए कोई नीतिगत फैसला लेती है तो वह सदन में सरकार से उस पर बहस की मांग कर सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सरकार को रोकने के लिये सदन के भीतर कार्य-स्थगन प्रस्ताव ला सकता है।

इसके अलावा विश्व लोकतांत्रिक तरीके से जन-जागरुकता अभियान चलाकर आम जनता को सरकार की सच्चाई बताकर उसे सरकार के विरुध्द खड़ा कर सकता है। विपक्ष चाहे तो धरना, प्रदर्शन, घेराव आदि के माध्यम से सरकार के विरुध्द जन-आंदोलन चला सकता है। इस तरह से वह सरकार को अपना जन-विरोधी निर्णय वापस लेने के लिये मजबूर कर सकता है।

सरकार के साथ हुई बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। सरकार अपने कई फैसले मजबूरी में लेती है परन्तु विपक्ष कभी मजबूर नहीं होता। उसे अपनी सत्ता हाथ से जाने या अपने किसी सहयोगी दलों या नेताओं के नाराज होने का कोई डर नहीं रहता, इसलिए उसे जनहित में बोलने से कोई रोक नहीं सकता।

सरकार कई बार अपने किसी स्वार्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखा करके भी कोई निर्णय लेना चाहती है परन्तु विपक्ष ऐसे समय में चुप नहीं बैठ सकता। वह सरकार को रोकने के लिये हर संभव कोशिश कर सकता है क्योंकि वह मजबूर नहीं है और ऐसा करके वह अपने मालिक यानी जनता द्वारा सौंपी गयी विपक्ष के रूप में मिली अपनी जवाबदेही को निभाकर अपने कर्तव्यों का सही अर्थों में पालन कर सकता है। ऐसा करना उसका नैतिक कर्तव्य है।

परन्तु इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि विपक्ष का काम सरकार के सही गलत सभी फैसले का सिर्फ विरोध करना है। अगर सरकार कोई ऐसा काम करना चाहती है जो जनता के हितों के अनुरूप है तो ऐसे समय में विपक्ष को उसका विरोध करने के बजाय सहयोगात्मक रूख अपनाना चाहिये। इस तरह से वह एक आदर्श विपक्ष की परंपरा को कायम कर सकती है।

देश की आम जनता अब काफी समझदार हो चुकी है और 5 साल बाद यह बाजी फिर से उसी के हाथों में होती है। वह

सरकार और विपक्ष दोनों किरदारों के अभिनय का सही से मूल्यांकन कर फिर तय करती है कि कौन से किरदार वास्तव में किस लायक हैं या किसी नये किरदारों को आगे आने के अवसर दिया जाय।

सन्दर्भ

"Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977. Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India. Archived from the original on 16 January 2010. https://web.archive.org/web/20100116211914/http://mpa.nic.in/actopp.htm. अभिगमन तिथि 1 October 2012.

Parliament Of India. Legislativebodiesinindia.nic.in. Retrieved on 2014-05-21.

http://www.thehindu.com/news/national/new-house-cannot-have-opposition-leader/article6034355.ecz

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

शिक्षा छोड़ते बच्चे

राममणि द्विवेदी (शिक्षा संकाय)
प्राचार्य काल्याणिक केन्द्रीय शिक्षा निकेतन महाविद्यालय अमरकंटक,
जिला अनूपपुर

शिक्षा का अधिकार कानून के बनने और मिड-डे मील योजना के लागू होने के बाद भी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग दो तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं।

बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में हर साल अलग-अलग कारणों से तकरीबन 8 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। वहीं बहुत से बच्चे अपनी प्राथमिक स्तरर की पढाई पूरी नहीं कर पाते हैं.

भारत सरकार एक नयी शिक्षा नीति लाने का प्रयास कर रही है जिसमे वंचित समुदाय के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये जायेंगे। मगर इसमें किसी समुचित मॉनिटरिंग मेकनिज़्म का न होना भी एक अन्य चिंताजनक तथ्य है। मानवाधिकार पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था हयूमन राइट्स वॉच की सन 2015 में आयी रिपोर्ट मिलियंस ऑफ़ इंडियन चिल्ड्रन डिनाइड स्कूल एजुकेशन ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव के कारन शिक्षा से वंचित लाखों भारतीय बच्चे) भारत में व्याप्त विषमता और उससे होने वाली मुश्किलों पर प्रकाश डालती है।

जातिगत भेदभाव की चुनौती

यह रिपोर्ट बताती है कि पटना की दस साल की मुसहर लड़की मधु को जाति के कारण स्कूल से निकाल दिया गया. इस घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयो ने मधु समेत पचास अन्य दलित बच्चों को पड़ोस के सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलवाया।

रिपोर्ट आगे कहती है कि सरकार द्वारा केवल यह सुनिश्चित करना कि सभी को शिक्षा मिल सके पर्याप्त नहीं है। वंचित समुदायों से आने वाले बच्चों को स्कूल में रखने और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के प्रयास किये जाने चाहिए।

शिक्षा में शून्य भेदभाव का लक्ष्य

शक्षा में शून्य-भेदभाव की बात करती है। नई शिक्षा नीति में दिव्यांग बच्चों पर और ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, शिक्षा का उद्देश्य लर्निंग ऑउटकम तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

सरकार को सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सतत प्रयास करने की जरुरत है. ताकि मधु जैसे तमाम बच्चे अपने सपनो को साकार कर सकें।

आशीष और एलेक्सी का कहना है कि इस समय भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है जो भविष्य में एक नए आयुवर्ग में प्रवेश करेंगे, जिसके कुछ अन्य आयाम और चुनौतियाँ होंगी। ऐसे में उन चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देने की जरूरत

आने वाले समय में भी बनी रहेगी।

प्राइमरी शिक्षा में दाखिले को लेकर भारत का आंकड़ा बेशक सुनहरा है लेकिन आगे चलकर यही आंकड़ें बदरंग हो जाते हैं. यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है कि पांचवी के बाद बच्चे तेजी से स्कूल छोड़ रहे हैं

भारत सरकार के अपने आंकड़े भी कमोबेश यही बताते हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की रिपोर्टें भी बताती हैं कि शैक्षिक ढांचे में ऐसी कई गड़बड़ियां निहित हैं जो हालात सुधरने नहीं देतीं. संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक मामलो की एजेंसी यूनेस्को के सांख्यिकीय कार्यालय और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के एक ताजा संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि भारत में करीब पांच करोड़ बच्चे अपर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं. यानी छठी, सातवीं और आठवीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते. वैश्विक स्तर पर, स्कूल से वंचित रह जाने वाले किशोरों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है.

2014 में यूनेस्को की रिपोर्ट ने भारत को सबसे निरक्षर देश आंका था. 2015 में देश का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) महज साढ़े 23 प्रतिशत था जबकि साक्षरता दर थी 74 फीसदी से ज्यादा. देश में प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर की शिक्षा पर अपने शोध, अध्ययन और सर्वे के लिए मशहूर संस्था प्रथम की 2014 की सालाना शिक्षा रिपोर्ट बताती है कि भले ही 96.7 फीसदी बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया हुआ है, उनमें से 71 फीसदी जाते भी हैं लेकिन बच्चो का शैक्षणिक स्तर भी सोचनीय पाया गया. यानी दाखिले और एनरोलमेंट तो भरपूर हैं लेकिन शिक्षा का स्तर कमजोर है.

एनसीपीसीआर के एक अध्ययन में यह कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में संवाद, पाठ्यक्रम से अतिरिक्त गतिविधियों में खर्च एवं शिक्षा व्यय पर बेतहाशा खर्च ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके चलते दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूहों के छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।

दिल्ली के निजी स्कूलों में वंचित वर्गों से बच्चों के दाखिले से संबंधित शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 की धारा 12 (1) (सी) के क्रियान्वयन पर अध्ययन में यह भी पाया गया कि वर्ष 2011 में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्र करीब 26 प्रतिशत थे जो वर्ष 2014 में गिरकर 10 प्रतिशत हुआ था। आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की जवाबदेही तय करती है। इसके अनुसार ऐसे स्कूलों को कक्षा एक या पूर्व स्कूली शिक्षा में छात्रों की कुल क्षमता के कम से कम एक चौथाई हिस्से में ऐसे वर्ग के छात्रों को दाखिला देना होता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, विशेषकर शुरुआती कक्षा अर्थात प्राथमिक एवं पूर्व-प्राथमिक स्तर की कक्षा में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर अधिक होता है। भारत में बाल अधिकार संरक्षण की शीर्ष संस्था का यह अध्ययन समूची दिल्ली के 650 स्कूलों द्वारा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के विषय में दिए गए वर्षवार आंकड़े पर आधारित था।

अध्ययन में कहा गया, अभिभावकों का दावा है कि किताबें एवं पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों का खर्च बहुत अधिक होता है जिसके चलते वे स्कूल छोड़ देते हैं। एनसीपीसीआर ने यह भी सुझाव दिया कि जहां तक संभव हो बच्चों को पढ़ाने का माध्यम उनकी मातृभाषा होनी चाहिए।

क्या उच्च शिक्षा केवल अमीरों के लिए?

भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के और भी ज्यादा उत्कृष्ट संस्थान शुरू करने की घोषणा की है. आईआईएम जैसे प्रबंधन संस्थानों के केन्द्र जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम में भी खुलने हैं. लेकिन बुनियादी ढांचे और फैकल्टी की कमी की चुनौतियां हैं. यहां सीट मिल भी जाए तो फीस काफी ऊंची है.

जाहिर है इसके जिम्मेदार बच्चे अकेले नहीं है. और यही तस्वीर जब रोजगार में लगे युवकों तक पहुंचती है तो वहां भी आंकड़े डराने वाले ही हैं. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक तीस लाख स्नातकों में से सिर्फ पांच लाख ही नौकरी करने लायक होते हैं. यानी बाकी युवाओं में नौकरी के लायक गुणवत्ता या कौशल का अभाव पाया गया है. खतरे वाली बात ये है कि ये आत्मसम्मान और गरिमा भी छीन रही है. बुनियादी कौशल से वंचित शिक्षा एक कमजोर दयनीय नागरिक पैदा करती है.

सार्वभौम शिक्षा के लिए ड्रॉपआउट एक अहम चुनौती है. ये भी एक अनिवार्यता है कि बच्चों की शिक्षा बहाल रखी जा सके. वे दाखिले के बाद स्कूल न छोड़ दें. इस मामले में पांचवीं कक्षा और पहली कक्षा के छात्रों का अनुपात एक अहम सूचकांक है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2013 में 88 फीसदी से सुधर कर 2014 में 93 फीसदी तो हो गया लेकिन अभी भी स्थिति उत्साहजनक नहीं कही जा सकती है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्वे में बताया गया है कि प्राइमरी कक्षाओं में सालाना ड्रॉपआउट दर करीब पांच फीसदी है जबकि अपर प्राइमरी कक्षाओं में ये दर तीन फीसदी से कुछ ज्यादा है. लेकिन प्राइमरी में ये दर 2013 में साढ़े पांच फीसदी थी और इसके बरक्स अपर प्राइमरी में 2013 में ड्रॉपआउट दर ढाई फीसदी से कुछ ज्यादा थी. इसका अर्थ ये हुआ कि अपर प्राइमरी में स्कूल छोड़ने की दर बढ़ रही है.

चीन के शिचुआन प्रांत के अतुलेर गांव का एक स्कूल शायद दुनिया का सबसे खतरनाक स्कूल है. हर दिन बच्चों को बेहद कड़ी 800 मीटर की चढ़ाई चढ़ स्कूल जाना पड़ता है, वापसी में इसी रास्ते से नीचे भी उतरना पड़ता है.

ऐसा क्यों हो रहा है जबकि भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ी हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2003 से 2014 के बीच करीब दो लाख प्राइमरी स्कूल खुले हैं जो भारत में कुल प्राइमरी स्कूलों का करीब साढ़े 24 फीसदी हैं. इनमें से 95 फीसदी स्कूलों की अपनी इमारत भी है. लेकिन ये इमारतें किस हाल में हैं, वहां की दीवारों, कक्षों, दरवाजों, खिड़कियों, शौचालयों की क्या स्थिति है- ये भी देखा जाना चाहिए. स्कूलों का बुनियादी ढांचा चरमराया हुआ है. क्लासरूम से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह छेद ही छेद हैं. बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर जैसी व्यवस्थाएं कहीं सही हैं तो कहीं सोचनीय.

स्कूल छोड़ने के इस तरह कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण हम देख सकते हैं. जैसे टीचरों की संख्या का अभाव. पांच लाख से ज्यादा टीचर ठेके पर हैं. उनमें से आधे प्रशिक्षित भी नहीं हैं. वैसे प्रशिक्षित टीचरों का ही घोर अभाव है. टीचरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था निजी हाथों में है और इस मामले में ये दुनिया का अकेला देश बताया जाता है जहां टीचरों की ट्रेनिंग का काम प्राइवेट हाथों में है. टीचर कम हैं तो जाहिर है उसका असर छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ रहा है. और नतीजा. नतीजा यही कि छह से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन करीब साढ़े तीन करोड़ अब भी बाहर हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की रैंकिंग में लगातार टॉप पर रहने वाले फिनलैंड के स्कूलों की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को आदर्श माना जाता है. पहला कारण बच्चों को ज्यादा लंबे समय तक बच्चे बने रहने देना है. यहां बच्चे करीब सात साल की उम्र

में स्कूल जाना शुरु करते हैं जबकि भारत में 3 साल में.

पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ देने की सबसे बड़ी वजहों में एक गरीबी भी है. बड़े होते बच्चे अपनी पारिवारिक विवशताओं और सामाजिक हालात की वजह से साधारण रोजगार की ओर मुड़ जाते हैं. दुकानों, ढाबों, गैराजों, छोटे होटलों, रेहड़ी जैसे छोटे व्यवसायों में इस उम्र के बच्चों को देखा जा सकता है. दरअसल बेहतर संरचना के अलावा ऐसी नीतियों की भी जरूरत है जिसमें सीखने की पूरी अवधि के विभिन्न चरणों में आने वाली बाधाओं को दूर करते रह सकें. एक ऐसी मानवीय और पारदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ निगरानी व्यवस्था की जरूरत है जो अपने बच्चों को न सिर्फ स्कूल लाए बल्कि ये सुनिश्चित भी करे कि वे पूरी पढ़ाई करके निकलें.

संदर्भ :

शिक्षा का अधिकार (सेन्टर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत जालघर)

कीवर्ड भारत, प्राथमिक शिक्षा, यूनेस्को, ड्रॉपआउट, ब्लॉग

http://www.dw.com/hi/स्कूल-छोड़ते-बच्चों-की-फिक्र-कौन-करेगा/a-19402931

https://education-psychology-meaning-and-definition/

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

औद्योगीकरण और बाल श्रमिक

डॉ. नीलिमा चटर्जी
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग
शास. वीरसावरकर महाविद्यालय औबेदुल्लागंज

बाल-श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमे की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघटनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों श्रम अधिकार और बच्चों अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमे जनविवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम है।

वेश्यावृत्ति या उत्खनन, कृषि, माता पिता के व्यापार में मदद, अपना स्वयं का लघु व्यवसाय (जैसे खाने पीने की चीजे बेचना), या अन्य छोटे मोटे काम हो सकते हैं कुछ बच्चे पर्यटकों के गाइड के रूप में काम करते हैं, कभी-कभी उन्हें दुकान और रेस्तरां (जहाँ वे वेटर के रूप में भी काम करते हैं) के काम में लगा दिया जाता है। अन्य बच्चों से बलपूर्वक परिश्रम-साध्य और दोहराव वाले काम लेते हैं जैसे च्बक्से को बनाना, जूते पॉलिश, स्टोर के उत्पादों को भंडारण करना और साफ-सफाई करना। हालांकि, कारखानों और मिठाई की दूकान, के अलावा अधिकांश बच्चे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे सड़कों पर कई चीज़ें बेचना, पटाकों के कारखानों में, कृषि में काम करना या बच्चों का घरेलू कार्य/घरों में छिप कर काम करना - ये कार्य सरकारी श्रम निरीक्षकों और मीडिया की जांच की पहुँच से दूर रहते है। और ये सभी काम सभी प्रकार के मौसम में तथा न्यूनतम वेतन के लिए किया गया था यूनिसेफ के अनुसार, दुनिया में लगभग 2.5 करोड बच्चे, जिनकी आयु 2-17 साल के बीच है वे बाल-श्रम में लिप्त हैं, जबकि इसमें घरेलू श्रम शामिल नद्धद्धद्धहीं है। सबसे व्यापक अस्वीकार कर देने वाले बाल-श्रम के रूप हैं जिनमे [बच्चों का सैन्य उपयोग] साथ ही बाल वेश्यावृत्ति . शामिल है। कम विवादास्पद और कुछ प्रतिबंधों के साथ कानूनी रूप से मान्य कुछ काम है जैसे बाल अभिनेता और बाल गायक,

साथ ही साथ स्कूलवर्ष (सीजनल कार्य) के बाद का कार्य और अपना कोई व्यापार जो स्कूल के घंटों के बाद होने काम आदि शामिल है।

बच्चों के अधिकार

यह अनुचित या शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम में कोई बच्चा घर के काम या स्कूल के काम को छोड़कर कोई अन्य काम करता है। किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम के बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नहीं है। न्यूनतम आयु देश पर निर्भर करता किसी प्रतिष्ठान में बिना माता पिता की सहमति के न्यूनतम उम्र 16 वर्ष निर्धारित किया है।

औद्योगिक क्रांति में चार साल के कम उम्र के बच्चों को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियों के साथ उत्पादन वाले कारखाने में कार्यरत थे। अंग्रेजी श्रमिक वर्ग का बनना , (पेंगुइन, 168), पीपी. अब अमीर देशों ने मज़दूरों के रूप में बच्चों के इस्तेमाल को समझा है और इस आधार पर इसे मानव अधिकार का उल्लंघन माना हैं और इसे गैरकानूनी घोषित किया है जबकि कुछ गरीब देशों ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दी है।

1990 के दशक में दुनिया के प्रत्येक देश ने सोमालिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बाल अधिकार के सम्मेलन, . के दौरान हस्ताक्षर किए सबसे ताकतवर अंतराष्ट्रीय कानूनी भाषा है जो अवैध बाल श्रम पर रोक लगाता है, हालाँकि यह बाल श्रम को अवैध नहीं मानता है।

बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों के मजदूरी के सहारे हैं। कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है। इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होतें है। बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरो के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, बच्चों के घरेलू काम में योगदान भी महत्वपूर्ण है। बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिए, बाल श्रम निषेध को दोनों अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओं के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है। कुछ युवाओं के अधिकार के समूहों यद्यपि, एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक कर, बच्चों के विकल्प कम करने को मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते है। ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालों के इच्छा के अधीन रहते है। बच्चे की सहमति या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक बच्चा कार्य के लिए सहमत हो सकता है यदि इसका आय आकर्षक हैं या अगर बच्चा स्कूल से नफरत करता है, लेकिन इस तरह की सहमति को सूचित नहीं किया जा सकता . कार्यस्थल बच्चे के लिए लंबे समय में अवांछनीय स्थिति पैदा कर सकता है। एक प्रभावशाली समाचार पत्र में बाल श्रम के अर्थशास्त्र पर अमेरिकी आर्थिक समीक्षा (1998), में कौशिक बसु और हुआंग वान का तर्क है कि बाल श्रम का मूल कारण माता पिता की गरीबी है। यदि ऐसा है तो, उन्होंने बाल श्रम के वैधानिक प्रतिबंध पर आगाह किया और तर्क दिया कि इसका उपयोग वयस्क मजदूरी प्रभावित हीन पर ही करना चाहिए और प्रभावित गरीब बच्चे के परिवार को पर्याप्त रूप से मुआवजा देना चाहिए। भारत और बंगलादेश सहित कई देशों में अभी

भी बाल श्रम व्यापक रूप से विद्यमान है। यद्यपि इस देश के कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते, फ़िर भी कानून को नजरअंदाज कर दिया है। 11 साल जैसे छोटी उम्र के बच्चे 20 घंटे तक एक दिन में काम करते हैं, ये काम करने के लिए स्वीट शॉप में जाकर अमेरिकी कंपनियों जैसे वाल मार्ट, हेंस और टारगेट में काम करते है। वे मात्र साड़े 6 सेंत प्रति मद के रूप में छोटा सा भुगतान पाते हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हार्वेस्ट रिच है, जो बाल श्रम ने प्रयोग नहीं करने का दावा किया है, हालांकि बच्चों को केवल 1 डॉलर प्रति सप्ताह मिलता है।

बाल श्रम के खिलाफ

बाल श्रम औद्योगिक क्रांति.के आरम्भ के साथ ही प्रारम्भ हो गया उदाहरण के लिए, कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा कारखानों में मौजूदा स्वरूप में बाल श्रम का त्याग यह बात भी गौर करने योग्य है कि सार्वजनिक नैतिक सहापराध के जरिये ऐसे उत्पाद जो विकासशील देशों में एकत्रित या बाल श्रम से बने हैं उनके खरीद को हतोत्साहित किया जाय. दूसरों की चिंता है कि बाल श्रम से बने वस्तुओं का बहिष्कार करने पर यह बच्चे वेश्यावृत्ति या कृषि जैसे काम से अधिक खतरनाक या अति उत्साही व्यवसायों में जा सकते हैं उदाहरण के लिए, एक यूनिसेफ के एक अध्ययन में पाया गया कि 5000 से 7000 नेपाली बच्चे वेश्यावृत्ति के तरफ मूड गए इसके अलावा अमेरिका में बाल श्रम निवारण अधिनियम के लागू होने के बाद, एक अनुमान के अनुसार 50000 बच्चों को बंगलादेश में उनके परिधान उद्योग में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और बहुत से लोग पत्थर तोड़ने, गलिओं में धकके खाना और वेश्यावृत्ति गए -- --यह सब के सब तथ्य यूनिसेफ एक अध्ययन के आधार पर आधारित है। ये सारे कार्य वस्त्र उत्पादन की तुलना में अधिक खतरनाक और विस्फोटक है .इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भुथरे उपकरणों के दीर्घकालिक प्रयोग की भांति ऐसे परिणाम से बच्चो को फायदा की जगह हानि ज्यादा हो सकता है.

आज कई उद्योग और निगम हैं जिनको कार्यकर्ताओं द्वारा बाल श्रम के कारण लक्षित किया जा रहा है।

बाल श्रम पर कानून

14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम देना गैर-क़ानूनी है; हालाँकि इस नियम के कुछ अपवाद हैं जैसे की पारिवारिक व्यवसायों में बच्चे स्कूल से वापस आकर या गर्मी की छुट्टियों में काम कर सकते हैं द्य इसी तरह फिल्मों में बाल कलाकारों को काम करने की अनुमति है, खेल से जुड़ी गतिविधियों में भी वह भाग ले सकते हैं 14-18 वर्ष की आयु के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है (जो किशोर/किशोरी की श्रेणी में आते हैं) यदि कार्यस्थल सूची में शामिल खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया से न जुड़ा हो

यदि आपने इस क़ानून का उल्लंघन होते हुए देखा है तो आप इसकी शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट से कर सकती हैं द्य आप बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं की नज़र में भी यह ला सकती हैं जो मुद्दे

को आगे तक ले जा सकते हैंद्य एक पुलिस अधिकारी या बाल मज़दूर इंस्पेक्टर भी शिकायत कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है अथवा 14-18 वर्ष के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम देता है, उसे 6 महीने 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और साथ ही 20,000 -50,000 रूपए तक का जुर्माना भी हो सकता है

रजिस्टर न रखना, काम करवाने की समय-सीमा न तय करना और स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धी अन्य उल्लंघनों के लिए भी इस कानून के तहत 1 महीने तक की जेल और साथ ही 10,000 रूपए तक का जुर्माना भरने की सज़ा हो सकती है द्य यदि आरोपी ने पहली बार इस कानून के तहत कोई अपराध किया है तो केस का समाधान तय किया गया जुर्माना अदा करने से भी किया जा सकता है द्य

इस क़ानून के अलावा और भी ऐसे अधिनियम हैं (जैसे की फैक्ट्रीज अधिनियम, खान अधिनियम, शिपिंग अधिनियम , मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम इत्यादि) जिनके तहत बच्चों को काम पर रखने के लिए सज़ा का प्रावधान है, पर बाल मज़दूरी करवाने के अपराध के लिए अभियोजन बाल मज़दूर कानून के तहत ही होगा इस कानून के तहत संरक्षित किये गए बच्चों के साथ क्या होता है ?

इस क़ानून का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों से जिन बच्चों को बचाया जाता है उनका नए कानून के तहत पुनर्वास किया जाना चाहिए द्य ऐसे बच्चे जिन्हें देख-भाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उन पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 लागू होता है

क्या बच्चों का पारिवारिक व्यवसाय में काम करना क़ानूनी है ?

हाँ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित किया जा सकता है द्य ऐसे व्यापार जिनका संचालन किसी करीबी रिश्तेदार (माता, पिता, भाई या बहन) या दूर के रिश्तेदार (पिता की बहन और भाई, या माँ के बहन और भाई) द्वारा किया जाता है, वह इस परिभाषा में शामिल हैं

यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि पारिवारिक व्यापार इस क़ानून के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रिया या पदार्थ से जुड़ा न हो द्य ऊर्जा/बिजली उत्पादन से जुड़े उद्योग, खान, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े उद्योग इस परिभाषा में शामिल हैं हालाँकि बच्चे पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इससे उनकी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, इस हेतु उन्हें स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों में ही काम करना चाहिए

क्या माता-पिता/अभिभावकों को अपने बच्चों को काम करने की अनुमति देने के लिए दंडित किया जा सकता है?

सामान्यत: बच्चों के माता-पिता /अभिभावकों को अपने बच्चों को इस कानून के विरुद्ध काम करने की अनुमति देने के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है परन्तु यदि किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को व्यावसायिक

उद्देश्य से काम करवाया जाता है या फिर किसी 14–18 वर्ष की आयु के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करवाया जाता है तो यह प्रतिरक्षा लागू नहीं होती और उन्हें सज़ा दी जा सकती है द्य क़ानून उन्हें अपनी भूल सुधारने का एक अवसर देता है, यदि वह ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं तो वह इसे समाधान/समझौते की प्रक्रिया से निपटा सकते हैं, पर यदि वह फिर से अपने बच्चे को इस क़ानून का उल्लंघन करते हुए काम करवाते हैं तो उन्हें 10,000 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है

संदर्भ :–

The Life of the Industrial Worker in Nineteenth-Century England". Laura Del Col, West Virginia University.

The Factory and Workshop Act 1901

"What is child labour?". International Labour Organisation. 2012.

"Convention on the Rights of the Child". United Nations. Archived from the original on 3 October 2006. Retrieved 2006-10-05.

"International and national legislation - Child Labour". International Labour Organisation. 2011.

hindi.indiawaterportal.org/node/54133 अन्तिम परिवर्तन 08: 16, 16 सितंबर 2016।

"Labour laws - An Amish exception". The Economist. 5 February 2004.

Larsen, P.B. Indigenous and tribal children: assessing child labour and education challenges.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

तेजी से पलायन श्रमिक शहर की ओर

डॉ. इन्दिरा बर्मन
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग
एक्सीलेंन्स संस्थान कोलार

साइबर सिटी व आसपास के निर्माण क्षेत्रों से जुड़े श्रमिकों के पलायन ने श्रम विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ वर्षो में लगभग एक लाख श्रमिक पंजीकृत किए गए। इनमें से मौके पर लगभग पांच हजार श्रमिक ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी श्रमिक या तो दूसरी जगह चले गए या फिर अपने गृह प्रदेश लौट गए हैं।

प्रदेश सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं बनी हुई हैं। योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है। बोर्ड के तहत श्रमिकों के पंजीकरण की जिम्मेदारी श्रम विभाग से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के पास है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान निदेशालय की ओर से गुड़गांव जोन में लगभग एक लाख श्रमिक पंजीकृत किए गए। लेकिन अब इनकी संख्या में काफी कमी आ गई है।

निर्माण क्षेत्र में काम करनेवाले अधिकांश श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल एवं राजस्थान के हैं। इनमें भी बिहार के श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। मनरेगा के अंतर्गत बिहार सहित कई राज्यों में काफी कार्य हो रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों को उनके गृह प्रदेश में ही काम मिल जाता है। इस वजह से सबसे अधिक पलायन बिहार के श्रमिकों का हो रहा है। कुछ श्रमिक ऐसे हैं जो एक जगह निर्माण खत्म होते ही दूसरी जगह चले जाते हैं। इस वजह से भी पंजीकृत श्रमिक मौके पर मिलते नहीं।

भारत में गरीब मजदूरों के आंतरिक पलायन में वृद्धि हो रही है। अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब आमतौर पर आकस्मिक मजदूरों के रूप में पलायन करते हैं। प्रवासियों की ऐसी जनसंख्या में रोग फैलने की संभावना ज्यादा होती है और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता भी कम होती है।

वर्ष 2001 की जनगणना अवधि के दौरान देश में ज्यादा आर्थिक लाभ वाले शहरों या दूसरे इलाकों में काम करने के लिए 14 करोड़ 40 लाख लोगों ने प्रवास किया। देश में 25 लाख प्रवासी मजदूर कृषि एवं बागवानी, ईंट-भट्टों,

खदानों, निर्माण स्थलों तथा मत्स्य प्रसंस्करण में कार्यरत हैं (एनसीआरएल, 2001)। प्रवासियों की बड़ी संख्या शहरी अनौपचारिक उत्पादन निर्माण, सेवा या परिवहन क्षेत्रों में भी काम करते हैं। साथ ही, वे आकस्मिक मजदूर,सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूर, रिक्शा चालकों और फेरीवालों के रूप में कार्यरत हैं। काम के आकस्मिक प्रकृति के कारण आवास स्थान में तीव्र बदलाव से वे रोग-निवारक सेवा से वंचित होते हैं और शहर के अनौपचारिक कार्य व्यवस्था में उनकी कार्य दशा उन्हें पर्याप्त उपचारात्मक सेवा पाने से असमर्थ कर देती है। प्रवासियों में जो अतिदुर्बल हैं उनपर 'आंतरिक विस्थापित' लोगों के रूप में ध्यान देने की जरूरत है। भारत में आंतरिक विस्थापित लोगों की संख्या 6 लाख (आईडीएमसी,2006) के करीब है। आंतरिक विस्थापन जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, राजनैतिक कारणों से, विकास परियोजनाओं और प्राकृतिक विनाश के कारण होता है। आंतरिक विस्थापित लोग सरकारी सामाजिक सुरक्षा पाने में असमर्थ होते हैं।

दुर्घटनाओं की वजह से भी पलायन

भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान काफी श्रमिक दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस वजह से अब इस क्षेत्र में काफी लोग काम करने से कतराते हैं। जब कहीं काम नहीं मिलता तो निर्माण क्षेत्र में आते हैं। श्रमिकों में यह संदेश भी जा चुका है कि कंपनी मालिक उनका शोषण कर रहे हैं। उनकी जान से खेल रहे हैं। यह संदेश श्रमिकों के परिजनों तक पहुंच चुका है। इस वजह से जो श्रमिक अपने गृह प्रदेश किसी काम से या पर्व-त्योहार की वजह से जाते हैं, उनके परिजन लौटने ही नहीं देते हैं।

मानेसर स्थित एक निर्माण स्थल के नजदीक रह रहे बिहार के सहरसा के श्रमिक अरविंद राम एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के श्रमिक भोला कुशवाहा कहते हैं कि वे लोग बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन कंपनी की ओर से सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जाती है।

पलायन से आ रही परेशानी

श्रमिकों का पलायन नहीं रोका जा सकता। एक जगह काम खत्म होते ही श्रमिक दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे कि एक बार पंजीकरण के बाद श्रमिक कहीं भी रहे, उसे सुविधाएं मिलती रहेंगी। इसे देखते हुए ही मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। जहां तक निर्माण कंपनियों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का सवाल है तो पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। हां यह सच्चाई है कि मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं में में काम मिलने से तेजी से श्रमिक पलायन कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में खेती-किसानी में जमा पूंजी के बर्बाद हो जाने के बाद उम्मीद खो चुके किसानों को मनरेगा से भी अब कोई आस नहीं रह गई है। कम वर्षा के कारण अपना 50 फीसदी फसल खो चुके सूबे के कई किसान जीवनयापन के लिए दूसरे राज्यों की ओर कूच करने लगे हैं।

राजधानी से लगे बलौदाबाजार जिले में प्रारंभ हो चुके पलायन को मनरेगा भी नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि मनरेगा का कामकाज करने वाले ग्रामीण श्रमिकों का अब तक तीन करोड़ 32 लाख 96 हजार रुपये का भुगतान बकाया

है। ऐसे में नियमित भुगतान न होने के कारण ग्रामीण अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जिले में मनरेगा के तहत 48 ग्राम पंचायतों में 785 श्रमिक कार्य में लगे हैं।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की एपीओ अंजू भोगामी का कहना है कि जिले में सवा तीन करोड़ रुपये का भुगतान आवंटन के अभाव में नहीं किया जा सका है। इसके लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। राशि मिलने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन को रोकने के साथ ही गांव में रोजगार मुहैया कराने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पलायन रोकने में कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। पिछले कुछ वर्षो से ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यो में गड़बड़ी के कई मामले भी उजागर हुए हैं।

ग्राम पंचायतों द्वारा फर्जी श्रमिकों के मस्टररोल व जॉब कार्ड, फर्जी कार्यो की सूची सहित करोड़ों रुपये की गड़बड़ी सचिव व रोजगार सहायक के साथ मिलकर किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले की जांच भी हुई है, मगर कार्रवाई अब भी ठंडे बस्ते में है। वर्तमान में जिले की 611 ग्राम पंचायतों में से मात्र 48 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम हो रहा है। इसके तहत शौचालय निर्माण कराया जा रहा है।

एक परिवार को साल में 150 दिन काम दिया जाना है, मगर ज्यादातर पंचायतों में काम ही शुरू नहीं हो सके हैं। बकाया भुगतान नहीं होने से लोग मनरेगा का काम करने से परहेज कर रहे हैं। मनरेगा के तहत जिले को 10 करोड़ 619 लाख 91 हजार रुपये व्यय करने का लक्ष्य मिला है। मगर अब तक सिर्फ दो करोड़ 68 लाख रुपये ही खर्च हो पाए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण 51 पॉटरियों के बंद होने से हजारों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पॉटरियां पर ताले लटकने से अब मजदूर भी पलायन को मजबूर हो जाएंगे।

दूसरी ओर मजदूरों की कमाई से गुलजार रहने वाला पॉटरी सेंटर बाजार पर भी संकट खड़ा हो गया है। मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को भी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है।

वहीं, ब्याज पर उधार लेने वाले तमाम मजदूरों को रोजी रोटी बंद होने से उधार चुकाने की चिंता सता रही है। प्रदूषण फैलाने और एनजीटी के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर अब तक 51 फैक्ट्रियों पर तालाबंदी कर दी गई है। इससे पॉटरियों में कार्यरत मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। बिहार से आए मजदूर रामकिशन, शेषमणि, जग्गन ने बताया कि जब से सीलबंदी की कार्रवाई शुरू हुई है, वे बेरोजगार हो गए हैं। परिवार दो जून की रोटी को मोहताज है।

मजदूरों दूसरे स्थान पर भी काम नहीं मिल रहा है। अगर जल्द ही पॉटरियां चालू नहीं हुई तो अधिकांश परिवार बिहार और बंगाल अपने घरों को पलायन करने को मजबूर होंगे।

पॉटरी सेंटर मार्केट में छाई मायूसी

पॉटरी में काम करने वाले मजदूरों से नगर का पॉटरी सेंटर बाजार गुलजार रहता था। फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू

होने से बाजार में मायूसी छा गई है। मजदूरों पर संकट से व्यापारियों के भी हाथ-पैर भी फूल गए हैं। व्यवसायियों पे बताया कि अगर मजदूर चले गए तो उनका व्यापार चौपट हो जाएगा।

मजदूरों के पलायन का उद्यमियों में भय

पॉटरी फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों मजदूर कमाई के लिए पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। दस्तावेज जमा कराने के बाद पॉटरियां शुरू हुई तो उनके सामने मजदूरों का संकट खड़ा हो जाएगा। उद्यमी पियूष शर्मा ने बताया कि सभी मानक पूरे करने के बाद उम्मीद है 15-20 दिनों में सीलबंद पाटरियों को शुरू करने का आदेश मिल जाए। मजदूर अगर दूसरी जगह चले गए तो काम शुरू करने में काफी समस्याएं होंगी।

कई बार यह विचार जाहिर किया जाता है कि भारतीय श्रम नीतियां संगठित क्षेत्र में रोज़गार विस्तार के विरुद्ध अनावश्यक रूप से मौजूदा कार्यरत श्रमिकों के हितों का संरक्षण करती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में यह विचारधारा धूमिल हो रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकारें श्रम क्षेत्र के नवीनीकरण और पुनर्गठन के लिए लचीला रुख अपना रही हैं। हमारी सरकार हमारे श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, हमें समय-समय पर यह भी ध्यान देते रहना चाहिए कि क्या हमारे नियामक ढ़ांचे का कुछ हिस्सा श्रम कल्याण में योगदान दिए बगैर बेवजह रोजगार, उद्यम और उद्योग में बाधा डाल रहा।

अपने संबोधन को समाप्त करने से पहले मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों का ज़िक्र करना चाहता हूं जो मेरे हिसाब से बेहद आवश्यक है। महिलाएं हमारे देश का वह हिस्सा हैं जिनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हुआ है। हमारे देश में महिला श्रमिक बल भागीदारी दर काफी धीमी है और पिछले कुछ दशकों में यह लगभग एक समान ही रही है। अधिक महिलाओं को कार्य बल में लाने के लिए यह जरुरी है कि हम उनकी बाधाओं को समझे जो उन्हें परिवार और काम के दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने में पेश आती है। हालांकि मनरेगा सहित हमारे नियामन में क्रेचों की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया है लेकिन साफ तौर पर यह काफी नहीं है। हमें अंश-कालीन काम के लिए भी प्रावधान करने की ज़रुरत है जिसके लक्षण पूर्णकालिक रोज़गार के समान हो। इसके लिए यदि कानून में बदलाव की ज़रुरत हो तो हमें इसके लिए तैयार रहना है और इसे वास्तविक्ता बनाने के लिए इसके खाके पर कार्य शुरु कर देना चाहिए।

अन्य मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहूंगा वह है काम के सिलसिले में एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने वाले श्रमिक। ऐसे श्रमिकों के कल्याण और बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में हमारी प्रणाली अधिक मज़बूत नहीं है। इस सिलसिले में हमें अपने ज्ञान, विवेक और अनुभव के साथ इसे मज़बूत करने की ज़रुरत है। इस संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुवाह्यता के लिए आधार संख्या एक महत्वपूर्ण प्रणाली साबित हो सकती है।

संदर्भ :

https://avadhbhumi.wordpress.com/tag/रोजगार-और-पलायन/

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर

एक अध्ययन

श्री हरीराम

सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

आचार्य नरेन्द्रदेव पीजी कालेज, गोण्डा उ.प्र.

भीमराव रामजी आंबेडकर बाबासाहब के नाम से लोकप्रिय, भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाजसुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) के खिलाफ सामाजिक भेद भाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे।

आंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शोध कार्य में ख्याति प्राप्त की। जीवन के प्रारम्भिक करियर में वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवम वकालत की। बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता; वह भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और बातचीत में शामिल हो गए, पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में, उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। आंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं।

प्रारंभिक जीवन

आंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत (अब मध्य प्रदेश में) में स्थित नगर सैन्य छावनी महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14 वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबडवे गांव जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। डॉ? भीमराव आंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता, भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा में थे और यहां काम करते हुये वो सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। आंबेडकर को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रभावित किया था। अपनी जाति के कारण उन्हें इसके लिये सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छत्र भीमराव को अस्पृश्यता के कारण अनेका प्रकार

की कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रामजी सकपाल ने स्कूल में अपने बेटे भीमराव का उपनाम 'सकपाल% की बजायं 'आंबडवेकर% लिखवाया, क्योंकी कोकण प्रांत में लोग अपना उपनाम गांव के नाम से लगा देते थे, इसलिए भीमराव का मूल अंबाडवे गांव से अंबावडेकर उपनाम स्कूल में दर्ज किया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से 'अंबाडवेकर' हटाकर अपना सरल 'आंबेडकर' उपनाम जोड़ दिया। आज आंबेडकर नाम से जाने जाते है।

रामजी आंबेडकर ने सन 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई (तब बंबई) चले आये। यहाँ अम्बेडकर एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्न्मेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने।

उच्च शिक्षा

सन 1922 में एक वकील के रूप में डॉ? भीमराव आंबेडकर

गायकवाड शासक ने सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय मे जाकर अध्ययन के लिये भीमराव आंबेडकर का चयन किया गया साथ ही इसके लिये एक 11.5 डॉलर प्रति मास की छात्रवृत्ति भी प्रदान की। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद, डॉ? भीमराव आंबेडकर को राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। शयनशाला मे कुछ दिन रहने के बाद, वे भारतीय छात्रों द्वारा चलाये जा रहे एक आवास क्लब मे रहने चले गए और उन्होने अपने एक पारसी मित्र नवल भातेना के साथ एक कमरा ले लिया। 1916 में, उन्हे उनके एक शोध के लिए पीएच.डी. से सम्मानित किया गया। इस शोध को अंतत: उन्होंने पुस्तक इवोल्युशन ओफ प्रोविन्शिअल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। हालाँकि उनकी पहला प्रकाशित काम, एक लेख जिसका शीर्षक, भारत में जाति = उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। अपनी डाक्टरेट की डिग्री लेकर सन 1916 में डॉ? आंबेडकर लंदन चले गये जहाँ उन्होने ग्रेज् इन और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में कानून का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध की तैयारी के लिये अपना नाम लिखवा लिया। अगले वर्ष छात्रवृत्ति की समाप्ति के चलते मजबूरन उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर बीच मे ही छोड़ कर भारत वापस लौटना पड़ा ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुये अपने जीवन मे अचानक फिर से आये भेदभाव से डॉ? भीमराव आंबेडकर निराश हो गये और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि अपनी परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम, के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स मे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गयी। 1920 में कोल्हापुर के महाराजा, अपने पारसी मित्र के सहयोग और अपनी बचत के कारण वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सक्षम हो गये। 1923 में उन्होंने अपना शोध प्रोब्लेम्स ऑफ द रुपी (रुपये की समस्यायें) पूरा कर लिया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साईंस की उपाधि प्रदान की गयी। और उनकी कानून का अध्ययन पूरा होने के, साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश बार मे बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। भारत वापस लौटते हुये डॉ? भीमराव आंबेडकर तीन महीने जर्मनी में रुके, जहाँ उन्होने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन, बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। उन्हें औपचारिक रूप से 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. प्रदान की गयी।

छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष

भारत सरकार अधिनियम 1919, तैयार कर रही साउथबोरोह समिति के समक्ष, भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर को गवाही देने के लिये आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान, अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचिका (separate electorates) और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में, बंबई से , उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरूआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों मे लोकप्रिय हो गया, तब अम्बेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिये किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिये गये भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज मे हलचल मचा गया। अम्बेडकर ने अपनी वकालत अच्छी तरह जमा ली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये काम करना था। सन् 1926 में, वो बंबई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गये। सन 1927 में डॉ? अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होनें अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये भी संघर्ष किया। उन्होंने महड में अस्पृश्य समुदाय को भी शहर की पानी की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने कि लिये सत्याग्रह चलाया।

1 जनवरी 1927 को अम्बेडकर ने द्वितीय आंग्ल – मराठा युद्ध, की कोरेगाँव की लड़ाई के दौरान मारे गये भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगाँव विजय स्मारक मे एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये। 1927 में, उन्होंने अपना दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की और उसके बाद रीक्रिश्टेन्ड जनता की। उन्हें बॉंबे प्रेसीडेंसी समिति मे सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन 1928 में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध मे भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुये और जबकि इसकी रिपोर्ट को ज्यादातर भारतीयों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, डॉ अम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिये सिफारिशों लिखीं।

1927 तक, अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। उन्होंने सार्वजनिक पेय जल संसाधनों को खोलने के लिए सार्वजनिक आंदोलनों और मार्च के साथ शुरू किया। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार के लिए एक संघर्ष भी शुरू किया। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकार के लिए शहर के मुख्य जल टैंक से पानी निकालने के लिए लड़ने के लिए महाड में एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1927 के अंत में सम्मेलन में, अम्बेडकर ने जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए क्लासिक हिंदू पाठ, मनुस्मृति (मनु के कानून) की सार्वजनिक रूप से निंदा की, और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जला दीं। 25 दिसंबर 1927 को, उन्होंने हजारों अनुयायियों का नेतृत्व मनुस्मृति की प्रतियां जलाया। इस प्रकार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दीन (मनुस्मृति बर्निंग डे) के रूप में अम्बेडकरियों और दलितों द्वारा मनाया जाता है।

अब तक अम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। डॉ? भीमराव

आंबेडकर जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता मोहनदास करमचंद गांधी की आलोचना की, उन्होने उन पर अस्पृश्य समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप मे प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। डॉ? आंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे, उन्होने अस्पृश्य समुदाय के लिये एक ऐसी अलग राजनैतिक पहचान की वकालत की जिसमे कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल ना हो। 8 अगस्त, 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान डॉ? आंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है।

हमें अपना रास्ता स्वयँ बनाना होगा और स्वयँ... राजनीतिक शक्ति शोषितो की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज मे उनका उचित स्थान पाने मे निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा.... उनको शिक्षित होना चाहिए... एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी उँचाइयों का स्रोत है।

इस भाषण में अम्बेडकर ने कांग्रेस और मोहनदास गांधी द्वारा चलाये गये नमक सत्याग्रह की शुरूआत की आलोचना की। अम्बेडकर की आलोचनाओं और उनके राजनीतिक काम ने उसको रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं मे भी बहुत अलोकप्रिय बना दिया, यह वही नेता थे जो पहले छुआछूत की निंदा करते थे और इसके उन्मूलन के लिये जिन्होने देश भर में काम किया था। इसका मुख्य कारण था कि ये उदार राजनेता आमतौर पर अछूतों को पूर्ण समानता देने का मुद्दा पूरी तरह नहीं उठाते थे। डॉ? भीमराव आंबेडकर की अस्पृश्य समुदाय मे बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 मे लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।(डा? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था) उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई, कि अछूतों को दी गयी पृथक निर्वाचिका, हिंदू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिये विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था की, सवर्णों को अस्पृश्यता भूलाने के लिए कुछ अवधि दी जानी चाहिए, यह गांधी का तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्णों हिंदूओं द्वारा पूना संधि के कई दशकों बाद भी अस्पृश्यता का नियमित पालन होता रहा।

1932 में जब ब्रिटिशों ने अम्बेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुये अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की तब मोहनदास गांधी ने इसके विरोध मे पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरु कर दिया। मोहनदास गांधी ने रूढ़िवादी हिंदू समाज से सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने तथा हिंदुओं की राजनीतिक और सामाजिक एकता की बात की। गांधी के दलिताधिकार विरोधी अनशन को देश भर की जनता से घोर समर्थन मिला और रूढ़िवादी हिंदू नेताओं, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे पवलंकर बालू और मदन मोहन मालवीय नेअम्बेडकर और उनके समर्थकों के साथ यरवदा मे संयुक्त बैठकें कीं। अनशन के कारण गांधी की मृत्यु होने की स्थिति मे, होने वाले सामाजिक प्रतिशोध के कारण होने वाली अछूतों की हत्याओं के डर से और गाँधी के समर्थकों के भारी दवाब के चलते डॉ? भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पृथक निर्वाचिका की माँग वापस ले ली। मोहनदास गांधी ने अपने गलत तर्क एवं गलत मत से संपूर्ण अछूतों के सभी प्रमुख अधिकारों पर पानी फेर दिया। इसके एवज मे अछूतों को सीटों के आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश/ पूजा के अधिकार एवं छूआ-छूत ख़तम करने की बात स्वीकार कर ली गयी। गाँधी ने इस उम्मीद पर की बाकि सभी सवर्ण

भी पूना संधि का आदर कर, सभी शर्ते मान लेंगे अपना अनशन समाप्त कर दिया।

आरक्षण प्रणाली में पहले दलित अपने लिए संभावित उम्मीदवारों में से चुनाव द्वारा (केवल दलित) चार संभावित उम्मीदवार चुनते। इन चार उम्मीदवारों में से फिर संयुक्त निर्वाचन चुनाव (सभी धर्म झ जाति) द्वारा एक नेता चुना जाता। इस आधार पर सिर्फ एक बार सन 1937 में चुनाव हुए। डॉ आंबेडकर 20–25 साल के लिये राजनैतिक आरक्षण चाहते थे लेकिन गाँधी के अड़े रहने के कारण यह आरक्षण मात्र 5 साल के लिए ही लागू हुआ। पूना संधी के बारें गांधीवादी इतिहासकार 'अहिंसा की विजय' लिखते हैं, परंतु यहाँ अहिंसा तो डॉ? भीमराव आंबेडकर ने निभाई हैं।

पृथक निर्वाचिका में दलित दो वोट देता एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को ओर दूसरा दलित (पृथक) उम्मीदवार को। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था किन्तु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। बाद मे अम्बेडकर ने गाँधी जी की आलोचना करते हुये उनके इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी माँग से पीछे हटने के लिये दवाब डालने के लिये गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। उनके अनुसार असली महात्मा तो ज्योतीराव फुले थे।

13 अक्टूबर 1935 को, अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होने दो वर्ष तक कार्य किया। इसके चलते अंबेडकर बंबई में बस गये, उन्होने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया, जिसमे उनके निजी पुस्तकालय मे 50000 से अधिक पुस्तकें थीं। इसी वर्ष उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिये पंढरपुर जाना चाहती थीं पर अंबेडकर ने उन्हे इसकी इजाज़त नहीं दी। अम्बेडकर ने कहा की उस हिन्दू तीर्थ मे जहाँ उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है इसके बजाय उन्होने उनके लिये एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। भले ही अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई को भारत भर से समर्थन हासिल हो रहा था पर उन्होने अपना रवैया और अपने विचारों को रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रति और कठोर कर लिया। उनकी रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का उत्तर बड़ी संख्या मे हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा की गयी उनकी आलोचना से मिला। 13 अक्टूबर को नासिक के निकट येओला मे एक सम्मेलन में बोलते हुए अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होने अपनी इस बात को भारत भर मे कई सार्वजनिक सभाओं मे दोहराया भी।

1936 में, अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केन्द्रीय विधान सभा चुनावों मे 15 सीटें जीती। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी इसी वर्ष प्रकाशित की जो उनके न्यूयॉर्क मे लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस सफल और लोकप्रिय पुस्तक मे अम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गाँधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। अम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। 1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बड़ी संख्या में अत्यधिक विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किये जिनमे 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' भी शामिल है, जिसमें उन्होने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। वॉट काँग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स (काँग्रेस और गान्धी ने अछूतों के लिये क्या किया) के

साथ, अम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनो पर अपने हमलों को तीखा कर दिया उन्होने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया।

उन्होने अपनी पुस्तक 'हू वर द शुद्राज़?'(शुद्र कौन थे?) के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शुद्रों के अस्तित्व मे आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अछूत, शुद्रों से अलग हैं। अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन मे बदलते देखा, हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुये चुनाव में इसने खराब प्रदर्शन किया। 1948 में हू वर द शुद्राज़? की उत्तरकथा द अनटचेबलस- ए थीसिस ऑन द ओरिजन ऑफ अनटचेबिलिटी (अस्पृश्य अस्पृश्यता के मूल पर एक शोध) मे अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा।

हिंदू सभ्यता .... जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे मे और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया जिसे... एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है?

अम्बेडकर इस्लाम और दक्षिण एशिया में उसकी रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया पर मुस्लिमो मे व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा,

बहुविवाह और रखैल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किये जा सकते जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दु:ख के स्रोत हैं। जाति व्यवस्था को ही लें, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म भी हो जाये पर फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रह जायेगी।

उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज मे तो हिंदू समाज से भी कही अधिक सामाजिक बुराइयां है और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानो द्वारा अर्ज़ल वर्गों के खिलाफ भेदभाव जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता था के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा हालाँकि पर्दा हिंदुओं मे भी होता है पर उसे धर्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम मे कट्टरता की आलोचना की जिसके कारण इस्लाम की नातियों का अक्षरक्ष अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है और उसे को बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आपको बहुत बदल लिया है।

सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की माँग की उपेक्षा की है।

हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे पर उन्होने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिये क्योकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए, जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष मे ऑटोमोन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिये पर्याप्त कारण मौजूद थे? और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच के मतभेद एक कम कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता था। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिये। कनाडा जैसे देशों मे भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिंदु और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते। उन्होंने चेताया कि दो देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या के स्थानान्तरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान मे रख कर यह भविष्यवाणी कितनी सही थी

संविधान निर्माण

मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों धर्म को इस विशाल, व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायिका को रोक सके। सब के बाद, हम क्या कर रहे हैं के लिए इस स्वतंत्रता? हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें यह स्वतंत्रता हो रही है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं।

अपने सत्य परंतु विवादास्पद विचारों और गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद बी आर अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी जिसके कारण जब, 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व मे आई तो उसने अम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को, अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अम्बेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम मे अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। इस कार्य में अम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया।

संघ रीति मे मतपत्र द्वारा मतदान, बहस के नियम, पूर्ववर्तिता और कार्यसूची के प्रयोग, समितियाँ और काम करने के लिए प्रस्ताव लाना शामिल है। संघ रीतियाँ स्वयं प्राचीन गणराज्यों जैसे शाक्य और लिच्छवि की शासन प्रणाली के निदर्श (मॉडल) पर आधारित थीं। अम्बेडकर ने हालांकि उनके संविधान को आकार देने के लिए पश्चिमी मॉडल इस्तेमाल किया है पर उसकी भावना भारतीय है।

अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ मे संवैधानिक गारंटी के साथ व्यक्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की जिनमें, धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी करार दिया गया। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए धरा370व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों मे आरक्षण प्रणाली शुरू के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया, भारत के विधि निर्माताओं ने इस सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा दलित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हे हर क्षेत्र मे अवसर प्रदान कराने की चेष्टा की जबकि मूल कल्पना मे पहले इस कदम को अस्थायी रूप से और आवश्यकता के आधार पर शामिल करने की बात कही गयी थी। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद, बोलते हुए, अम्बेडकर ने कहा

मैं महसूस करता हूं कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मज़बूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।

1951 मे संसद में अपने हिन्दू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया इस मसौदे मे उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गयी थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया पर संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ़ थी। अम्बेडकर ने 1952 में लोक सभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप मे लड़ा पर हार गये। मार्च 1952 मे उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानि राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे।

संदर्भ :

Ambedkar, Bhimrao Ramji (1946). "Chapter X: Social Stagnation". Pakistan or the Partition of India. Bombay: Thackers Publishers. पृ 215-219. अभिगमन तिथि 2009-10-08.

"Ambedkar with UCC". Outlook India. अभिगमन तिथि 14 August w®vx.

"One nation one code: How Ambedkar and others pushed for a uniform code before Partition".

IEA. "Dr. B.R. Ambedkar's Economic and Social Thoughts and Their Contemporary Relevance". IEA Newsletter – The Indian Economic Association(IEA). India: IEA publications. प 10. Archived from the original on 16 October 2013.

Mishra, edited by S.N. (2010). Socio-economic and political vision of Dr. B.R. Ambedkar. New Delhi: Concept Publishing Company. पृ? 173-174. आईएसबीएन 818069674-

TNN (15 October 2013). "'Ambedkar had a vision for food self-sufficiency'". The Times of India. Archived from the original on 17 October 2015. अभिगमन तिथि 15 October 2013.

Zelliot, Eleanor (1991). "Dr. Ambedkar and America". A talk at the Columbia University Ambedkar Centenary. Archived from the original on x November 2013. अभिगमन तिथि= 15 October 2013.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

मध्यप्रदेश के पत्रकारों की सामाजिक आर्थिक दशा एवं उनकी धारणाओं का अध्ययन

अनवर खान मंसूरी
पी.एच.डी. शोधार्थी जनसंचार विभाग
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र.

सारांश:- दिन-रात शारीरिक एवं मानसिक रूप से अथक परिश्रम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को अपनी मेहनत के हिसाब से वेतनमान नहीं मिलता है। जिसके कारण वह अपने इस पेषे से संतुष्ट कम और असंतुष्ट अधिक रहते हैं। नतीजतन, श्रमजीवी पत्रकार की सामाजिक स्थिति कार्यपालिक, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारी-कर्मचरियों जैसी नहीं होती हैं। कम वेतनमान के कारण जहां श्रमजीवी पत्रकार अपने पारिवारिक जीवन का ठीक से आनंद नहीं ले पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर समयाभाव के कारण वह सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के लोगों से मिलना-जुलना तक नहीं कर पाते हैं।

प्रस्तावना:

मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था संचालन और उसे नई दिशा एवं दशा देने में मीडिया की भूमिका महत्तवपूर्ण होती है। ग्लोबलाईजेशन के इस दौर में सूचना और तकनीकी क्रांति के बाद दूसरे पायदान पर मीडिया की भूमिका और उसके प्रभाव में आषातीत वृद्धि हुई है। मीडिया की इस असिमित शक्ति और प्रभाव का प्रयोग व संचालन मानव, समाज और देष हित में करने की अहम जिम्मेदारी उन श्रमजीवी पत्रकारों के कंधों पर है जिनके अंदर समर्पण, त्याग, आत्मसंयम और सहनशीलता का जज्बा है। जो अपनी बुद्धि, ज्ञान और अपने विचारों से देष और समाज हित में कुछ करने का हौंसला रखते हैं। मीडिया संस्थान में काम करने वाले हर पत्रकारों की गिनती एक बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में होती हैं। इनकी कलम बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव किए जनता के कल्याण और देष हित में चलती है।

प्रत्येक पत्रकार जात-पात और धर्म से उठकर सम्पूर्ण मानवता के विकास को ध्यान में रखते हुए कलम चलाला है। वही प्रत्येक की पत्रकार के अचार-विचार सोचने की क्षमता और धारणाएं अलग-अलग होती है। ऐसे में श्रमजीवी पत्रकारों का सामाजिक जीवन कैसा है? उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? वह वर्तमान पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते है? इन सबके बारे में उक्त शोध में अध्ययन किया गया।

शोध के उद्देश्य:

1. मध्य प्रदेश के विभिन्न मीडिया संस्थानों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स) में श्रमजीवी पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक दर्शाओं का अध्ययन करना।
2. पत्रकारों से अपनी नौकरी के बारे में संतुष्टि का पता लगाना।
3. पत्रकारों की धारणाओं के बारे में जानकारी हासिल करना।
4. श्रमजीवी पत्रकारों की वास्तविक समस्याओं का पता करना।

शोध की प्रासंगिकता:

पत्रकारों को सिर्फसालभर के लिए नियोजित किया जाता है, और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। बदले में न कोई मुआवजा राषि और न ही किसी प्रकार का भत्ता दिया जाता है। कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को भी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। काम के घंटे निर्धारित होने के बाद भी श्रमजीवी पत्रकारों से अनिष्चित घंटे काम काराया जाता हैं। क्षमता से अधिक कार्य करने से अधिकतर श्रमजीवी पत्रकार समय से पहले बूढें हो रहे हैं, वहीं मानसिक तनाव और विविध शारीरिक परेषानियों के वह षिकार हो रहे हैं। उनका व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन निराषाजनक होता है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सरकार को पत्रकारों के लिए कई हितकर एवं कल्याणकारी योजनाएं बनाने में भी सहायता मिलेगी। वहीं पत्रकार वर्ग खुद पत्रकारिता के साथ-साथ अपने सामाजिक जीवन को खुशहाल बना सके, अपने भविष्य एवं हितों की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाने की ओर कई ठोस कदम उठाने के लिए वह सरकार से मांग भी कर सकते हैं।

शोध प्ररचना एवं प्रविधि:

अनुसंधान में आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रष्नावली प्रविधि का प्रयोग किया गया। सैंपल का चयन उद्देष्यपूर्ण तरीके से किया गया। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेष में प्रकाषित एवं प्रसारित होने वाले विभिन्न मीडिया संस्थानों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों में से सैम्पल के रूप में 500 का चयन किया। सर्वे के लिए मध्यप्रदेष की राजधानी भोपाल सहित संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को शामिल किया गया। ईकाई के रूप में एडिटर, संवाददाता, सब एडिटर और फोटोजर्नलिस्ट को लिया गया। इसमें मध्यप्रदेश के 10 संभागों में से 4 संभाग भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शामिल हैं। 51

जिलों में से 6 जिले देवास, सीहोर, रायसेन, विदिषा, होषंगाबाद और हरदा को शामिल किया गया था।

विवेचना एवं विश्लेषण:

सर्वेक्षण विधि के माध्यम से मध्यप्रदेश के चयनित श्रमजीवी पत्रकारों से विविध पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न पूछे गए। विविध प्रश्नों पर अलग-अलग मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों ने अपनी अलग-अलग राय रखी।

ग्राफ-1. उत्तरदाताओं के मीडिया संस्थान का प्रकार

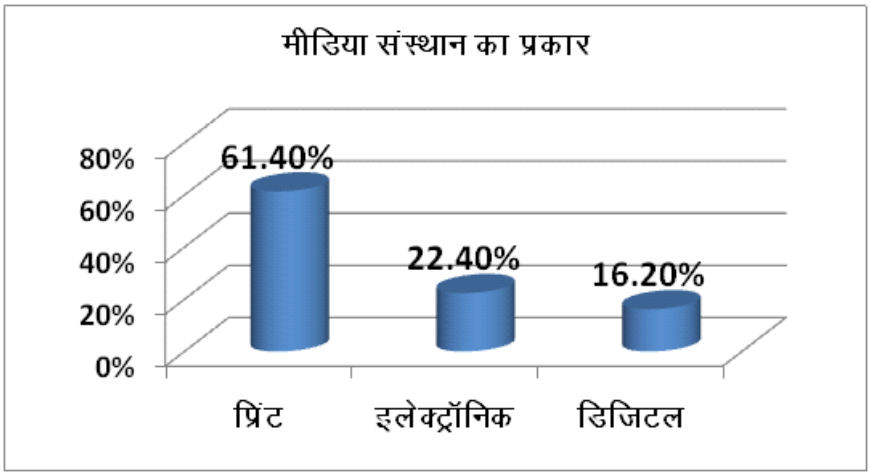

ग्राफ-1 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में 61.4 प्रतिशत प्रिंट मीडिया में वर्तमान में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जबकि 22.4 प्रतिशत उत्तरदाता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबकि 16.2 प्रतिशत उत्तरदाता डिजिटल/ऑनलाइन माध्यम में कार्यरत हैं। प्रिंट माध्यम में कार्य करने वाले पत्रकारों की संख्या दूसरे माध्यमों की तुलना में अधिक हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में कार्यरत पत्रकारों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

ग्राफ-2. उत्तरदाताओं की नौकरी का प्रकार

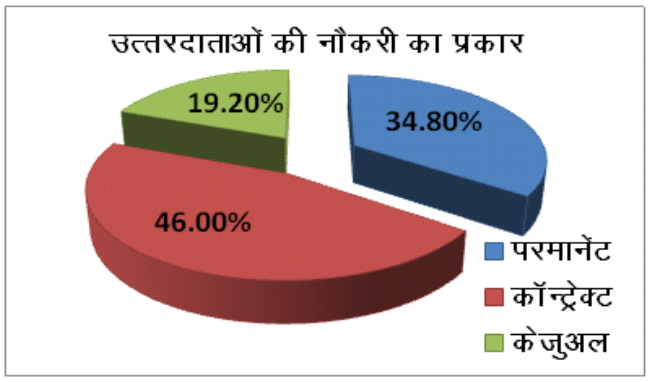

ग्राफ-2 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में सिर्फ 34.8 प्रतिशत लोग परमानेंट नौकरी पर है। वहीं 46 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार कॉन्टैक्ट पर कार्यरत है। जबकि 19.2 प्रतिशत उत्तरदाता केजुअल के रूप में मीडिया संस्थानों में काम कर रहे है। मीडिया संस्थानों में परमानेंट नौकरी की तुलना में कॉन्टैक्ट और केजुअल नौकरी वाले श्रमजीवी पत्रकार अधिक हैं।

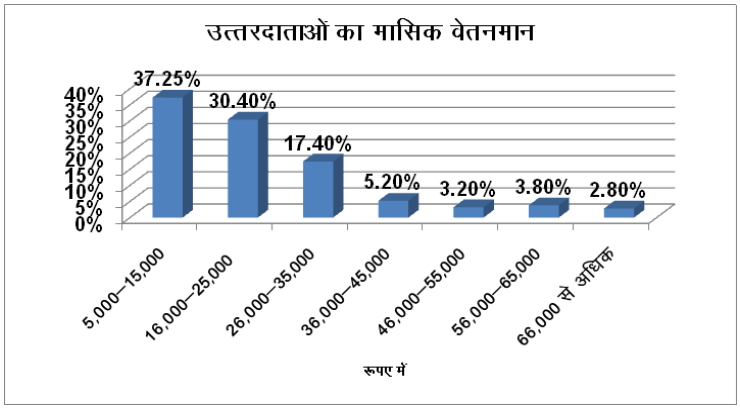

ग्राफ-3 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में 37.2 प्रतिशत को प्रतिमाह 5 से 15 हजार रूपए तक वेतनमान मिलता हैं। वहीं 30.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 16-25 हजार रूपए, 17.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 26-35 हजार रूपए, 5.2 प्रतिशत को 36-45 हजार रूपए, 3.2 प्रतिशत को 46-55 हजार रूपए, 3.8 प्रतिशत को 56-65 हजार रूपए और 2.8 प्रतिशत 66 हजार रूपए प्रतिमाह वेतनमान मिलता है। मीडिया संस्थानों में अधिक वेतनमान पाने उत्तरदाताओं की तुलना में कम वेतनमान वालों की संख्या ज्यादा है।

तालिका एवं ग्राफ-4. उत्तरदाताओं का वेजबोर्ड के अनुसार वेतनमान

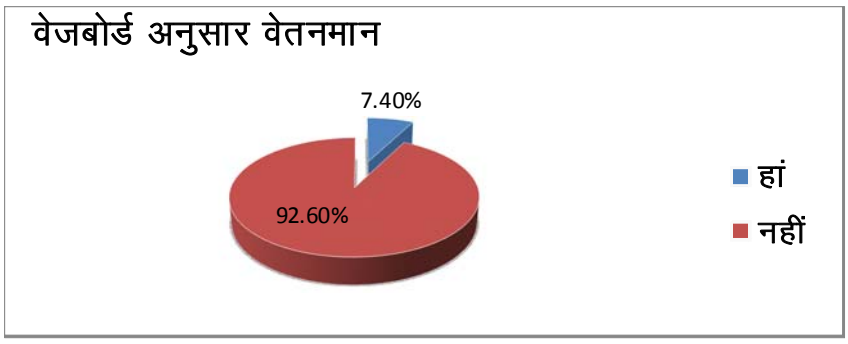

ग्राफ-4 के अनुसार कुल 500 उत्तरदाताओं में से कुल 37 यानी 7.4 प्रतिषत श्रमजीवी पत्रकारों ने हां में जवाब दिया। वहीं 463 उत्तरदाताओं ने यानी 92.6 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों को मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार वेतनमान नहीं मिल रहा है। मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार सैलरी मिलने वालों की तुलना में नहीं मिलने वाले श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या बहुत अधिक है।

ग्राफ-5. उत्तरदाताओं में सरकारी अधीमान्यता कार्डधारी

ग्राफ-5 के अनुसार कुल 500 उत्तरदाताओं में से 24 यानी 4.8 प्रतिषत श्रमजीवी पत्रकार तहसील स्तरीय कार्डधारी हैं। वहीं 84 यानी 16.8 प्रतिषत जिला स्तरीय और 78 यानी 15.6 प्रतिषत राज्य स्तरीय अधीमान्यता कार्डधारी हैं। वहीं 16 यानी 3.2 प्रतिषत उत्तरदाता फ्रीलांस पत्रकार हैं। जबकि 298 यानी 59.6 प्रतिषत ऐसे श्रमजीवी पत्रकार है जो किसी भी प्रकार के अधीमान्यता कार्डधारक नहीं हैं।

ग्राफ6- कार्य घंटे की महिला एवं पुरूष उत्तरदा

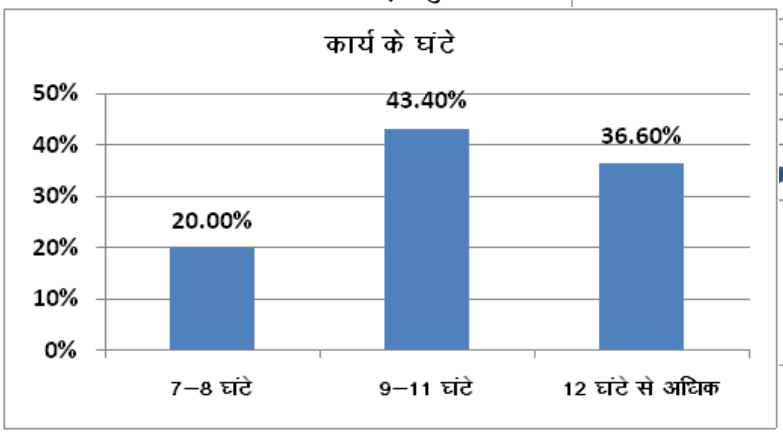

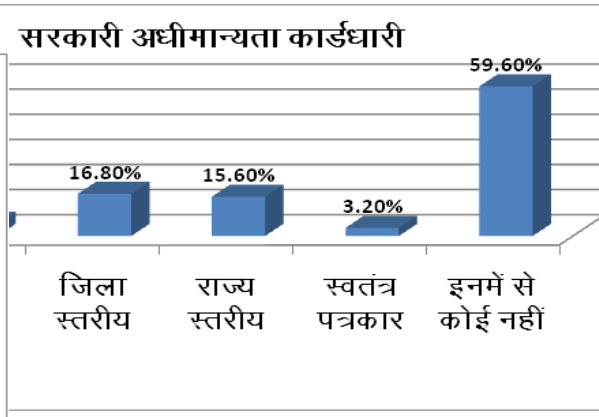

ग्राफ-6 के अनुसार कुल 500 उत्तरदाताओं में 100 यानी 20 प्रतिशत उत्तरदाता 7-8 घंटे कार्य करते हैं, इसमें से 16 महिलाएं श्रमजीवी पत्रकार एवं 84 पुरूष श्रमजीवी पत्रकार हैं। वहीं 217 यानी 43.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 9-11 घंटे कार्य करना बताया हैं, इसमें से 34 महिलाएं एवं 183 पुरूष श्रमजीवी पत्रकार शामिल हैं। 183 उत्तरदाताओं यानी 36.6 प्रतिशत ने 12 घंटे से अधिक कार्य करना बताया हैं। इसमें से 13 महिलाएं एवं 170 पुरूष श्रमजीवी पत्रकार हैं। मीडिया संस्थानों में 7-8 घंटे की तुलना में 9-11 घंटे और 12 घंटे तक कार्य करने वाले श्रमजीवी पत्रकार सबसे अधिक है

ग्राफ-7. पत्रकारिता आजीविका का मुख्य साधन या शौकिया

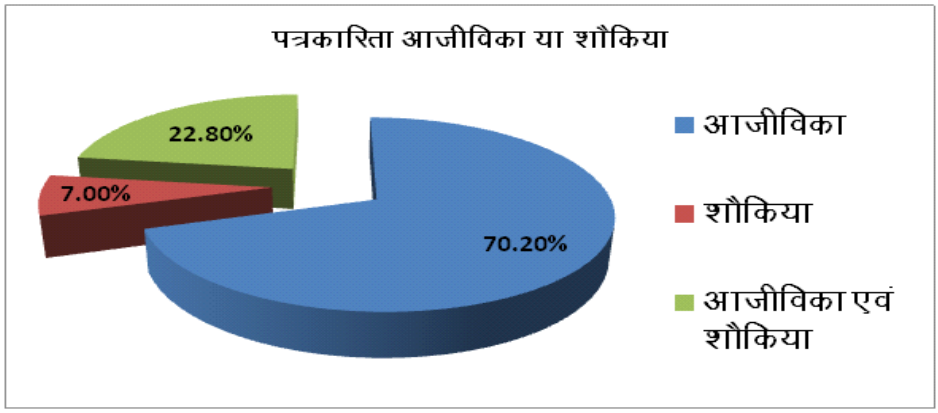

ग्राफ-7 के अनुसार कुल 500 उत्तरदाताओं में 351 यानी 70.2 प्रतिषत उत्तरदाता के लिए पत्रकारिता को आजीविका का मुख्य साधन है। वहीं मात्र 35 यानी 7.0 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार पत्रकारिता शौकिया तौर पर कर रहे हैं। जबकि 114 उत्तरदाता यानी 22.8 प्रतिषत उत्तरदाताओं के लिए पत्रकारिता दोनों मतबल आजीविका एवं शौकिया दोनों है। पत्रकारिता को शौकिया, आजीविका एवं शौकिया दोनों की तुलना में आजीविका का मुख्य साधन के रूप में अपनाने वाले पत्रकारों की संख्या अधिक है।

ग्राफ-8. उत्तरदाताओं द्वारा साप्ताहिक अवकाश बिताना पसंद करना

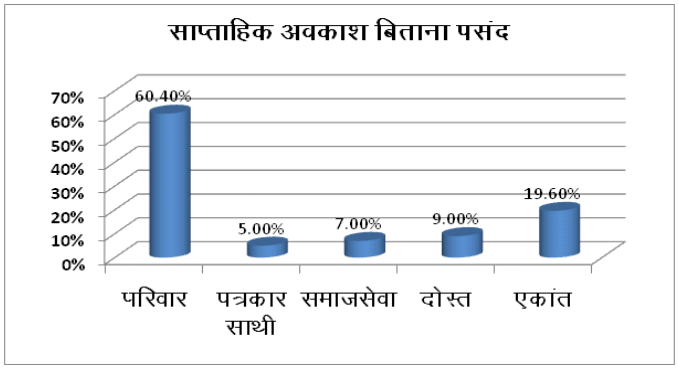

ग्राफ-8 के अनुसार कुल 500 उत्तरदाताओं में 302 यानी 60.4 प्रतिषत परिवार के साथ अपना सप्ताह अवकाश बिताना पसंद करते हैं। वहीं 20 यानी 4 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पत्रकार साथी के साथ, 35 यानी 7 प्रतिषत लोगों ने साप्ताहिक अवकाश वाले दिन समाजसेवा का कार्य करना पसंद किया। वहीं 45 यानी 9 प्रतिशत पत्रकार सप्ताहिक छुट्टी का दिनभर दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं, और 98 उत्तरदाता यानी 19.6 प्रतिशत पत्रकार साप्ताहिक अवकाश के दिन एकांत में रहना चाहते हैं। मीडिया संस्थानों में कार्यरत ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या बहुत अधिक हैं जो साप्ताहिक अवकाश के दिन को परिवार के साथ गुजारना अधिक पसंद करते हैं। वहीं

ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या बहुत कम हैं जो सप्ताह में मिलने वाली एक दिन की छुट्टी को अपने पत्रकार साथी, समाजसेवा, दोस्तों और एकांत में बिताते हैं।

ग्राफ9. उत्तरदाताओं के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा

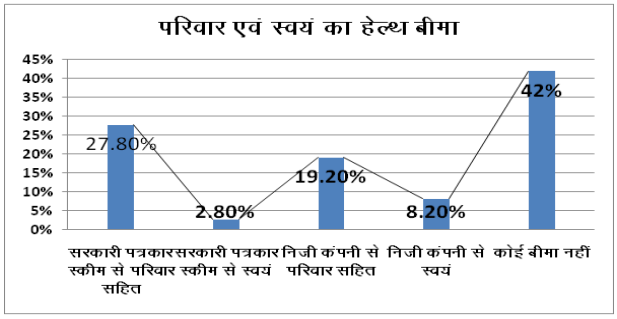

ग्राफ-9 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 139 यानी 27.8 प्रतिशत ने स्वयं एवं परिवार के सदस्यों का सरकारी पत्रकार स्कीम के तहत स्वास्थ्य बीमा करा रखा हैं, वहीं 14 यानी 2.8 प्रतिशत पत्रकारों ने सरकारी स्कीम के माध्यम से केवल स्वयं का हेल्थ बीमा, 96 यानी 19.2 प्रतिशत पत्रकारों ने परिवार के सदस्यों सहित स्वयं का स्वास्थ्य बीमा निजी कंपनियों से कराया हुआ हैं। 41 उत्तरदाताओं यानी 8.2 प्रतिशत पत्रकारों ने निजी कंपनी से केवल स्वयं का स्वास्थ्य बीमा कराया हैं। जबकि 210 उत्तरदाताओं यानी 42 प्रतिशत मध्यप्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों ने न तो स्वयं का और न ही अपने परिवार के सदस्यों को सरकारी पत्रकार स्कीम एवं निजी कंपनी दोनों जगहों से स्वास्थ्य बीम नहीं कराया हैं। हालांकि स्वास्थ्य बीमा न करने वालों की तुलना में बीमा कराने वालों की संख्या बहुत अधिक हैं। इसमें एक अच्छी बात ये सामने आई है कि मध्यप्रदेश शासन जनसम्पर्क विभाग द्वारा संचालित सरकारी पत्रकार बीमा योजना के तहत स्वयं एवं परिवार के सदस्यों का बीमा कराने वालों की संख्या निजी कंपनी से बीमा कराने वालों की तुलना में अधिक हैं। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का श्रमजीवी पत्रकार लाभ उठा रहे हैं।

ग्राफ10. पत्रकारिता में करियर बनाने हेतु परिवार के बच्चे को प्रेरित करना

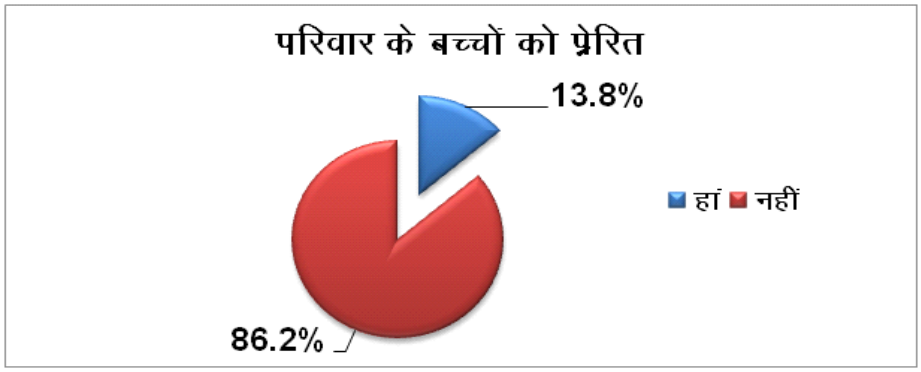

ग्राफ-10 के अनुसार कुल 500 उत्तरदाताओं में से 69 यानी 13.8 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों ने हां कहा कि वह अपने परिवार के बच्चों को पत्रकारिता पेशे में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जबकि 431 यानी 86.2 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों ने मना किया है कि वह बिलकुल भी अपने बच्चों को पत्रकारिता पेशे में करियर बनाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। मीडिया संस्थानों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों जो अपने बच्चों को इस पेशे में नहीं लेकन आने वालों की संख्या बहुत अधिक हैं। जबकि बहुत कम संख्या ऐसे पत्रकारों की हैं जो अपने बच्चों को इस पेशे में लाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि श्रमजीवी पत्रकार इस पेशे को अच्छा नहीं मानते है और वह परिस्थितिवश पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं।

ग्राफ-11. दूसरी नौकरी मिलने पर पत्रकारिता छोड़ने महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं के विचारों की तुलना

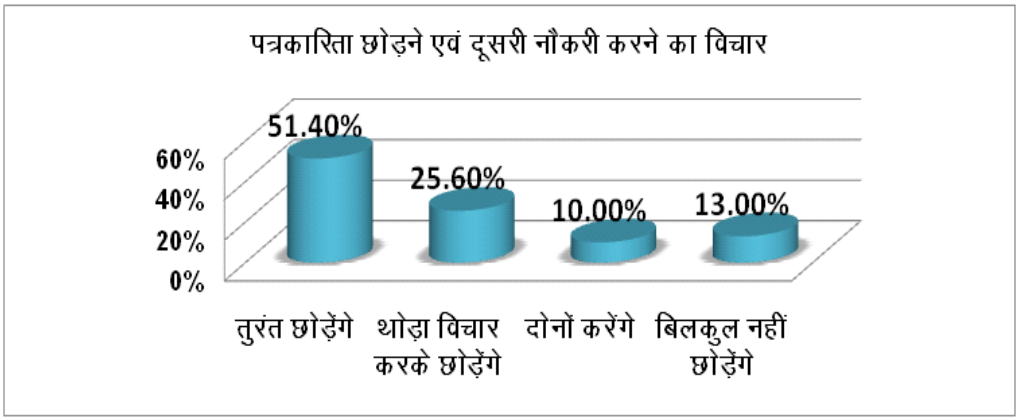

ग्राफ-11 के अनुसार कुल 500 उत्तरदाताओं में से 257 श्रमजीवी पत्रकार यानी 51.4 प्रतिशत दूसरी अच्छी नौकरी मिलने पर पत्रकारिता तुरंत छोड़ने चाहते हैं। इसमें से 32 यानी 50.8 प्रतिशत महिला श्रमजीवी पत्रकार हैं और 225 यानी 51.8 प्रतिशत पुरूष श्रमजीवी पत्रकार शामिल हैं। वहीं 128 उत्तरदाताओं ने यानी 25.6 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों ने कहा कि दूसरी नौकरी मिलने पर वह एकदम से नहीं बल्कि थोड़ा विचार करके पत्रकारिता छोड़ना चाहते हैं। इसमें से 23 उत्तरदाता यानी 36.5 प्रतिशत महिला पत्रकार एवं 105 उत्तरदाता यानी 24 प्रतिशत पुरूष पत्रकार हैं। 50 उत्तरदाताओं यानी 10 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों ने पत्रकारिता के साथ-साथ मिलने वाली दूसरी नौकरी दोनों करेंगे। इसमें 5 उत्तरदाता यानी 7.9 प्रतिशत महिला पत्रकार एवं 42 उत्तरदाता यानी 10.3 पुरूष पत्रकार शामिल हैं । वहीं 65 उत्तरदाताओं ने यानी 13 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों ने कहा कि वह दूसरी नौकरी करने के लिए पत्रकारिता को बिलकुल भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात् वह पत्रकारिता ही करेंगे। इसमें 3 उत्तरदाता यानी 4.8 प्रतिशत महिला श्रमजीवी पत्रकार एवं 64 उत्तरदाता यानी 14.2 प्रतिशत पुरूष श्रमजीवी पत्रकार हैं। मीडिया संस्थानों में कार्यरत ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या बहुत अधिक हैं जो अच्छी दूसरी नौकरी मिलने पर पत्रकारिता को तुरंत छोड़कर करना चाहते हैं।

निष्कर्ष :

✍ अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मीडिया संस्थानों में कार्यरत में श्रमजीवी पत्रकारों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं हैं। समाज में विशेष सम्मान एवं पहचान पाने की इच्छा, और पत्रकारिता की चकाचौंद को देखकर अधिकतर लोग इस पेशे में आए हैं। देश और समाज में कुछ करने की इच्छा लेकर पत्रकारिता पेशे में आने वालों की संख्या बहुत कम हैं। कुछ लोग इस पेशे से अपनी जीविका का मुख्य साधन मानकर आए हैं तो कुछ पत्रकार बिना किसी पूर्व उद्देश्य के अचानक। हालांकि तथ्यों से साफहै कि अधिकतर पत्रकार अच्छे उद्देश्य लेकर ही पत्रकारिता में आते हैं, लेकिन बाद में भले ही उन्हें परिस्थितिवश हालातों से समझौता करना पड़ता हैं। इससे पत्रकारों की ये धारणायें सामने आई है कि यदि उन्हें अच्छा माहौल, निर्धारित वेजबोर्ड मजदूरी दर से वेतनमान और बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं तो वह पत्रकारिता के मूल्यों और दायित्वों का सम्मान करेंगे। ऐसा होने पर वर्तमान पत्रकारों के उद्देश्यों में भटकाव की स्थिति, अवसरवादी और पत्रकारिता से स्वयं का हित साधने के तथ्य अपने आप में शून्य हो जाते हैं।

✍ तथ्यों के अनुसार 37.2 प्रतिषत श्रमजीवी पत्रकारों ऐसे हैं जिन्हें मात्र 5–15 हजार रूपए प्रतिमाह वेतन मिल रहा हैं। सिर्फ2.8 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों को 66 हजार रूपए से अधिक प्रतिमाह वेतन मिल रहा हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हैं। अधिकतर पत्रकार अपने वेतनमान से असंतुष्ट हैं। 86.2 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार अपने परिवार के बच्चों को पत्रकारिता के पेशे में लाना नहीं चाहते हैं। उन्हें पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी नहीं करना चाहते। अधिकतर पत्रकारों को बहुत कम वेतनमान मिल रहा हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन बेहतर नहीं हैं।

✍ आंकड़ों के अनुसार 51.4 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार दूसरी नौकरी मिलने पर तुरंत पत्रकारिता को छोड़ना करना चाहते हैं। इससे साफहै कि अधिकतर पत्रकार अपने इस पेशे से संतुष्ट नहीं हैं। 351 यानी 70.2 प्रतिषत उत्तरदाताओं के लिए पत्रकारिता आजीविका का मुख्य साधन है। हालांकि कि तथ्यों के अनुसार मीडिया की चकाचौंध को देखकर आ तो गए लेकिन जब वह इस पेशे से संतुष्ट नहीं हैं। जिन्होंने बाद में पत्रकारिता को शौकिया से आजीविका के मुख्य साधन के रूप में अपना लिया।

✍ तथ्यों के अनुसार मात्र 27.8 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों ने सरकारी पत्रकार स्कीम बीमा के तहत स्वयं एवं परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा कराया हैं। इसमें एक अच्छी बात ये सामने आई है कि मध्यप्रदेश शासन जनसम्पर्क विभाग द्वारा संचालित सरकारी पत्रकार बीमा योजना का लाभ श्रमजीवी पत्रकार उठा रहे हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम हैं। श्रमजीवी पत्रकारों की सबसे बड़ी समस्यां ये है कि उन्हें निर्धारित कार्य के घंटे से अधिक काम करना पड़ता हैं। 43.3 प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारों 9–11 घंटे और 36.6 प्रतिशत पत्रकार 12 घंटे से अधिक काम करते हैं। इससे पत्रकारों के मानसिक और शारीरिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

✍ अध्ययन में सामने आया है कि 302 यानी 60.4 प्रतिषत श्रमजीवी पत्रकार अपने साप्ताहिक अवकाष वाले दिन को परिवार के साथ बिताना अधिक पसंद करते हैं। आकड़ें यह बताते हैं कि श्रमजीवी पत्रकार अपने पेशे में इतने व्यस्त रहते हैं कि परिवार को वह समय ही नहीं दे पाते हैं। समयभाव के कारण वह अकसर सामाजिक जीवन के कार्यक्रमों में शामिल ही नहीं हो पाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ

" https//www.iiste.org/date/17 june, 2015.
" https//www.wipf.org/date/9july,2015.
" https//www.ijird.com/date/ nov.2015/ vol-4-issue12.
" https//www.media effects lecture2.doc/date/10 may, 2014.
" https www.indianresearchjournals.com/7 feb, 2014
" https//Jmcq.sagepub.com/ 6 june, 2013.
" https//AmericanJournalistSurvey.com/ 17jan, 2014.
" https// ShodhGanga.com/date/15 jun, 2015.
" https// WageIndiacator.org/ 17jun, 2015.
" जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन पत्रिका,(जेएमसीक्यू डॉट सेजपब्लिकेषन डॉट काम),अंक, वर्ष 2015.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

गोंड जनजाति में गतिशिलता (सामाजिक पहल)

श्रीमती अंजली गढ़वाल सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग
शास. महाविद्यालय रेहटी जिला सीहोर
डॉ. शैलजा दुबे
प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
एक्सीलेंस संस्थान कोलार रोड, भोपाल

गोंड (जनजाति), भारत की एक प्रमुख जनजाति हैं। गोंड भारत के कटि प्रदेश ङ्क विंध्यपर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम – में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहनेवाली आस्ट्रोलायड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जनजाति, जो संभवत- पाँचवीं–छठी शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों और जंगलों में फैल गई। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समूह हैं जो जंगलों में प्राय- नंगे घूमते और अपनी जीविका के लिये शिकार तथा वन्य फल मूल पर निर्भर हैं। गोंडों की जातीय भाषा गोंडी है जो द्रविड़ परिवार की है और तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबन्धित है।

परिचय–बूड़ादेव, दुल्लादेव, घनश्यामदेव, बूड़ापेन (सूर्य) और भीवासू गोंडों के मुख्य देवता हैं। इनके अतिरिक्त फसल, शिकार, बीमारियों और वर्षा आदि के भिन्न भिन्न देवी देवता हैं। इन देवताओं को सूअर, बकरे और मुर्गे आदि की बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। गोंडों का भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास है और इनके जीवन में जादू टोने की भरमार है। किंतु बाहरी जगत के संपर्क के प्रभावस्वरूप इधर इसमें कुछ कमी हुई है। अनेक गोंड लंबे समय से हिंदू धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में हैं और कितनी ही जातियों तथा कबीलों ने बहुत से हिंदू विश्वासों, देवी देवताओं, रीति रिवाजों तथा वेशभूषा को अपना लिया है। कोईतोर गोंडी पुरानी प्रथा के अनुसार मृतकों को दफनाया जाता है, किंतु बड़े और धनी लोगों के शव को जलाया जाने लगा है। स्त्रियाँ तथा बच्चे दफनाए जाते हैं।

आस्ट्रोलायड नस्ल की जनजातियों की भाँति विवाह संबंध के लिये गोंड भी सर्वत्र दो या अधिक बड़े समूहों में बंटे रहते हैं। एक समूह के अंदर की सभी शांखाओं के लोग 'भाई बंद' कहलाते हैं और सब शाखाएँ मिलकर एक बहिर्विवाही समूह बनाती हैं। कुछ क्षेत्रों से पाँच, छह और सात देवताओं की पूजा करनेवालों के नाम से ऐसे तीन समूह मिलते हैं

गोंड खेतिहर हैं और परंपरा से दहिया खेती करते हैं जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहाँ से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते हैं। किंतु

सरकारी निषेध के कारण यह प्रथा बहुत कम हो गई है। समस्त गाँव की भूमि समुदाय की सपत्ति होती है और खेती के लिये व्यक्तिगत परिवरों को आवश्यकतानुसार दी जाती है। दहिया खेती पर रोक लगने से और आबादी के दबाव के कारण अनेक समूहों को बाहरी क्षेत्रों तथा मैदानों की ओर आना पड़ा। किंतु वनप्रिय होने के कारण गोंड समूह शुरू से खेती की उपजाऊ जमीन की ओर आकृष्ट न हो सके और धीरे धीरे बाहरी लोगों ने इनके इलाकों की कृषियोग्य भूमि पर सहमतिपूर्ण अधिकार कर लिया। इस दृष्टि से दो प्रकार के गोंड मिलते हैं = एक तो वे हैं जो सामान्य किसान और भूमिधर हो गए हैं, जैसे राजगोंड, रघुवल, डडवे और कतुल्या गोंड। दूसरे वे हैं जो मिले जुले गाँवों में खेत मजदूरों, भाड़ झोंकने, पशु चराने और पालकी ढोने जैसे सेवक जातियों के काम करते हैं।

गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है जहाँ 15वीं तथा 17वीं शताब्दी के बीच गोंड राजवंशों के शासन स्थापित थे। किंतु गोंडों की छिटपुट आबादी समस्त मध्यप्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र और बिहार राज्यों में से प्रत्येक में दो से लेकर चार लाख तक गोंड हैं। असम के चाय बगीचोंवाले क्षेत्र में 50 हजार से अधिक गोंड आबाद हैं। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी गोंड आबाद हैं। गोंडों की कुल आबादी 30 से 40 लाख के बीच आँकी जाती है, यद्यपि सन? 1941 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 25 लाख है। इसका कारण यह है कि अनेक गोंड जातियाँ अपने को हिंदू जातियों में गिनती हैं। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी कुछ गोंड जातियाँ हैं जो हिंदू समाज का अंग बन गई हैं। गोंड जातियाँ हिंदू जातीय समाज के प्रायः निम्न स्तर पर स्थित हैं और कुछ की गिनती अछूतों में भी होती है। गोंड लोग अपने को 12 जातियों में विभक्त मानते हैं। किंतु उनकी 50 से अधिक जातियाँ हैं जिनमें ऊँच नीच का भेदभाव भी है।

वास्तव में गोंडों को शुद्ध रूप में एक जनजाति कहना कठिन है। इनके विभिन्न समूह सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर हैं और धर्म, भाषा तथा वेशभूषा संबंधी एकता भी उनमें नहीं है; न कोई ऐसा जनजातीय संगठन है जो सब गोंडों को एकता के सूत्र में बाँधता हो। उदाहरणार्थ राजगोंड अपने को हिंदू और क्षत्रिय कहते हैं तथा उन्हीं की भाँति रहते हैं। अन्य अनेक समूह गोंडी भाषा तथा पुराने जनजातीय धर्म को छोड़ चुके हैं।

इतिहास–गोडों का भारत की जनजातियों में महत्वपूर्ण स्थान है जिसका मुख्य कारण उनका इतिहास है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक गोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत से दृढ़ दुर्ग, तालाब तथा स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुँचती थी। अभी हाल तक इनके मंडला और गढ़मंडल नाम के दो राज्य रहे हैं। गोंडवाने की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड जनजाति की ही थी।

गोंडों का नाम प्रायः खोंडों के साथ लिया जाता है जैसे भीलों का कोलों के साथ। यह संभवतः उनके भौगोलिक सांन्निध्य के कारण है।

कोईतोरगोंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी –ग्रह पर मनुष्य, परन्तु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में खोज का विषय है। यहाँ गोंड जनजाति के प्राचीन निवास के क्षेत्र में आदि के शाक्ष्य उपलब्ध है। गोंड समुदाय द्रविढ़वर्ग के माने जाते है, जिनमे जाती व्यस्था नही थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में कोई 5–

6 हजार वर्ष पूर्व से निवासरत है। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है की गोंड जाती का सम्बन्ध सिन्धु घटी की सभ्यता से भी रहा है।

गोंडवाना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथाओं को आज भी गोंडी, हल्बी व भतरी लोकगीतों में बड़े गर्व के साथ गया जाता है। आज भी कई पारंपरिक उत्सवों में गोंडवाना राज्य के किस्से कहानियो को बड़े चाव से सुनकर उनके वैभवशाली इतिहास की परम्परा को याद किया जाता है। प्राचीन भूगोलशास्त्र के अनुससार प्राचीन विश्व के दो भूभाग को गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के नाम से जन जाता है। गोंडवाना लैंड आदिकाल से निवासरत गोंड जनजाति के कारण जन जाता था, कालांतर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने-अपने राज्य विकसित किए, जिनमे से नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित गढ़मंडला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। रजा संग्राम शाह इस साम्राज्य के पराक्रमी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार व नए-नए किलों का निर्माण किया। 1541 में राजा संग्राम की मृत्यु पश्चात् कुंवर दल्पत्शाह ने पूर्वजों के अनुरूप राज्य की विशाल सेना में इजाफा करने के साथ-साथ राज्य का सुनियोजित रूप से विस्तार व विकास किया।

स्थापना-गोंडी धर्म की स्थापना पारी कुपार लिंगो ने शम्भूशेक के युग में की थी। गोंडी धर्म कथाकारों के अनुसार शम्भूशेक अर्थात महादेवजी का युग देश में आर्यों के आगमन से पहले हुआ था। इस काल से ही कोया पुनेम धर्म का प्रचार हुआ था। गोंडी बोली में कोया का अर्थ मानव तथा पुनेम का अर्थ धर्म अर्थात मानव धर्म। आज से हजारों वर्ष पूर्व से गोंड जनजातियों द्वारा मानव धर्म का पालन किया जा रहा है। अर्थात गोंडी संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम।

गोंडी मान्यताएँ-भारतीय समाज के निर्माण में गोंड संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोंडी संस्कृति की नींव पर भारतीय संस्कृति खड़ी है। गोंडवाना भूभाग में निवासरत गोंड जनजाति की अदभुत चेतना उनकी सामाजिक प्रथाओं , मनोवृत्तियों, भावनाओं आचरणों तथा भौतिक पदार्थों को आत्मसात करने की कला का परिचायक है, जो विज्ञानं पर आधारित है। समस्त गोंड समुदाय को पहांदी कुपार लिंगो ने कोया पुनेम के मध्यम से एक सूत्र में बंधने का काम किया। धनिकसर (धन्वन्तरी) नामक गोंड विद्वान् ने रसायन विज्ञान अवं वनस्पति विज्ञान का तथा हीरा सुका ने सात सुरों का परिचय कराया था।

भाषा-गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा अति पाचं भाषा होने के कारन अनेक देशी विदेशी भाषाओं की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्य देव शम्भू शेक के डमरू से हुई है, जिसे गोएन्दाधि वाणी या गोंदवानी कहा जाता है। अति प्राचीन भाषा होने की वजह से गोंडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि है, व्याकरण है जिसे समय-समय पर गोंडी साहित्यकारों ने पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित किया है। गोंडवाना साम्राज्य के वंशजो को अपनी भाषा लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा समाज की माँ होती है, इसलिए इसे मातृभाषा के रूप में आदर भी दिया जाता है। गोंदियाँ समाज की अपनी मातृभाषा गोंडी है, जिसे आदर और सम्मान से भविष्यनिधि के रूप में संचय करना चाहिए।

अध्ययन की उपलब्धियों से यह पता चलता है कि उनके सांस्कृतिक स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है.उनकी

भौतिक एवम् आध्यात्मिक संस्कृति में काफी अंतर आया है.भौतिक संस्कृति में नयी सामग्रियों तथा नए ढंग की वस्तुएं,प्रसाधन सामग्री,वस्त्र आदि का समावेश हो चुका है.इससे इनकी अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक व्यय के कारण संतुलन हो गया है.परंपरागत विवाह एवम् यौन सम्बन्धी व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है.और इनके परम्परागत नियम टूट रहे है.उनकी अपनी परंपरागत संस्थाओं तथा युवागृह का अस्तित्व समाप्त हो जाने के कारण उनकी संस्कृति के बारे में मौखिक शिक्षा देने वाली संस्था का अंत हो गया है.इस प्रकार गोंड जनजाति के सम्मुख सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन की समस्या आ खड़ी हुई है. इस पुस्तक की महत्ता सैद्धांतिक व् व्यवहारिक दोनों स्तरों पर है.त्रिशास्त्र का अध्येता होने के कारण लेखक ने गोंड जनजाति की संस्कृति में परिवर्तन विषयक सभी आयामों को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है.यह पुस्तक मानवशास्त्र एवम् समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के साथ ही साथ समाजवैज्ञानिकों और प्रशासकों को भी उपयोगी तथ्य एवम् सूचनाएं प्रस्तुत करने में सफल होगी.

बड़ादेव (सृजन करने वाली शक्ति), दुल्हा दुल्ही देव (शादी विवाह सूत्र में बाँधने वाला देव), पंडा पंडिन (रोग दोष का निवारण करने वाला देव), बूड़ादेव (बूढाल पेन) कुलदेवता या पुरखा, जिसमे उनके माता पिता को भी सम्मिलित किया जाता है, नारायण देव (सूर्य) और भीवासू गोंडों के मुख्य देवता हैं। इनके अतिरिक्त ग्रामों में ग्राम देवता के रूप में खेरमाई (ग्राम की माता), ठाकुर देव, खीला मुठ्वा, नारसेन (ग्राम की सीमा पर पहरा देने वाला देव), ग्राम के लोगों की सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा, शिकार, बीमारियों और वर्षा आदि के भिन्न भिन्न देवी देवता हैं। इन देवताओं को बकरे और मुर्गे आदि की बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। गोंडों का भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास है और इनके जीवन में जादू टोने की भरमार है। किंतु बाहरी जगत के संपर्क के प्रभावस्वरूप इधर इसमें कुछ कमी हुई है। अनेक गोंड लंबे समय से हिंदू धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में हैं और कितनी ही जातियों तथा कबीलों ने बहुत से हिंदू विश्वासों, देवी देवताओं, रीति रिवाजों तथा वेशभूषा को अपना लिया है। पुरानी प्रथा के अनुसार मृतकों को दफनाया जाता है, किंतु बड़े और धनी लोगों के शव को जलाया जाने लगा है। स्त्रियाँ तथा बच्चे दफनाए जाते हैं।

आस्ट्रोलायड नस्ल की जनजातियों की भाँति विवाह संबंध के लिये गोंड भी सर्वत्र दो या अधिक बड़े समूहों में बंटे रहते हैं। एक समूह के अंदर की सभी शांखाओं के लोग भाई बंद कहलाते हैं और सब शाखाएँ मिलकर एक बहिर्विवाही समूह बनाती हैं। कुछ क्षेत्रों से पाँच, छह और सात देवताओं की पूजा करनेवालों के नाम से ऐसे तीन समूह मिलते हैं। विवाह के लिये लड़के द्वारा लड़की को भगाए जाने की प्रथा है। भीतरी भागों में विवाह पूरे ग्राम समुदाय द्वारा संपन्न होता है और वही सब विवाह संबंधी कार्यो के लिये जिम्मेदार होता है। ऐसे अवसर पर कई दिन तक सामूहिक भोज और सामूहिक नृत्यगान चलता है। हर त्यौहार तथा उत्सव का मद्यपान आवश्यक अंग है। वधूमूल्य की प्रथा है और इसके लिए बैल तथा कपड़े दिए जाते हैं।

युवकों की मनोरंजन संस्था - गोतुल का गोंडों के जीवन पर बहुत प्रभाव है। बस्ती से दूर गाँव के अविवाहित युवक एक बड़ा घर बनाते हैं। जहाँ वे रात्रि में नाचते, गाते और सोते हैं; एक ऐसा ही घर अविवाहित युवतियाँ भी तैयार करती हैं। बस्तर के मारिया गोंडों में अविवाहित युवक और युवतियों का एक ही कक्ष होता है जहाँ वे मिलकर नाचगान करते हैं।

गोंड खेतिहर हैं और परंपरा से दहिया खेती करते हैं जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहाँ से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते हैं। किंतु सरकारी निषेध के कारण यह प्रथा बहुत कम हो गई है। समस्त गाँव की भूमि समुदाय की सपत्ति होती है और खेती के लिये व्यक्तिगत परिवरों को आवश्यकतानुसार दी जाती है। दहिया खेती पर रोक लगने से और आबादी के दबाव के कारण अनेक समूहों को बाहरी क्षेत्रों तथा मैदानों की ओर आना पड़ा। किंतु वनप्रिय होने के कारण गोंड समूह शुरू से खेती की उपजाऊ जमीन की ओर आकृष्ट न हो सके और धीरे धीरे बाहरी लोगों ने इनके इलाकों की कृषियोग्य भूमि पर सहमतिपूर्ण अधिकार कर लिया। इस दृष्टि से गोंड कि चार बड़ी उपजाति मिलती हैं = एक तो वे हैं जो सामान्य किसान और भूमिधर हो गए हैं, जैसे–= राजगोंड, रघुवल, डडवे और कतुल्या गोंड। दूसरे वे हैं जो मिले जुले गाँवों में खेत मजदूरों, भाड़ झोंकने, पशु चराने और पालकी ढोने जैसे सेवक जातियों के काम करते हैं।

गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है जहाँ 15वीं तथा 17वीं शताब्दी के बीच गोंड राजवंशों के शासन स्थापित थे। किंतु गोंडों की छिटपुट आबादी समस्त मध्यप्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र और बिहार राज्यों में से प्रत्येक में दो से लेकर चार लाख तक गोंड हैं। असम के चाय बगीचोंवाले क्षेत्र में 50 हजार से अधिक गोंड आबाद हैं। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी गोंड आबाद हैं। गोंडों की कुल आबादी 30 से 40 लाख के बीच आँकी जाती है, यद्यपि सन्? 1941 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 25 लाख है। इसका कारण यह है कि अनेक गोंड जातियाँ अपने को हिंदू जातियों में गिनती हैं। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी कुछ गोंड जातियाँ हैं जो हिंदू समाज का अंग बन गई हैं। गोंड जनजाति के लोग अपने को 12 जातियों में विभक्त हैं। किंतु उनकी 50 से अधिक उपजातियाँ हैं जिनमें ऊँच नीच का भेदभाव भी है।

वास्तव में गोंडों को शुद्ध रूप में एक जनजाति कहना कठिन है। इनके विभिन्न समूह सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर हैं और धर्म, भाषा तथा वेशभूषा संबंधी एकता भी उनमें नहीं है; न कोई ऐसा जनजातिय संगठन है जो सब गोंडों को एकता के सूत्र में बाँधता हो। उदाहरणार्थ राजगोंड समाज क्षत्रिय हैं । अन्य अनेक समूह गोंडी भाषा तथा पुराने जनजातीय धर्म को छोड़ चुके हैं। इनका इतिहास बहुत गौरवशाली है। राजगोंडो ने हिंदू धर्म अपना लिया है और कुछ ने इस्लाम को चुना है।

गोंडो का भारत की जनजातियों में महत्वपूर्ण स्थान है जिसका मुख्य कारण उनका इतिहास है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक गोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत से दृढ़ दुर्ग, तालाब तथा स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुँचती थी। 15 वीं शताब्दी में चार महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे। जिसमें खेरला, गढ मंडला, देवगढ और चाँदागढ प्रमुख थे। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवगढ से नागपुर स्थानांतरित किया था। गोंडवाने की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड जनजाति की ही थी।

आदिवासी गोंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी –ग्रह पर मनुष्य, परन्तु लिखित इतिहास के

प्रमाण के अभाव में खोज का विषय है। यहाँ गोंड जनजाति के प्राचीन निवास के क्षेत्र में आदि के शाक्ष्य उपलब्ध है। गोंड समुदाय द्रविढ़वर्ग के माने जाते है, जिनमे जाती व्यस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में कोई 5-6 हजार वर्ष पूर्व से निवासरत है। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड जाती का सम्बन्ध सिन्धु घटी की सभ्यता से भी रहा है।

प्राचीन गोंडवाना का नक्शा

गोंडवाना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथाओं को आज भी गोंडी, हल्बी व भतरी लोकगीतों में बड़े गर्व के साथ गया जाता है। आज भी कई पारंपरिक उत्सवों में गोंडवाना राज्य के किस्से कहानियो को बड़े चाव से सुनकर उनके वैभवशाली इतिहास की परम्परा को याद किया जाता है। प्राचीन भूगोलशास्त्र के अनुससार प्राचीन विश्व के दो भूभाग को गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के नाम से जन जाता है। गोंडवाना लैंड आदिकाल से निवासरत गोंड जनजाति के कारण जन जाता था, कालांतर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने-अपने राज्य विकसित किए, जिनमे से नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित गढ़मंडला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। राजा संग्राम शाह इस साम्राज्य के पराक्रमी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार व नए-नए किलों का निर्माण किया। 1541 में राजा संग्राम की मृत्यु पश्चात् कुंवर दल्पत्शाह ने पूर्वजों के अनुरूप राज्य की विशाल सेना में इजाफा करने के साथ-साथ राज्य का सुनियोजित रूप से विस्तार व विकास किया।

गोंड धर्म की स्थापना पारी कुपार लिंगो ने शम्भूशेक के युग में की थी। गोंडी धर्म कथाकारों के अनुसार शम्भूशेक अर्थात महादेवजी का युग देश में आर्यों के आगमन से पहले हुआ था। महादेवों की 88 पीढ़ियों का उल्लेख गोंडी गीत (पाटा), कहानी, किस्से में मौखिक रूप से मिलते हैं। महादेवों की 88 पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी शंभू-मूला मध्य पीढ़ी में शंभू-गौरा एवं अंतिम पीढ़ी में शंभू-पार्वती का नाम आता है। प्रमुखत: शंभू-मूला, शंभू-गोंदा, शंभू-सय्या, शंभू-रमला, शंभू-बीरो, शंभू-रय्या, शंभू-अनेदी, शंभू-ठम्मा, शंभू-गवरा, शंभू-बेला, शंभू-तुलसा, शंभू-आमा, शंभू-गिरजा, शंभू-सति आदि तथा अंत में शंभू-पार्वतीद्ध की जोड़ी का उल्लेख मिलता है। इन महादेवों की पीढ़ी के साथ अनेक लिंगों (धर्म गुरुओं) की गाथाएं भी मिलती है। इन 88 महादेवों की गोंडवाना भूभाग पर अधिसत्ता की कालावधि ईशा पूर्व लगभग 5,000 वर्ष के पूर्व 10,000 वर्षों की बताई गई है। इस काल से ही कोया पुनेम धर्म का प्रचार हुआ था। गोंडी बोली में कोया का अर्थ मानव तथा पुनेम का अर्थ धर्म अर्थात मानव धर्म। आज से हजारों वर्ष पूर्व से गोंड जनजातियों द्वारा मानव धर्म का पालन किया जा रहा है। अर्थात गोंडी संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम।

गोंडी मान्यताएँ

भारतीय समाज के निर्माण में गोंड संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोंडी संस्कृति की नींव पर भारतीय संस्कृति खड़ी है। गोंडवाना भूभाग में निवासरत गोंड जनजाति की अदभुत चेतना उनकी सामाजिक प्रथाओं, मनोवृत्तियों, भावनाओं आचरणों तथा भौतिक पदार्थों को आत्मसात करने की कला का परिचायक है, जो विज्ञानं पर आधारित है। समस्त गोंड समुदाय को पहांदी कुपार लिंगो ने कोया पुनेम के मध्यम से एक सूत्र में बंधने का काम किया। धनिकसर (धन्वन्तरी) नामक गोंड विद्वान् ने रसायन विज्ञान अवं वनस्पति विज्ञान का तथा हीरा

सुका ने सात सुरों का परिचय कराया था। गोंड जनजाति के लोग कुशलता का परिचय देते हुए अपने जीवन को सहजता से निभाते हैं, यह लोग कॉफ़ी अंधविश्वास या (झाड़,फूंक) में भी भरोसा रखते हैं।

गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा अति पाचं भाषा होने के कारण अनेक देशी – विदशी भाषाओं की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्य देव शम्भू शेक के डमरू से हुई है, जिसे गोएन्दाणी वाणी या गोंडवाणी कहा जाता है। अति प्राचीन भाषा होने की वजह से गोंडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि है, व्याकरण है जिसे समय-समय पर गोंडी साहित्यकारों ने पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित किया है। गोंडवाना साम्राज्य के वंशजो को अपनी भाषा लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा समाज की माँ होती है, इसलिए इसे मातृभाषा के रूप में आदर भी दिया जाता है। गोंडियन समाज की अपनी मातृभाषा गोंडी है, जिसे आदर और सम्मान से भविष्यनिधि के रूप में संचय करना चाहिए। गोंडो द्वारा बोली जाने वाली भाषा को गोंडी अथवा पारसी कहा जाता है। एक चीज और गोंड जनजाति में परधान जाति कहते हैं वहाँ वहां प्रधान नेगी जनजाति वहां देव पूजने का कार्य करते हैं और प्रधान नेगी का अब नाम बिगड़ कर परधान हो गया है लेकिन वहां परधान नहीं वहां नेगी है नेगी के बिना आज भी देव पूजन का कार्य गोंडवाना समाज में नहीं होता है।

सन्दर्भ

"Madhya Pradesh: Data Highlights the Scheduled Tribes". Census of India 2001. Census Commission of India. अभिगमन तिथि 2008-03-06.

http://www.indiatogether.org/2005/jul/hlt-attappadi.htm#sthash.dpuf, Accessed on 23th January 2013.

सांस्कृतिक-परिवर्तन-Janjati-Ssnskritik-Parivartan/dp/~380550138

http://www.sociologyguide.com/tribal-society/problems-of-tribal.php

https://gondsamajmahasabhamp.wordpress.com/2017/03/26/asd/

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

''जहाँक़दर चुग़ताई के गीत''

डॉ. कु. मुबश्शिरह अरह अंसारी
उच्च श्रेणी शिक्षक (स्कूल शिक्षा विभाग) म.प्र. शासन

जहाँक़दर चुग़ताई ने कौमी तराने या भक्ति गीत तो बाक़ायदीगी के साथ बहुत लिखे हैं लेकिन उनके अलावा नअत, भजन, कसीदा, करसिया, रूमानी मोज़आती मौसमी हर किस्म के गीत लिखे हैं, सियासि कतआत और दीग़र असनाफें सखून में भी कलम चलाया है सहरे विदाई गीत और बच्चों के मुतालिक़ सब कुछ लिखा है। एक दफ़ा मैंने जहाँ कदर चुग़ताई से फिल्म में जाने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब में ये दिलचस्व कहानी सुनाई –

मैं मुम्बई जाता तो मुझे वहाँ के फुटपाथ पर ही रहना पड़ता तो मैं मुम्बई गया ही नहीं, मुम्बई बुलाया गया हुआ यूँ कि 1950 में मुज़ममिल खुर्शीद के एक फिल्म ''आखरी पैगाम'' गाँधी जी की ज़िदगी और आज़ादी पर बना रहे थे इस फिल्म में सरूर अली खाँ कोरवाई और ग्वालियर के कोई जागीरदार और कुछ लोग मिलकर इस फिल्म को फाइनेन्स कर रहे थे। इस सिलसिले में हज़रत फतहपूरी भी भोपाल आये थे जहाँ उनसे मेरी मुलाक़ात हुई थी वहीं मेरी मुलाकात मुज़ममिल खुर्शीद से हुई उन्होंने इस फिल्म के सिलसिले में मुझे मुम्बई बुलाया।

होटल में ठहरवाया वहाँ मुझे इस फिल्म में गाने लिखने का इत्तेफाक़ हुआ। इस फिल्म में दो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनमें से एक ज़नज़ीराह के बहुत कड़े उस्ताद आबिद अली खाँ ने कहा कि इस गीत का म्यूज़िक मैं दूँगा और शमशाद बैगम की आवाज़ में यह गीत रिकार्ड करवाऊँगा। इस गीत के अलफाज़ थे –

ऐ चाँद कभी ना छुपना
टूट ना जाए सुन्दर सपना
रैन बड़े बिराह के जैसे
पीत की लम्बी ओर
सब दुनिया को रात डराये
मुझको अपनी भवन
ऐ तारों तूम भी रूकना
ऐ चाँद कभी न छुपना।

मैं खुश था कि मुम्बई मुझे रास आ गई अब मैं भी बड़ा फिल्मी शायर बनकर घर लौटूँगा–लेकिन मुम्बई के कियाम के दौरान एक कुर्बान सेठ रंगून वाला से होटल में मुलाकात हुई उन्होंने पाँच सौ रूपये मुझे दिए और अपने आफिस बुलाया मैं जब कुक़रारीह तारिख पर उनके आफिस पहुँचा तो उन्होंने 200 रूपये देकर मुझसे कहा कि आप मेरे आफिस में एक कोने में बैठ जाना और एक आदमी आएगा और अपनी एक कहानी फिल्म की मुझे सुनाएगा आप उस कहानी को सुनकर वह कहानी मुझे लिखकर दे देना वह शख्स आया और उसने कहानी सुनाई और उस सेठ ने कहा कहानी अच्छी है अब आप अगले महिने आना और फिर इसका सौदा करेंगे वह कहानी सुनाने वाला शख्स अपने हुलये और पोशाक से मुझसे भी गरीब था लेकिन उसकी कहानी बहुत अच्छी थी उसके जाने के बाद मुझ पर ना जाने क्या असर हुआ कि में कुरबान सेठ के टेबिल पर सात रू. छोड़ कर यह कहकर दफ्तर से चला आया कि जो कहानी मैंने सुनी थी वह याद ना रख सकूँगा और मेरा दिल इस फिल्मी दुनिया से उचट गया मैंने जो कुछ फिल्मी सिलसिले में पाया वह यह था कि मेरी मुलाकात इस फिल्मी चक्कर में हन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत से हो गई और वह थे हजरत नियाज़ फतेहपुरी जिनकी सोहबत में मेरे चन्द दिन गुज़रे – इस तरह फिल्मी कम्पनी का दिया हुआ यह सबसे बड़ा तोहफा था।

जहाँक़दर चुग़ताई के गीत पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उनमें हिन्दी गीत कहने का सलीका उर्दू के बनिसबत ज्यादा है बाज लोगों का ख्याल है कि जहाँक़दर चुग़ताई ने जो गीत लिखे हैं उनका अन्दाज अपना है जो गीत निगारी को एक नए रास्ते पर ले जाती है और इसकी वजह उनकी थोड़े बहुत कि हिन्दी शायरी और उर्दू शायरी की वाकफियत और गज़ल के अन्दाज से हिन्दी गीतों में कुदरत पैदा करना भी है जहांक़दर चुग़ताई ने गीत लिखते वकत अलफाज और का बहुत ज्यादा खियाल रखा है हिन्दी गीताकारों और उर्दू गीत लिखने वालों में यह फर्क नज़र आता है लेकिन उर्दू में बहुत कम शायर ऐसे होंगे जिन्होंने जहाँक़दर चुग़ताई की तरह हिन्दी गीतों को एक अलग फन बनाने की कोशिश कि हो, मैं यहाँ जहाँक़दर चुग़ताई के गीतों की तरकीब और अल्फाज़ के इनतेखाब और ख्याल की बंदिश के बारे में चंद गीत के मुखड़े पेश कर रही हूँ जिससे उनके गीतों के बारे में अन्दाज़ा लगाया जा सकेगा मसलन बसंत रूत पर उनके गीत का मुखड़ा है

धनक रंग चोली बसंती चुनरिया
मुझे देखे मुड़ मुड़ के सारी बज़रया

उर्दू में गीत निगारी का फन हिन्दी के जरिये आया है। हिन्दी में अमूमन गीत औरत की ज़ुबान से अदा किए जाते है उर्दू में भी यही तरीका आम तौर पर राईज है– लेकिन जहाँक़दर चुग़ताई ने मदों की जवान से गीतों के अदा करने का फनकारी के खाज़ को कुछ ज्यादा ही आम किया है– उनके बाज़ गीत सिर्फ मरदों की ज़बान से उदा किए गए है– मसलन यह गीत जिस के बोल हैं। ''यह दर्द है क्या यह प्यार है क्या'' इस गीत में शायर ने प्यार और प्यार से पैदा होने वाले दर्द का जिकर करते हुए इस नूक्ते पर गीत को खत्म किया है कि प्यार और प्यार का

दर्द इनसान की समझ से बाहर होता है–

यह दर्द है क्या यह प्यार है क्या
अब तक ना इसे इन्सा समझा
हर बात यक़ीन हो जाती है
खाती है नज़र तब जब धोका
अब तक ना इसे इनसान समझा
यह शबनम, है यह फूलवारी है
यह जीवन की चिन्गारी है
इस आग से यह जीवन संवारा
यह दर्द है क्या .....
यह दर्द है क्या .....

इनसान की ज़िन्दगी का वह ज़माना जब कोई लड़कपन से बलोगियत के दर्द में दाखिल होता है तो बहुत ज़ैसी मुशकलात से दो चार होता है लेकिन जहाँक़दर चुग़ताई ने इस दर्द की केफियत अपने गीत में बड़े सलीक़े से बयान की है। जवानी तो होती है ख्याबो की दुनिया यह दुनिया नशे की शराबो दुनिया छुले बादलों को बहारों को छुलें यह जी चाहता है सितारों को छुले कभी दिन के तूफान कियामत उठा दें कभी मौज बन कर किनारों को छुलूँ जवानी तो होती .....

डराते हमें खूद हमारे ही साया
सभी लोग लगते पराये पराये
कभी फॉस कोई खटकती है दिल में
किसी का बने कोई अपना बनाए जवानी तो होती .....

जहाँक़दर चुग़ताई ने एक गीत में जिन्दगी और मौसीक़ी को जिस अन्दाज से बयान किया है वह बहुत खुबसूरत अन्दाज है कि जिन्दगी को मौसीक़ी से इस तरह मिलाया है कि जिन्दगी साज़ और साज़े जिन्दगी नज़र आने लगती है।

तरबों को सजा फिर तार छेड़े
फिर जीवन का संगीत सूना
कूछ दर्द के मधिम सर बिखरे
तु प्यार की वह मुज़राब लगा
संगीत की मीठी तानों से

यह जीवन रूप निखर आया
इन सात सुरों के पर्दे मे
आकर हे छुपी जीवन माया
संगीत गाया जीवन भी गाया
संसार मे फिर कुछ भी ना रहा
तरबे को सजा .....

इनका एक मशहूर गीत है –

यह हार ऑंसूओ के तुम्हारे लिए हैं
तुम आओ तो यह हार तुम को पहनाएं
मोहब्बत की रंगीन कहानी भी तुम हो
मेरी जिन्दगी और जवानी भी तुम हो
दिए टिमटिमाते तुम्हारे लिए है
तुम आओ तो फिर यह दिए झिलमिलाएँ
यह हार .....

इनके इस गीत में जो नूदरत है वह ऑंसूओं के हार की तरकीब सिर्फ जहॉंक़दर चुग़ताई की इजाद है लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा गौर करना भी जरूरी है हिजर उर्दू शायरी मे बहुत ज्यादा मिलता है हिन्दी शायरी मे भी बिराह के गीत हिन्दी शायरी की जान है– जहॉंक़दर चुग़ताई के इस गीत मे दोनों मदारिस की पुरी पुरी नूमाइंदगी मिलती है जहॉंक़दर चुग़ताई अपने गीत मे एक बात कहते है और वह बात यह है कि दुनिया के लोग अब तक प्यार को नही समझ पाए–चुग़ताई का यह गीत भी मुलाहेज़ा हो –

दुनिया वाले लोग हैं यह
बेकार की बातें करते है
समझें ही नहीं, यह प्यार है क्या
दीपक पे निछावर होते है
पागल तो नहीं यह परवाने
दुनियॉं मे जरासी बातों के
सुनते ही रहे है अफसानें
जलने वाले लोग है .....
फूरसत है कहॉं बेचारों को

जो प्यार की बातें समझेंगे
अपने से नज़र हटती ही नहीं
वह दूर भला क्या देखेंगें
रोने वाले लोग है यह .....
टकराते रहे है पत्थर से
बलोर के नाज़क जामो को
इल्ज़ाम लगाते आए है
यह पिरीत के पाबंद कामो को
हँसने वाले लोग है यह .....

इस गीत मे एक आशिक अपनी ग़मग़ीन जिन्दगी के दुखों को भूल जाने के लिए खुद को सब्र और हिम्मत का पैगाम दे रहा है शायर यह कहना चाहता है कि दुनिया वाले कितने ही दिल दुखाते रहें – आँखों से कितने ही आँसू बहते रहें मगर आशिक अपने सीने में उम्मीदों के नए नए सपनें सजाता रहता है – वह मायूस कभी नही होता।

इन गीतो के अलावा जहाँक़दर चुगताई के यहाँ मुखतलिफ नोइयत के बेंहिसाबं गीत मिलते है जिनमे माझी गीत, जवानी का गीत, बापू तेरी जे जे कार यूवा गीत, बरखा गीत, बगैरह ऐसे गीत हैं, जिनसे जहाँक़दर चुग़ताई की गीत के फन से गेहरी वाक़फियत का भी पता चलता है और फन्नी महारत का बखूबी अन्दाज़ा होता है।

जहाँक़दर चुग़ताई ने गीतों के साथ देहाती लोक गीत कोहेलिया बोले कोहू, कोहू, बन में आग लगाए, मेरे आँगन में लगा है उसका तीर.....

संदर्भ ग्रंथ –

1. ख्याम की मेहफिल – जहाँक़दर चुग़ताई
2. शखसियात – सय्यद मोहमूदूल्हुसैनी
3. नदीम – रोज़नामा
4. शगूफा – हैदराबाद
   नक्शेकलम – जहाँक़दर चुग़ताई

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

''जहाँक़दर चुग़ताई के बच्चों की नज़में''

डॉ. कु. मुबश्शिरह अरह अंसारी
उच्च श्रेणी शिक्षक (स्कूल शिक्षा विभाग) म.प्र. शासन

यह तसलीम शुदा बात है कि किसी भी अदब में बच्चों के लिए अच्छी बातें और अच्छी चीज़े लिखना बहुत दुश्वार काम समझा जाता है बड़े से बड़ा अदीब बहुत बड़ा मुक़ाम पाने के बाद शायद यह पसंद नहीं करता कि वह जिन्दगी के तुर्जबात को एक तरफ करके बच्चा बन जाए और बच्चों के लिए अदब तखलीफ़ करें।

इंग्लिश और दूसरे मुलकों की ज़बान में जैसा रूस, जर्मन, चीन और जापान की जबानो में बच्चों के लिए जो कुछ लिखा गया है वह अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है और आज भी बच्चों के लिए नई कहानियां और नज़में लिखी जा रही हैं। मगर मालूम नहीं क्यों हिन्दुस्तान और खासतौर पर उर्दू जबान में दुनिया के दूसरे मुमालिक जैसी बात नहीं – ऐसा की नही कि उर्दू में बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्दा लिखा गया – बहुत अच्छे लिखने वाले उर्दू को मिले और आज भी यह काम जारी व सारी है – मगर जो बात में कहना चाहती हूँ वह यह है कि हम बच्चों के लिटरेचर को दूसरी ज़बानों इतनी एहिमियत नही देते इसलिए बच्चों के लिए कुछ लिखने में दूसरे मुमालिक की ज़बानो से पीछे रहे हों – उर्दू के शायरों ने माज़ी में भी बहुत कुछ लिखा और आज कल भी लिया जा रहा है – जो बहुत अच्छा है लेकिन वह नाकाफ़ी है।

जहाँक़दर चुग़ताई ने जो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए लिखा उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उनका ताआल्लुक स्कूलों में बच्चों से भी रहा है – लेकिन जितना कम उनके यहां मिलता है वह उनको बच्चों का शायर तो नहीं बनाता लेकिन यह जरूरी है कि वह बच्चों की नफ़सियात और बच्चों के मिज़ाज़ और पसंद का पूरा तजूर्बा रखने वाले उस्ताद कहे जा सकते है। मसलन बच्चों की नज़म में उनके यह अशआर –

घंटी बजती टन टन टन
काम किए जा एक ना सुन
झूठा बुरा है झूठ ना बोलो
लेहले तोलो फिर मुझ खोलो
प्यार की बातें सच्चे मोती
रोल सको तो मोती रोलो
सबसे अच्छी अच्छे है यह गुन
घंटी बजती टन टन टन

नमूने के लिए नजम के कुछ हिस्से यहां दर्ज किए जाते हैं। जैसे –

''अज़रा की गुड़िया''

मुसीबत का घर है यह आफत की पुड़िया
सब ही इसको कहते है अजरा की गुड़िया
मुझे अपनी गुड़िया से बेहद मोहब्बत
जिसे इस से नफरत मुझे उससे नफरत
बहुत खूबसूरत है बेहद हसीन है

कोई इससे बढ़कर जहां में नहीं है
बनाया है मुझको इसी ने तो शातिर
मैं गुड़िया की अपनी रचाऊंगी शादी
बुलाऊंगी मेहमान आएगा काजी
मेरी भोली भाली दुलहया बनेगी
बड़े शर्म से वह लजा कर चलेगी
जब उठेगी डोली मैं गांऊगी डोला
वही के भरा ताक गुड़ियों का छोड़ा
चलेगी मेरे घर से लेकर सूहेंरी
बनाऊंगी इग्लिंश डिज़ाइन का ज़ेवर
के हेरत में रह जाएंगी जेठ देवर
पकेगा, पुलाऊ, मुजाफ़िर, मुतनजन
बड़े शौक से जिसको खाएंगी समधन

इसके अलावा बच्चों के लिए कही गई उनकी नज़में वतन, लाल बुझक्कड़ बग़ैरा इनकी बच्चों की नज़मों में खास अहमियत की हासिल है।

जहाँक़दर चुग़ताई ने गज़ल गोई कब शुरू की इस जमाने का पता तो नहीं चलता लेकिन इसमे शुबाह नहीं कि उन्होंने 1946 में भोपाल आने के बाद गज़ल गोइ पर तवजह दी और मुशायरों में शिरकत करना शुरू कर दिया।

मुशायरो में शिरकत के लिए नागपूर, खंडवा, भुसावल और मुखतलिक शहरों में गए, लेकिन बाद में उन्होंने मुशायरो में ग़ज़ल पढ़ना छोड़ दिया और मुशायरों में निज़ामत करने लगे।

चुनाचे एक बार भोपाल में हज़रत नियाज़ फतेहपुरी ने पहला तारीखी आल इंडिया तरही मुशायरा मुनअक़िद किया जिसमें हिस्दुस्तान के बहुत से मशहूर शुआरा शरीक हुए थे इस मुशायरे को जहाँकद़र चुग़ताई ने ब्वदकनबज किया था और 1972 के फसाद के बाद एक आल इंडिया मुशायरा बी.एच.ई.एल. के ऑडिटोरियम में मुनअक़िद किया गया था। जिसमें जोश और फिराक एक साथ शरीक हुए थे इस तारीखी मुशायरे को भी जहाँक़दर चुग़ताई ने ही ब्वदकनबज किया था।

यह सिलसिला एक दो साल जारी रहा लेकिन बाल आखिर उनके खानगानगी हालात ने इनको इससें भी बाज़ रखा।

ऐसा लगता है कि जहाँकद़र चुग़ताई ने जो काम किया वह इतना किया और इस तरह किया कि वह खुद ही इस काम से उक्ताने से लगे – बहर हाल जो काम इख़्तियार किया वह छोड़ा नहीं मुशायरे मे शिरकत तो छोड़ दी लेकिन ग़ज़ल कहना नही छोड़ा।

''सहेरा''

जहाँक़दर चुग़ताई ने अपने दोरे शायरी मे कुछ रसमी नज़मो मे भी तख़्लीक़ की है। इन रसमी नज़मो मे भी अहबाब की फरमाईश पर बाज़ सहरे भी लिखे है उनके कल़म से लिखे हुए सहेरे तो हमे दसतियाब नही हो सके लेकिन उनके रिकार्ड से यह मालूम होगा कि उन्होंने रसमी तौर पर कुछ सहरे भी लिखे थे।

''डोली''

हिन्दुस्तान मे ख़ूवाह वह कोई समाज हो लड़की का घर से ब्याह कर सुसराल जाना कितना ही खुशी का मौका क्यों ना हो, घर से दूर होते वक्त एक दर्द भरा मंजर पेश करता है। हिन्दी शायरी मे भी लड़की की शादी मे बिदाई के मौके पर गीत लिखे जाते रहे है। उर्दू शायरों ने भी डोलियॉ लिखी हैं। इनमें अमीर ख़ूशरू भी है, मुज़तर खैर आबादी भी है और दूसरे

असातिज़ां के अलावा फिल्मों मे भी यह डोली गीत बराबर लिखे जा रहे है। चुनाचे जहाँक़दर चुग़ताई ने भी ''डोली'' गीत लिखे लेकिन इस गीत की खुसूसियत यह है कि यह गीत खुद लड़की बिदा होते वक्त अपने जज़बात को पेश करती है नज़र आती है इस तरह यह पहला गीत हे जिसमे लड़की घर छोड़ते वक़्त अपने दिल की बात कहती है।

पिया घर चली हूँ मैं बन के दुल्हनयाँ
लिये साथ मैं चाँद तारो की दुनियाँ
लगा मेरे माथे पे चाँदी का टीका
लगे जिसके आगे ये चँदा भी फीका
कहे मुझसे सिन्दूर मैं हूँ पिया की
ना पूछ के क्या हाल है मेरे जी का
पिया घर चली हूँ, मैं बन के दुल्हनयाँ
लिये साथ में चाँद तारों की दुनियाँ
खड़ी है मेरे पास मेरी सहेली
बहुत जिसने बुझी हे मन की पहेली
मुझे यह खुशी, हो गई मैं पिया की
इसे दुख कि वह रह गई है अकेली
पिया घर चली हूँ मैं बनके दुल्हनयाँ
लिये साथ मे चाँद तारों की दुनियाँ
सभी याद आती हैं बचपन की बातें
वह मासूम से दिन वह मासूम रातें
झगड़ना वह आपस में और भूल जाना
सजाना वह गुडियों की अपनी बारातें
पिया घर चली हूँ मैं बनके दुल्हनयाँ
लिये साथ मैं चाँद तारों की दुनियाँ
मैं आँगन की तुलसी में घर का उजाला
मुझें कितने लोगों ने गोदों मे पाला
अजब रीत उन सब ने मिलकर है डाली
सजा के मुहब्बत को घर से निकाला
पिया घर चली हूँ, मैं बनके दुल्हनयाँ
लिये साथ में चाँद तारों की दुनियाँ
मेरे मन में दुख और सुख का मिलन है
बहुत खुबसूरत यह जग का चलन है
यह बात आज आई है मेरी समझ में
ब्याह है जो बेटी, वह होती है दुल्हन
पिया घर चली हूँ, मैं बनके दुल्हनयाँ
लिये साथ मैं चाँद तारों की दुनियाँ

महमुदूल हुसैनी साहब अपनी किताब ''शख़सियात'' मे जहाँक़दर चुग़ताई की शायरी के बारे मे लिखते है कि–

''चुग़ताई मे शायरी के जरासीम भी काफी है इसकी ग़ज़लो मे वह कभी तवानाई और सहतमंदी होती है जो एक मेयारी ग़ज़ल की खुसूसियात होती हैं एक तो अपनी ला उबाली तबियत दूसरे भोपाल के ज़हर आलद शायरी माहौल की वजह से उसने खुद को दीदाह व दानिस्तान इस कुचे से अलेहरा रखा हे नज़मे भी खासी कहता है कराफ्यू और नहर स्वीज़ पर कही गई नज़मे अपने उस्लूद और मवाह दोनों लिहाज़ से चौका देने वाली है। चुग़ताई अगर मुखतलिक शोबों में सलाहियतें सर्फ करने के बजाए सिर्फ तन्ज़व मिज़ाह की तरफ तवज़ह दे तो वह मुलक का साहेबे तर्ज़ तंज़ निगार हो सकता है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है बल्कि यह तक़ाज़ा–ए–कलीम का नहीं कलाम का है।

मुझे इस बात का एतराज है कि यह खाका इतना मुकम्मल नहीं हो सका जितना की चुग़ताई की रंगारंग शख्सियत मुताकाज़ी थी इके लिए मैं चुग़ताई और उसके मादाहों से माआजरत ख्वाह हूँ।''

जहाँक़दर चुग़ताई ने हजारों तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन लिखने और पढ़ने वालों को हँसने और मुस्कुराने पर मज़बूर किया लेकिन ग़ज़ल के अशआर में वह बहुत मुख़तलिफ नज़र आते है उन्होंने शायरी की हर सिन्फ में तबा आज़माई की है लेकिन ग़ज़ल के अशआर में जहाँक़दर चुग़ताई का छुपा हुआ दर्द और जिन्दगी के फर्क का पता चल जाता है, जिसकी उनके माज़ाहिया मज़ामीन में हवा तक नहीं लगती यहां चन्द मुनतखिब अशआर उनकी ग़ज़लया के दर्ज किए जाते है।

जिन्दगी जैसे कि तोहमत थी हमारे सर पर
जैसे दुनिया में यह इल्ज़ाम उठाने आए

कैसी गुज़री जिन्दगानी क्या कहें
पकड़ा कैसे मुठ्ठी में पानी क्या कहें

शबे फिराक़ है आंसू बहाते डरता हूँ
ना भड़के आग कहीं और भी बुझाने से

दिल जो बहेल तो किस तरह बहेल
खत ही सारे जला दिए उनके

होश दामन का रहा और ना गिरे बाएं की खबर
ले के जाते हैं कहां देखिए हालात मुझे

सारी दुनिया को नज़र आ नही सकती हरगिज़
तुम में आती है नज़र ऐसी भी एक बात मुझे

उमंगों के जवां दिन और हसीन रातें तुम्हें दुंगा
मैं उन भीगी हुई आंखों की बरसातें तुम्हें दुंगा

क़मर ना पुछ, उन बे बसों की मजदूरी
वतन परसत करें जब खियाल तरके वतन

कोई गुज़रा है लुटा कर यह सितारे राह में
जिसको अब तक हम गुबारे कहकशां समझा किए

अल्लाह के बन्दों पर आया ना तरस इनको
बस देख लिया हमने इन शेख व ब्रहाम्ण को

कोई भुला हुआ आता है मुसाफिर जैसे
इस तरह दिन में मेरे याद तेरी आई

चमन अपना ना गुल है ना बागबां अपना
सलामत किस तरह से रह सकेगा आशया अपना
फिज़ा में गुंजती फिरती है बुलबुलों की फूग़ाँ
फरेब दो ना मुझे यह मेरी बहार नहीं
दिल ने आखरी हद तक संभाला था मुझे
हाय लेकिन आँसूओं ने आके रूसवा कर दिया
ना देखे होंगे किसी ने अब तक हवा में उड़ते शराबखाने
बनी है साक़ी गठिया काली बगैर माँग मिला रही है
ना पहले कोई शिकवा था ना उनको कोई शिकायत है
मुझे तुम से मोहब्बत थी मुझे तुम से मोहब्बत है
जलाए जाते है या जल रहे है परवाने
सुतम ज़रीफ़ ज़माना यह बात क्या जाने
हमने इनको सिर्फ चाहा था मगर
जाने क्या इस बात को समझा गया
दिन में एक ठेस उठी आँसू आए
भूल के जो मेरे होठो पर तेरा नाम आए
है इन्तेज़ार का आलम हैं दागे़ दिल रोशन
चले भी आओ अभी तो चिराग़ जलते हैं
उदास चेहरा परेशाँ नज़र जबीं पे सुकून
किस अहतेमाम से होते हैं मुझसे वह बदज़न
ये इन्तेजार की घड़ियाँ यह जब्त का आलम
घुटी घुटी सी यह आहें दबीं दबीं धड़कन
गमें हयात मुझे फूरसते निशात ना दे
जो हो सके तो बद़हादे ज़रा मेरी उलझन

जहाँक़दर चुग़ताई की अब एक ऐसी ग़ज़ल पेश की जा रही है जिसे हम ग़ज़ल-ए-मुसलसल का नाम दे सकते हैं- क्योंकि इस ग़ज़ल के महबूब का जुल्फ के ताआहल्क से तसलसूल के साथ जहफ बिसरते के मनाज़िर व ताआस्सूरात पेश किए गए हैं। शायद इसलिए ही क़मर साहब ने इस ग़जल को नज़म की हैसियत देकर एक उनवान में मुकीद कर दिया है।

''**जुल्फ बिखरी**''

गम का बादल फिर जो दिल
क्या वही दिवाना मौसम, आ गया
फिर हवा में उड़ रही हैं खुशबुएँ
उनसे मिलने का जमाना आ गया
हमने उनको सिर्फ चाहा था मगर
जाने क्या इस बात को समझा गया
होश है इतना कि देखा था उन्हें

फिर तो हमको होश में देखा ना गया
ज़ुल्फ़ बिखरी और चेहरी पे पड़ी
चौदवी की चाँद का गहना गया

ग़ज़लयात के अलावा जहाँक़दर चुग़ताई ने क़तआत, रूबाईयात, सेहरे और डोली और दोहे भी कहे और भजन भी लिखे हैं।

ऊँच और नीच का चक्कर डाल खो दी अपनी शान।
सारे इन्सान एक बराबर बस एक बड़ू भगवान।

यह डोर क्या है एक सारंगी साँस की जिसमें तारे
जब भी टूटे तार से नाता सारंगी बेकार

आँख पड़े और दिल को खेंचे वह है असली रूप
फूल खिलांए इस धरती पर प्यार की ठंडी धूप

''**भजन**''

नहीं प्यास बुझती दो अखियन की
रही प्यास सदा तोरे दर्शन की
काशी देखी मथुरा देखा
दर दर जाके माथा टेका
धूल बने उन गुल वन की
नहीं प्यास बुझी दो आँखयन की।

उतर घाट में देख ना पाये
मन मंदिर में राम समाये
बात यही है बस उलझन की
नहीं प्यास बुझी दो अखियन की
भगत बने भगवान बने है,
हमने यह सब नाम रचे हैं
रीत बनी विधि पूजन की
नहीं प्यास बुझी दो अखियन की

भजन लिखने में हिन्दी और उर्दू के शायरो ने कुछ नामज़द भजन भी लिखे हैं। उर्दू के शायरों में चकबस्त जैसे मुताअदद्दिद शुआरा के यहाँ ऐसे नामज़द भजन मिलते हैं मसलन राम कृष्ण और इसी किस्म के दूसरे हिन्दी अवतारों पर मुस्लिम, शायर का भजन लिखना कुछ ज्यादा आम नहीं है फिर भी जहाँक़दर चुग़ताई ने कृष्ण जी का भजन लिखकर अपनी कौमी यग़ानियत का ज़ज़्बे को ज़ाहिर कर दिया है।

संदर्भ ग्रंथ –

खय्याम की महफिल	– जहाँक़दर चुग़ताई
शखसियात	– सय्यद मेहमूदूल्हुसैनी
नदीम	– रोजनामा
शगूफा	– हैदराबाद
नकशेकल़म	– जहाँक़दर चुग़ताई

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

''उर्दू, अरबी, फारसी ज़बान का बाहम रिश्ता ''

डॉ. कु. मुबश्शिरह अरह अंसारी
उच्च श्रेणी शिक्षक (स्कूल शिक्षा विभाग) म.प्र. शासन

जैसा कि हम जानते है कि उर्दू का बाज़ औक़ात हिन्दी के साथ मवाज़ना किया ज़ाता है उर्दू और हिन्दी में बुनियादी फ़र्क ये है कि उर्दू नस्तालिकीन रस्मूलखत में लिखी जाती है और अरबी और फ़ारसी अल्फाज़ इस्तेमाल किये जाते है जबकि हिन्दी देवनागरी रस्मुलखत में लिखी जाती है और संस्कृत के अल्फाज़ ज़्यादा इस्तेमाल किये जाते है। कुछ माहेरे लिसानियत उर्द और हिन्दी को एक ही ज़बान की दो मैयारी सूरतें बताती है ताहम दीगर माहेरिन इन दोनो को माशिललिसानी तफरिकात की बुनियाद पर अलग-अलग समझते है बल्कि हक़िकत ये है कि हिन्दी उर्दू से निकली है इस तरह अगर उर्दू और हिन्दी ज़बान को एक समझा जाये तो ये दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान है।

उर्दू ज़बान बावजूद दुनिया की नई ज़बानों में से होने के अपने पास मैयारी और वसी ज़ख़ीरैअदब रखती है खासकर जुनुबी ऐशियायी ज़बानो मे उर्दू अपनी शायरी के हवाले से जानी जाती है। उर्दू ज़बान को मुखतलिफ नामों से मौसुम किया जाता रहा है। शरफुद्दीन इस्लाही लिखते है ''उर्दू नाम कुछ ज्यादा पुराना नहीं कोई 200 साल से हमारी ज़बान इस नाम से मौसुम है'' इफ्तदायी लफ्ज उर्दू बसूरत तरकीब अपने लग़वी मायने में इस्तेमाल होता था- ज़बान उर्दू मौअल्ला कहलाती थी यानि शाही लश्कर की ज़बान रफ्ता-रफ्ता ज़बान का लफ्ज ख़ारिज हो गया और उर्दू-ए-मौअल्ला बचा रहा कुछ अर्से बाद अजराहे इख्तेसार मौअल्ला बी साकित हो गया और सिर्फ उर्दू बाकि रह गया।

उर्दू के चंद कदीम नाम है हिन्दी हिन्दवी इन्दुस्तानी देहलवी सबसे पहले हिन्दूस्तान की निस्बत से इसे हिन्दबी कहा गया है। हाफिज मौहम्मद शिरानी से लकर डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तक लिसानी मोहक्केकिन इस बात पर मुत्तफिक है। कदीम लोगात और अदबी तस्नीपात में भी इसका नाम हिन्दी या हिन्दवी है।

इसलिये 812 में काजी खान बदर से लेकर 1742 में सिराजुद्दीन खान आरजू तक सभी कदीम लोगात नवीसियों ने हिन्दुस्तान की ज़बान को हिन्दी या हिन्दवी लिखा है बाज सुफियायेकराम की तेहरीरे या आक्काल में भी इसे हिन्दी या हिन्दवी कहा गया है। शमसुररहमान फारूखी लिखते हे जिस जवान को आज हम उर्दू कहते है पुराने जमाने में इस ज़बान को हिन्दवी, हिन्दी, देहलवी, गुजरी, दक्कनी और फिर रैखता कहा गया है। मीर असर ने अपनी मसनवी खवाबोख्याल की इक्तदा में अपनी ज़बान को हिन्दवी करार दिया है।

सगीर अहमद खां लिखते है ''फारसी और हिन्दी के इख्तेलात व इरतेबात से जो ज़बान आल्मेवजूद में आई और जो आईंदा चलकर उद्रू कहलाई अपनी इक्तेदायी अहद में हिन्दी ही कहलाती थी। मुसलमान हिन्दुस्तान आये तो यहां की हर बोली को हिन्दी या हिन्दवी कहा हिन्द की निसबत से हिन्दी और हिन्दू की निसबत से हिन्दवी। अमीर खुसरों ने अपने दीवान के दीबाचे में देहलवी को कलामें हिन्दी लिखा है। मीरा जी, शमशुल उशाक ने और बुराहनुद्दीन जानम भी इसे हिन्दी कहते रहे सबरस के मुसन्निफ ने इसे हिन्दी भी कहा खुतुतेगालिब ने भी हिन्दी कलाम कहा गया।

उर्दू ज़बान की जाये पैदाईश और नशुदनुमा के बारे में उर्दू के आलिमों मोहकिको और लिसानियातदानों ने अब तक काफी गौर फिक्र और छानबीन से काम लिया है जिससे इस मौजू पर उर्दू में लिसानियाती अदब का एक वकीक सर्माया इक्कठा हो गया है उर्दू के जिन आलिमों ने इस मौजू पर तहेकीकी नुक्ताये नजर से काम किया है इनमें हाफिज मोहम्मद खां शिरानी, सैयद मोहिउद्दीन कादरी जौर, मसूद हुसैन खान, अब्दुल कादरी जोर, शौकत शब्जबारी, और ज्ञानचंद जैन के नाम खुसुसियत के साथ काबिले जिक्र है। इनसे बेशतर मीर अम्मन सर सयैद अहमद खां इमाम बक्श सेहबाई, मोहम्मद हुसैन आजाद, शमशुल्ला कादरी और सैयद सुलेमान नदवी जैसे उर्दू के अदीबो आलिम भी उर्दू ज़बान के आगाज व इरतेकाद के बारे में अपने-अपने ख्यालात का इज़हार कर चुके थे। उर्दू की इन तमाम अदिबो आलिमों मोहक्किको और माहेरे लिसानियत के ख्यालात व नजरियात का खुलासा यह है कि उर्दू एक मखलुत ज़बान है जो हिन्दुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद शुमाली हिन्दुस्थान में वजूद में आई।

एक अलहैदा ज़बान के तौर पर हिन्दी के तशकिल के सियासी लाहेया अमल से कब्ल ''हिन्दी'' उर्दू का ही पुराना नाम था फितरी तौर पर फ़ारसी का इक्तेदार होने के शबब मुस्लिम दौरे इक्तेदार के अक्सर मुत्तवीन फारसी रस्मोल्खत को इख्तेयार करने की आजादी हर फर्द को हासिल थी जबकि संस्कृत और नागरी लिपि पर ब्राम्हणों की इजारादारी थी और आम हिन्दू इसमें मदाखलत का तस्सबुर भी नहीं कर सकता था लेकिन अगरचे मुत्तवीन देवनागरी लिपि में भी तो इससे ये कहीं साबित नहीं होता है कि देवनागरी लिपिक में मौजूद मुत्तवन इस सियासी जदीद हिन्दी के माजी का हिस्सा है जिसकी तश्कील के अज़ाईम में 19 वीं सदी के निस्फआखिर में शिद्दत आई। महज देवनागरी लिपि में मौजूद मुत्तवीन को जदीद हिन्दी में शामिल करने का लाहेया अमल हिन्दी तारीख के नज़रिये शाजो के लिये बड़ी मुसिबतों का सबब बना।

इसके असबाब लिसानी से ज्यादा फिरकावारना थे जिनकी जड़े हिन्दू आहेया परश्ती में पेवस्त बाद में इन्हें अवामिल ने ''हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान'' के नारे की शक्ल इक्तेयार कर ली। यहां के महजबी अक्सेरेअतीत तबके ने देवनागरी रस्मुलखत की शक्ल में इस नई ज़बान को तकवियत देने में कोई कसर बाकि नहीं छोड़ी जिसके नतिजे में उर्दू चश्मेंज़न में मेहज एक अकलियाती तबके कि ज़बान बनकर रह गई। इस जमाने से दो कौमी नजरिये की बकायदा बुनियाद पड़नी शुरू हुई और 1947 में बरे सगीर की तक्सीम वजूद में आई। उर्दू हिन्दी ज़बान की तरह हिन्दुस्तानी ज़बान की एक किस्म है (ये ज़बान शेरसेयनी ज़बान वस्ते हिन्दी आर्ययायी ज़बान थी जो मौजूदा कई ज़बानों की बुनियाद समझी जाती है। इनमें पंजाबी ज़बान भी शामिल है।) की जैली किस्म अपभ्रंश से कुरूनैवस्ती (6 वी से 13 वीं सदी) के दरम्यिान वजूद में आई।

अगरचे लफ्ज उर्दू बजातेखुद तुर्क ज़बान के लफ्ज उर्दू (लश्कर, फौज) या उरदा से निकला है तुर्क ज़बान से उर्दू में कम ही अल्फाज आये है अरब तुर्क अल्फाज उर्दू में पहुंचकर फारसी किस्म के बन गये है जैसे 'गोल ते' को अक्सर औकात 'गोल है' में बदल दिया जाता है मसलन अरबी ताये मरबूत 'गोल छोटी ते' को 'छोटी हे' से या 'ते' में बदल दिया जाता है।

अरबी का इस खित्ते में अमल दखल उस उक्त शुरू हुआ जब पहले हजार साल के आखरी दौर में अरबों ने बर्रे शकिर के कुछ इलकों में बतौर फातेह कदम जमाया जबकि कुछ सदियों बाद वस्ती एशिया के अफ्गान तुर्क फारसी मुत्तकलिम बादशाहों ने फारसी ज़बान को इस खित्ते में मुत्ताआरिफ कराया इन बादशाहों में सुल्तान मेहमूद गजनवी काबिले जिक्र है दिल्ली की तुर्क अफ्गान सलतन ने सबसे पहले फारसी को शिमाले हिन्दुस्तान दफ्तरी ज़बान करार दिया। फिर इनके पैरवी करते हुये मुगलों ने भी इसे सौलहवी से 18 वीं सदी तक इसी हालत में बरकरार रखा। यू सदियों तक फारसी ज़बाने जुनुबी एशिया में अपने कदम मजबूती से जमाये रखे। इस तरह उसने हिन्दुस्तानी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया।

उर्दू ज़बान को हिन्दूस्तान के मुसलमानों के साथ खास किया जाता है और इस हवालें से कई नजरियात भी कायम किये गये है मुमताज मोहकिक हाफिज मोहम्मद शिरानी के नजदीक ये ज़बान मेहमूद गजनवी के हमलये हिन्दुस्तान के अदवार में पंजाब में पैदा हुई जब फारसी बोलने वाले सिपाही पंजाब में बस गये। नेज़ उनके नजदीक ये फारसी मुत्तकलमीन 200 साल तक देहली फतह करने से कब्ल वहां आबाद रहे यूं पंजाबी और फारसी ज़बानों के इख्तेलात में उर्दू को जन्म दिया फिर एकाद सदी बाद जब इस नई ज़बान का खमीर देहली पहुंचा तब वहां उसने मुक्कमल ज़बान की सूरत इख्तेयार की। इस हवाले से उन्होंने पंजाबी और उर्दू ज़बान में कई मुमासिलते भी पेश की है। शिरानी के इस नजरिये को ''पंजाब में उर्दू'' नामि मकाले में लिखा गया जिसने उर्दूज़बानदानों में काफी शौहरत पाई और इसकों देखकर बहुत से मुहक्कीम ने मुसलमानों की आमद से उर्दू के आगाज को जोड़ना शुरू किया।

इस तरह ''दक्किन में उर्दू'' ''गुजरात में उर्दू'' ''सिंध में उर्दू'' ''बंगाल में उर्दू'' हत्ता के बलूचिस्तान में उर्दू के भी नज़रियात सामने आये (हकीकतन शिरानी से कब्ल भी बाज़ मुहककीन जैसे सुनीति कुमार चटर्जी, मोहीउद्दीन कादरी जोर और पंजाबी ताल्लुक के बारे में अपने ख्यालात रखते थे उसे साबित करने में वो दूसरों से बाजी ले गये।)

हाफिज सिरानी के नज़रिये की मुखालिफत करने वालों में मसूद हुसैन खां और सब्जवारी जैसे मुहक्किन शामिल हे जिन्होंने उनके नज़रिये को गलत साबित किया। एक नजरिया ये भी मशहुर है कि उर्दू मुगल बादशाह अकबद के लश्कर में वजूद में आई लेकिन बहुत से माहिरिने लिसानियात इसकी नफी करते है।

बरतानगी राज में फारसी की बजाये हिन्दुस्तानी को फारसी रस्मूलखत में लिखा जाता था और हिन्दी मुस्लिम दोनो इस पर अमल करते थे लफ्ज उर्दू को शायर गुलाम हमदानी मुसहफीने 1780 के आसपास सबसे पहले इस्तेमाल किया। 13 वीं सदी से 18 वीं सदी तक उर्दू को आम तौर पर हिन्दी ही के नाम से पुकारा जाता रहा इस तरह इस ज़बान के कई दूसरे नाम भी थे जैसे हिन्दवी, रैख्ता या देहलवी, उर्दू इस तरह इलाकाई ज़बान बनी रही फिर 1837 में फारसी की बजाये इसे अंग्रेजी के साथ दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया गया। उर्दू ज़बान को बरतानवी दौर में अंग्रेजों ने तरक्की दी ताकि फारसी की अहमेयत को खत्म किया जा सके इस वजह से शिमाल मशरकी हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में तहरिक उठी के बजाये फारसी रस्मूलखत के इस ज़बान को मक्कामी देवनागरी रस्मूलखत में लिखा जाना चाहिये। नतीजतन हिन्दूस्तानी की नई किस्म हिन्दी की इजाद हुई और उसने 1881 में बिहार में नाफिज हिन्दूस्तान की जगह ले ली। इस तरह इस मसलें ने फिरका वाराना बुनियादों पर हिन्दुस्तानी को दो ज़बानों उर्दू (बराये मुस्लिम) और हिन्दी (बराये हिन्दु) में तकसिम कर दिया और इसी फर्क ने बाद में हिन्दुस्तान को दो हिस्सो भारत और पाकिस्तान में तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया।

उर्दू और हिन्दी ज़बान को ''पाक'' करने की मुहीम अब भी जारी है और इस तरह उर्दू में संस्कृत की बजाय फारसी अरबी अल्फाज ज्यादा दाखिल किये जाते है जबकि हिन्दी में संस्कृत के अल्फाज को फौकियत दी जाती है। इस तरीके ने तालिमी और अदबी जखिरेअल्फाज को बहुत मुतासिर किया है। इसके बावजूद दोनो कौमों में अब भी संस्कृत और फारसी की जड़े बाकि है। अंग्रेजी ने इन दोनो ज़बानों पर गहरे असरात डाले है।

डा. जमील जालिबी की नजर में उर्दू बर्रेआजम सारी ज़बानों के आदेआजम मुश्तरिक की हैसियत रखती है इसका तुजरबा उस उक्त खास तौर पर हुआ जब ''दीवाने हसन शौकी'' मुरत्तफ करते वक्त हसन शौकी की एक मसनवी मेज़बान नामा के इफ्तेदारी 100 शैर पंजाबी, सिंधी, पुश्तो, मराठी बोलने वालो को दे दिये और उनसे अपनी अपनी ज़बानों के अल्फाज की फेहरिस्त बनाने के लिये कहा। फारसी, अरबी, तुर्की और हिन्दी के अल्फाज की फेहरिस्त भी बनाई गई। जब

ये फेहरिस्ते सामने आई तो मालूम हुआ कि अब एक लफ्ज भी ऐसा बाकि नहीं रहा था जिसे हम खालिस उर्दू का लफ्ज भी कह सके। लिहाजा अब कहा जा सकता है कि उर्दू मुश्तरका ज़बानों से मिलकर बनी है। उर्दू ज़बान की एक बहुत बड़ी कांट्रीब्यूशन यह रही है उसने बर्रे सगीर जैसे कसीर लिसानी खित्तो को इसमें जोड़ने की कोशिश की।

गोया उर्दू पर दीगर ज़बानों के असरात तो बहुत है मगर ऐसा नहीं की उर्दू की बुनियाद किसी एक ज़बान पर खड़ी है।

संदर्भ ग्रंथ –

उर्दू लिसानियात	– डा. शौकत सब्जबारी
तहकीक कफ़न	– डा. ज्ञानचंद जैन
एक भाषा दो लिखावट दो अदब	– डा. ज्ञानचंद जैन
हिन्दूस्तानी लिसानियात	– सैयद मोहीउद्दीन कादरी जोर

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

शासकीय प्राथमिक शालाओं में नामांकन में गिरावट के कारणों का समालोचनात्मक अध्ययन

पवन कुमार शर्मा
कनिष्ट व्याख्याता डाईट भोपाल

डॉ. रंजीता जोशी''
वरिष्ठ व्याख्याता डाईट भोपाल

शोधसार

नि:शुल्क और अनिवार्य बालषिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु 6 से 14 वर्ष आयु समूह के षत् प्रतिषत बच्चों का नामांकन एवं नियमित व पूर्णकालिक उपस्थिति के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा संनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेष सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैंसे-निषुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना, गणवेष वितरण योजना, साइकिल वितरण योजना, मध्यान्ह भोजन वितरण योजना एवं अनेक प्रकार की छात्रवृति आदि को भी संचालित किया जा रहा है, जिससे सभी बच्चे षाला में नामांकित होकर अपनी प्रारंभिक षिक्षा पूर्ण कर सकें, परन्तु शासकीय शालाओं में बच्चों के नामांकन में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। शासकीय प्राथमिक शालाओं में नामांकन में आ रही गिरावट की स्थिति जानने हेतु शोधकर्ताओं द्वारा यह शोध भोपाल जिले की 25 शासकीय प्राथमिक शालाओं में किया गया है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य षासकीय प्राथमिक षालाओं में नामांकन में गिरावट के कारणों का अध्ययन करना रखा गया । अध्ययन में पाया गया कि शासकीय प्राथमिक शालाओं में 1.9 प्रतिषत की कमी हुई है तथा बालक एवं बालिकाओं के नामांकन में निरंतर गिरावट आ रही है। अधिकतर शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ तथा षिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। शासकीय शालाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अपेक्षा सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाऐं कम नामांकित है तथा ऐसे पालक जिनकी आय 10,000 रू. से अधिक है, उन्होंने ज्यादातर अपने बच्चों को शासकीय शालाओं में नामांकित नहीं करवाया है। अधिकतर पालकों ने नामांकन में गिरावट का कारण शासकीय शालाओं में षिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होना बताया है। शालाओं में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं होना, षिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न होना तथा षिक्षकों का समय पर शाला में उपस्थित होकर अध्यापन नहीं कराना भी नामांकन में गिरावट के कारण प्राप्त हुए।

प्रस्तावना: षिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो मानव को उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संर्वागीण विकास के लिए सहायक हैं। षिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए प्राथमिक षिक्षा को अनिवार्य तथा निषुल्क बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किए गये। सन् 1950 में भारतीय संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चो को प्रारंभिक 10 वर्ष में अनिवार्य एंव निषुल्क षिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्त न होने पर सन् 1964 में भारत षासन ने डॉ. डी.एस कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सन् 1968 में राष्ट्रीय षिक्षा नीति घोषित की गई। आयोग द्वारा दी गई अनुषंसाओं के पालन उपरांत भी भारतीय षिक्षा प्रणाली औपनिवेषक काल की विरासत से पूरी तरह बाहर निकल पाई।

' कनिष्ठ व्याख्याता, डाइट भोपाल

'' वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट भोपाल

भारत में षिक्षा के विकास में आ रही चुनौतियों जैसे भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक विषमतायें लिंग भेद आदि को दृष्टिगत करते हुए भारत सरकार ने ''षिक्षा की चुनौती एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य '' नामक दस्तावेज प्रसारित किया। उसके क्रियान्वयन उपरांत 1986 में राष्ट्रीय षिक्षा नीति की घोषणा की गई।

भारत षासन द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों के पष्चात भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने से भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में 86 वॉ संविधान संषोधन कर, नया अनुच्छेद 21 । जोडा गया और बच्चों की प्रारंभिक षिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में षामिल किया गया। षत् प्रतिषत बच्चों का नामांकन एवं नियमित व पूर्णकालिक उपस्थिति सुनिष्चित करने हेतु मध्यप्रदेष सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे-नि:षुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना, गणवेष वितरण योजना, साइकिलवितरण योजना, मध्यान्ह भोजन वितरण योजना, एवं अनेक प्रकार की छात्रवृति योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिसमे बच्चे षाला में नामांकित होकर अपनी प्रारंभिक षिक्षा पूर्ण कर सकें। प्राथमिक शालाओं में नामांकन की स्थिति जानने हेतु यह लघु अवधि शोध किया गया है।

बच्चें के लिए अनिवार्य व निषुल्क षिक्षा के अधिकार को सुनिष्चित करने के लए मध्यप्रदेष षासन द्वारा सर्वषिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया। इसके उपरांत भी, षासकीय प्राथमिक षालाओं में विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट हो रही है, अत: नामांकन में गिरावट के कारणों का अध्ययन करने के लिए षोध की आवष्यकता महसूस हुई। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य षासकीय प्राथमिक षालाओं में नामांकन में गिरावट के कारणों का अध्ययन करना रखा गया । इसमें न्यादर्श के रूप में भोपाल जिले की 25 शालाओं (फन्दा शहर नया त्र 8, फन्दा शहर पुराना त्र 4, फन्दा ग्रामीण त्र 7, बैरसिया त्र 5) को न्यादर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही लगभग 33 पालको से साक्षात्कार के आधार पर जानकारी एकत्र की गई। प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का उपयोग किया गया है। इसमें उपकरण के रूप में जानकारी संकलन प्रपत्र का निर्माण किया गया । इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक/शिक्षक एवं पालको के लिये साक्षात्कार प्रपत्र का निमार्ण किया गया । चयनित शालाओ मे नामांकन की स्थिति जानने के लिए व्ही. ई. आर. के आधार पर बच्चो की जनसंख्या एकत्र की गई तथा प्रत्येक चयनित शाला से कक्षा 1 सें 5 तक दर्ज बच्चो की संख्या सत्र 2011-2012. 2012-2013. 2013-2014 के अनुसार एकत्र की गई साथ ही प्रधानाध्यापको से साक्षात्कार के आधार पर जानकारी एकत्र की गई। फील्ड नोट के आधार पर भौतिक एंव शैक्षिक परिदृष्यो का अवलोकन किया गया। इस प्रकार प्राप्त जानकारी सकलित कर उसका विश्लेषण किया गया ।

अध्ययन में पाया गया कि -

सत्र 2012-13 से 2014-15 तक शासकीय प्राथमिक शालाओं की संख्या में 1.9 प्रतिषत की कमी रही है, जबकि अषासकीय प्राथमिक शालाओं की संख्या में 19.70 प्रतिषत की वृद्वि हो रही है। शासकीय शालाओं की अपेक्षा अषासकीय शालाओं में नामांकन में प्रत्येक सत्र में वृद्वि हो रही है इससे यह स्पष्ट होता है कि पालकों का रूझान अपने बच्चों का नामांकन अषासकीय शालाओं में करवाने में ज्यादा है।

सत्र 2012-13 से सत्र 2014-15 तक तक शासकीय प्राथमिक शालाओं में नामांकन में 4.3 प्रतिषत की गिरावट परिलक्षित हुई। अषासकीय प्राथमिक शालाओं में बच्चों के नामांकन में 30.5 प्रतिषत की वृद्धि परिलक्षित हुई। सत्र 2012-13 से लेकर 2014-15 तक कक्षा 1, 2 और 04 तक प्रत्येक सत्र में षासकीय प्राथमिक षालाओं में बच्चों के नामांकन में

गिरावट पाई गई। सत्र 2012–13 से सत्र 2013–14 में कक्षा 5 में चयनित षासकीय प्राथमिक षालाओं के बच्चों के नामांकन में वृद्वि पाई गई, तथा पुनः सत्र 2014–15 में बच्चों के नामांकन में गिरावट पाई गई ।

सत्र 2012–13 से सत्र 2013–14 में कक्षा 3 में चयनित षासकीय प्राथमिक षालाओं के बच्चों के नामांकन में कमी दिखाई दे रही है, जो पुनः सत्र 2014–15 में बच्चेां के नामांकन में सत्र 2013–14 की अपेक्षा वृद्वि दिखाई दे रही है। शासकीय प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5 तक विगत तीन सत्रों से निरंतर नामांकन में कमी हो रही है, जबकि सत्र 2013–14 में कक्षा 5 में वृद्वि का कारण अषासकीय प्राथमिक शालाओं की मान्यता न होने से शासकीय शालाओं में बच्चे का नामांकन कराना है।

सत्र 2012–13 से सत्र 2014–15 तक षासकीय प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में निरंतर गिरावट हो रही है । सत्र 2012–13 से सत्र 2014–15 तक षासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में निरंतर गिरावट हो रही है । जबकि षासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्वि हो रही है और सत्र 2014–15 में पुनः बिरावट दिखाई दे रही है। षासकीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्वि हो रही है और सत्र 2014–15 में पुनः गिरावट दिखाई दे रही है।

सत्र 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में चयनित शासकीय प्राथमिक शालाओं में बालकों का नामांकन बालिकाओं से ज्यादा है। शासकीय प्राथमिक शालाओं में बालकों एवं बालिकाओं के नामांकन में निरंतर गिरावट हो रही है । शासकीय विद्यार्थियों में बालिकाओं का नामांकन बालको से अधिक है। अषासकीय शालाओं में बालकों का नामांकन बालिकाओं से अधिक है। सत्र 2012–13 से सत्र 2014–15 तक अषासकीय प्राथमिक विद्यालयों में बालक बालिकाओ के नामांकन में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हुई ।

सत्र 2012–13 से सत्र 2014–15 तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों के नामांकन में निरंतर गिरावट परिलक्षित हो रही है। जबकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की अषासकीय प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों के नामांकन में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

शासकीय प्राथमिक शालाओं कै भौतिक परिदृष्य में शालाओं में वर्तमान में नामांकन के अनुरूप उपलब्ध भौतिक सुविधाएॅ में शौचालय, बाउण्ड्रीवाल एवं सफाईकर्मी को कमी के अतिरिक्त अन्य कोई कारण स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हुआ जिसमें शालाओं में नामांकन में गिरावट हो रही है। प्रदत्तो के संकलन के दौरान शासकीय एवं अषासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के अवलोकन उपरांत यह अनुभव किया कि उपलब्ध सुविधाओं के प्रबंधन, सुरक्षा एवं रखरखाव के प्रति शासकीय शाला में पदस्थ षिक्षको का दृष्टिकोण नकारात्मक है जबकि अषासकीय शालाओं के षिक्षकों का दृष्टिकोण सकारात्मक है।

अषासकीय शालाओं के भौतिक परिदृष्य में शालाओं में नामांकन के अनुरूप शाला भवन, शाला परिसर की स्वच्छता पेयजल, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल , खेल मैदान आदि सुविधाओं की उपलब्धता अधिकांष शालाओं में है। बल्कि 22 प्रतिषत अषासकीय शालाओं में नामांकन के अनुरूप प्रत्येक बच्चे के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है। 18 प्रतिषत शालाओं के कक्षों में पर्याप्त हवा एवं प्रकाष नहीं है। न ही शासन द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ दिया जा रहा है इसके पश्चात भी अषासकीय शालाओं के नामांकन में विगत तीन वर्षो में वृद्धि हो रही है।

चयनित शासकीय प्राथमिक शालाओं 83 प्रतिषत त्ज्म् छवतउे के अनुसार पर्याप्त षिक्षक है। 90 प्रतिषत शासकीय

प्राथमिक शालाओं में षिक्षक समय पर आकर अध्यापन कार्य करवाते है। 80 प्रतिषत षिक्षकों द्वारा नियमित दैनंदिनी संधारण की जाती है। प्रधानाध्यापक के साक्षात्कार के आधार पर 60 प्रतिषत शासकीय प्राथमिक शालाओं में षिक्षकों का गैर षिक्षकीय कार्यो में सलंग्न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था करनी पडती है। 88 प्रतिषत शासकीय शालाओं में प्रधानाध्यापक बच्चों की विषयवार शैक्षिक उपलब्धि से संतुष्ट है। 90 प्रतिषत प्रधानाध्यापक ैडब् बैठकों में नामांकन की कमी पर चर्चा करते हैं।

शासकीय शालाओं में 18 प्रतिषत षिक्षक समय पर शाला आकर अध्यापन नहीं करवाते। 61 प्रतिषत शालाओं के षिक्षक नियमिक दैनंदिनी संधारित नहीं करते है एवं षिक्षण करने से पूर्व तैयारी नहीं करते है। 72 प्रतिषत शालाओं के षिक्षक स्वयं बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है। 80 प्रतिषत शालाओं के षिक्षक चुनाव कार्य में संलग्न किये जाते है। 58 प्रतिषत शालाओं के कक्षा षिक्षण के दौरान षिक्षक-छात्र के बीच अंत: क्रिया नहीं होती है। 89 प्रतिषत षिक्षक, षिक्षण के दौरान टी.एल.एम. का उपयोग नहीं करते । 62 प्रतिषत शालाओं के षिक्षक अभ्यास कार्यो की जॉच नहीं करते। 83 प्रतिषत शालाओं के बच्चों को गतिविधियों में समान अवसर उपलब्ध नहीं करवाये जाते। 84 प्रतिषत शालाओं में सतत समग्र मूल्यांकन नहीं किया जाता । 77 प्रतिषत शालाओं में शाला पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग नहीं किया जाता ।

शत प्रतिषत अषासकीय प्राथमिक शालाओं के सभी षिक्षक समय पर एवं नियमित विद्यालय आकर अध्यापन करवाते है तथा सभी षिक्षक नियमित दैनंदिनी संधारित करते हैं। 98 प्रतिषत अषासकीय शालाओं के षिक्षक बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर से संतुष्ट है। अशासकीय शालाओं के षिक्षक गैरषिक्षकीय कार्य में संलग्न नहीं किये जाते। 67 प्रतिषत शालाओं के षिक्षक षिक्षण में टी.एल.एम. का उपयोग करते है। शत प्रतिषत षिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दिये गये अभ्यास कार्यो को जॉचते है। शत प्रतिषत शालाओं में बच्चों का सतत समग्र मूल्यांकन किया जाता है। 89 प्रतिषत शालाओं में बच्चे पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते है। 94 प्रतिषत शालाओं में षिक्षक, गतिविधियों में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करते है।

चयनित पालकों के अंतर्गत मजदूर वर्ग के पालकों ने लगभग 73 प्रतिषत बच्चों को शासकीय बच्चों को शालाओं में और 27 प्रतिषत अषासकीय शालाओं में दर्ज करवाया है । कृषि व्यवसाय के पालकों नें 66 प्रतिषत बच्चों को शासकीय स्कूलों में और 34 प्रतिषत बच्चों को अषासकीय शालाओं में दर्ज करवाया है। व्यापार व्यवसाय के पालकों नें 17 प्रतिषत बच्चों को शासकीय स्कूलों में और 83 प्रतिषत बच्चों को अषासकीय शालाओं में दर्ज करवाया है। नौकरी व्यवसाय के पालकों नें 83 प्रतिषत बच्चों को शासकीय स्कूलों में और 17 प्रतिषत बच्चों को अषासकीय शालाओं में दर्ज करवाया है।

ऊपर दिये गये विष्लेषण के आधार पर एवं पालकों से चर्चा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतर मजदूर वर्ग, कृषि वर्ग एवं नौकरी वर्ग के पालक बच्चों को शासकीय स्कूल में नामांकित करवाते है। इन वर्गो के अंतर्गत अषासकीय शालाओं में उन्ही बच्चों को नामांकित करवाया जा रहा है जिनकों 25 प्रतिषत आर.टी.ई. के अंतर्गत सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे पालक जिन्होने अपने बच्चो को शासकीय शाला में नामांकित करवाया है उनके अनुसार बच्चो को निषुल्क गणवेष, पाठ्यपुस्तकें, एवं मध्याहन भोजन प्राप्त होता है साथ ही कृमिनाषक दवाये एवं आयरन की गोलिया भी दी जाती है । शासकीय शालाओं में षिक्षक दक्ष होते है एवं वहॉ पढ़ाई का स्तर अच्छा है । ग्राम में ही शाला है एवं आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से अषासकीय शाला में नही पढ़ा सकते। बच्चो को प्रतिदिन शाला भेजने की आवष्यकता नहीं है कटाई एवं धानरोपण के समय मजदूरी पर ले जाते है। बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।

शासकीय शालाओं में नामांकन में वृद्धि करने हेतु सुझाव के तौर पर पाया गया कि शासकीय विद्यालयों भौतिक

सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए उसमें पेयजल, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल, खैल का मैदान होना चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार पालको से विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। शिक्षको की उपस्थिति नियमित, पूर्णकालिक हो एवं षिक्षण करवाने हेतु बाध्य किया जाना चाहिए। षिक्षकों से कागजी कार्यवाही कम करवाना चाहिए। गैर षिक्षकीय कार्य में नहीं लगाना चाहिए। पिछले दो वर्ष से षिक्षक चुनाव ही करवा रहे है एव ंबी.एल.ओ. का कार्य कर रहे है। बच्चो का नैतिक विकास करने हेतु षिक्षा देना चाहिए। षिक्षकों को बच्चो के पठन पाठन पर विषेष ध्यायन देना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले षिक्षको को प्रोत्साहन एवं कार्य न करने वाले षिक्षको को दण्डित करना चाहिए। अग्रेजी पढ़ाने वाले अच्छे षिक्षको की नियुक्ति करना चाहिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। शाला का वातावरण अनुषासित होना चाहिए। शाला की स्वच्छता हेतु सफाईकर्मी की नियुक्ति होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथो की सूची

" NCERT(1988-1992) fifth survey of educational Research, Office of pub.Div. NCERT, New Delhi.

" Saren and saren, s. (2013-14), Education Research Methods, Agrawal Publication, Agra.

" Choudhary, Lakharam,(2013-14), Educational Technology and Research, Agrawal Publication, Agra.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का गणित विषय के शिक्षण में रचनावादी एवं व्यवहारवादी उपागम का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रभाव का अध्ययन करना

प्रतिभा जायसवाल, शोधार्थी
बरकतउल्लाह वि. वि.भोपाल

डॉ अश्वनी कुमार गर्ग, मार्गदर्शक
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

सारांश: गणित को भयमुक्त तथा रूचिपूर्ण बनाने के लिये आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षण–अधिगम प्रविधि को बच्चों की सहभागिता पर आधारित बनाये जिससे बच्चे उसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सके । गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने के साथ–साथ उनके परिवेश पर आधारित समस्याये (गणितीय पहेलिया, गणितीय खेल, घर के बुजुर्गो द्वारा पूछे जाने वाले स्थानीय प्रश्न आदि) बच्चों को देकर गणित विषय को रोचक बना सकते हैं तथा बच्चों में विषय वस्तु के प्रति रूचि पैदा की जा सकती है । बच्चों शिक्षण के दौरान सोचने, समझने तथा अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध कराये । प्रस्तुत शोध पत्र में कक्षा 10वी के विद्यार्थियों की गणित विषय के शिक्षण में रचनावादी उपागम व व्यवहारवादी उपागम का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है । इस प्रयोगात्मक शोध में न्यादर्श के रुप में 333 विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें से 163 छात्र व 170 छात्राएँ है । ये सभी विद्यार्थी म.प्र. के राजगढ जिले के दो शासकीय हाईस्कूल में अध्ययनरत है । प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकीय विधि व्दारा विश्लेषण किया गया । प्राप्त परिणामों के अनुसार रचनावादी अधिगम प्रक्रिया व्दारा अधिगम कराने से विद्यार्थियों के ज्ञान व गणित विषय कि शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक अंतर पाया गया ।

गणित के प्रति समाज के साथ अधिकतर हमारे षिक्षकों एवं बच्चों में यह अवधारणा विद्यमान है कि गणित बोझिल, नीरस, सूखा के साथ–साथ कठिन विषय है । जबकि यदि गणित को देखे तो इसके अंदर काफी सुन्दरता के साथ मनोरंजन भी है । यहॉ आवश्यकता इस बात की है कि एक शिक्षक के रूप में इसमें विद्यमान सुन्दरता के बारे में जाने तथा कक्षा षिक्षण के दौरान इनका उपयोग कर गणित को भयमुक्त तथा रूचिपूर्ण बनाये । मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग बनाये । बच्चों को अपनी समस्या कक्षा में प्रस्तुत करने के लिये स्थिति पैदा करे । गणित को बच्चे की दैनिक जीवन से जोड़े तथा पाठ्यसहगामी क्रियाकलापों तथा दैनिक जीवन की समस्याओं को गणित शिक्षण में प्रभावी उपयेाग करे । यदि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों तथा विषयवस्तु की आवश्यकता को देखते हुए बदलाव करे तो निश्चित तौर पर बच्चे विषयवस्तु के शिक्षण में भाग लेगे तथा वे सीखेगें । इसके लिए आवश्यक है कि हम बच्चों को ज्ञान सृजन के लिए पर्याप्त स्थान/जगह उपलब्ध कराये ताकि वह सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री/गतिविधियों के आधार पर अपने लिये ज्ञान की रचना करे । अर्थात शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय । बच्चे

के संज्ञान के निर्माण में यदि शिक्षक सहयोगी रूप से शामिल होगा तो बच्चे अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए ज्ञान का सृजन कर सकेगें । जब बच्चा स्वयं में ज्ञान का सृजन करता है तो वह अपने कार्य में व्यस्त रहता है और सीखता है ।

एक शिक्षक के रूप में यदि हम बच्चे के समक्ष परिस्थितियों का निर्माण करे तो बच्चा उन परिस्थितियों के आधार पर स्वयं में ज्ञान का सृजन करेगा और विषय वस्तु को सीखेगा। अत: गणित की प्रचलित प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम गणित शिक्षण को रोचक बनाये ताकि बच्चा गणित अधिगम के समय आनंद की अनुभूति करें । रचनावादी उपागम अधिगम प्रक्रिया गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाली नवाचारी प्रक्रिया है जो बच्चे में स्वयं ज्ञान के सृजन व विषय के प्रति बच्चे में व्याप्त भय को दूर करने में सहायक है । रचनावादी उपागम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित होती है यह अधिगम प्रक्रिया अधिगमकर्ता को केंद्र बिंदू मानकर अधिगमकर्ता को सक्रिय बनाती है। रचनावादी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया गणित शिक्षण को सरल व सुगम बना देती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी रचनावादी शिक्षण को महत्व देते हुए पुस्तकों में बदलाव किया गया है । वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की गणित की पुस्तक प्रदेश के विद्यालयों में लागू है । आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण की कौन सी प्रविधि बच्चों के उपलब्धि स्तर के बढ़ाने में ज्यादा कारगर है, जानना आज की आवश्यकता है । इसलिये शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध के माध्यम से कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्धार्थियों का गणित विषय के शिक्षण में रचनावादी एवं व्यवहारवादी उपागम का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया है ।

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्धार्थियों का गणित विषय के शिक्षण में रचनावादी एवं व्यवहारवादी उपागम का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रभाव का अध्ययन करना निर्धारित किया गया है । इसमें शोध परिकल्पना में जेण्डर तथा रचनावादी एवं व्यावहारवादी उपागम तथा इनके बीच अंतर्क्रिया में कोई सार्थक अंतर नही है को लिया गया है । पस्तुत शोध अध्ययन प्रयोगात्मक प्रकृति के होने के कारण इसमें न्यादर्श के रूप में मध्यप्रदेश के राजगढ जिले के 2 शासकीय विद्यालयों तक सीमित रखा गया है। शोधकार्य में दोनों विद्यालयों की एक कक्षा में रचनावादी तथा एक कक्षा में व्यववहारवादी शिक्षण प्रणाली को अपनाकर बच्चों का उपलब्धि स्तर जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध में स्वतंत्र चर के रूप में जेण्डर तथा रचनावादी एवं व्यावहारवादी तथा आश्रित चर के रुप में शैक्षिक उपलब्धि को शामिल किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बच्चों की उपलब्धि जानने हेतु स्वनिर्मित उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया । परीक्षण में कक्षा 10वी के गणित विषय पर आधारित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया गया है जो रचनावादी एवं व्यावहारवादी शिक्षण पर आधारित थे। अध्ययन का विश्लेषण 2म2 थ्बजवतपंस क्मेपमद ।छव्ट। के साथ माध्य एवं प्रमाप विचलन सांख्यिकी का उपयोग किया गया । कक्षा 10वी के विद्यार्थियों की गणित विषय के शिक्षण में जेण्डर तथा रचनावादी उपागम व व्यवहारवादी उपागम का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2म2 थ्बजवतपंस क्मेपमद ।छव्ट। का सारांश उपयोग किया गया जो निम्नानुसार है –

तालिकाक्रमांक 1.0

कक्षा 10वी के विद्यार्थियों की गणित विषय के शिक्षण में जेण्डर तथा रचनावादी उपागम व व्यवहारवादी उपागम का

उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रसरण विश्लेषण की 2×2 Factorial Desien ANOVA का सारांश

प्रसरण का स्रोत	मुक्तांश	वर्ग योग	औसत वर्ग योग	'F' अनुपात
जेण्डर (A)	1	1.43	1.43	0.54
उपागम (रचनावादी / व्यावहारवादी) (B)	1	8175.09	817.09	309.42**
A × B	1	939.11	939.11	35.54**
त्रुटि	329	8692.40	26.42	
योग	332	17808.03		

** 0.01 स्तर पर सार्थकता * 0.05 स्तर पर सार्थकता

तालिका क्रमांक 1.0 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कक्षा 10वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जेण्डर (बालक/बालिका), शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) तथा जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली के बीच अर्न्तक्रिया के लिए 'ध' का मान क्रमश 0.54, 309.82 तथा 135.54 है। जो यह दर्शाता है कि जेण्डर के आधार पर विद्यार्थियों के गणित के उपलब्धि स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना की जेण्डर के आधार पर विद्यार्थियों के गणित विषय के शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही है 'मान्य' की जाती है । अत: हम कह सकतें है कि जेण्डर के आधार पर विद्यार्थियों के गणित विषय के शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है । गणित विषय के प्रति विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन नीचे सारणी क्रमांक 1.0.1 मे दिया गया है ।

तालिका क्रमांक 1.0.1

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों का गणित विषय के शैक्षिक उपलब्धि का माध्य एवं प्रमाप विचलन

क्रमांक	जेण्डर	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1.	बालक	33.49	163	8.00
2.	बालिका	33.56	170	6.59
	योग	33.53	333	7.30

उपरोक्त तालिका (तालिका क्रमांक 4.0.1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि बालकों का गणित विषय का शैक्षिक उपलब्धि माध्य 33.49 तथा बालकाओं का गणित विषय का शैक्षिक उपलब्धि माध्य 33.56 है जो यह दर्शाता है कि बालको एवं बालिकाओ का गणित विषय का उपलब्धि माध्य में सार्थक रूप से अंतर नहीं है । गणित विषय के के शैक्षिक उपलब्धि माध्य के प्रति बालकों एव बालिकाओं का प्रमाप विचलन क्रमश: 8.00 एवं 6.59 पाया गया।

जबकि शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) तथा जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली के बीच अर्न्तक्रिया के लिए गणित के शैक्षिक उपलब्धि में 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया । इसके परिप्रेक्ष्य मे शून्य परिकल्पना की शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के आधार पर गणित के शैक्षिक उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नही है निरस्त की

जाती है । अत: हम कह सकते है कि शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के आधार पर विद्यार्थियों के गणित विषय के शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है। शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के आधार पर गणित के शैक्षिक उपलब्धि स्तर के माध्य एवं प्रमाप विचलन नीचे तालिका क्र. 4.0.2 में दिया गया है।

तालिका क्रमांक 4.0.2

रचनावादी एवं व्यावहारवादी शिक्षण आधार पर विद्यार्थियों का गणित विषय के प्रति
शैक्षिक उपलब्धि का माध्य एवं प्रमाप विचलन

क्रमांक	शिक्षण	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1	रचनावादी	38.43	167	5.61
2	व्यावहारवादी	28.59	166	5.17
	योग	33.53	333	7.30

इसी प्रकार कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के बीच अर्न्तक्रिया के लिए 'F' का मान 35.54 है जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित के शैक्षिक उपलब्धि स्तर में जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के बीच अर्न्तक्रिया का सार्थक अन्तर पड़ता है । अत: हम कह सकते है कि कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का गणित के शैक्षिक उपलब्धि स्तर में जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के बीच अर्न्तक्रिया का सार्थक अन्तर है । गणित के शैक्षिक उपलब्धि स्तर में जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के बीच अर्न्तक्रिया का शैक्षिक उपलब्धि माध्य एवं प्रमाप विचलन नीचे तालिका क्रमश:4.0.3 में दिया गया है।

तालिका क्रमांक 4.0.3

क्रमांक	जेण्डर	उपागम	माध्य	संख्या	प्रमाप विचलन
1	बालक	रचनावादी	40.25	80	5.00
		व्यावहारवादी	26.98	83	3.83
2	बालिका	रचनावादी	36.76	87	5.65
		व्यावहारवादी	30.21	83	5.81
	योग	रचनावादी	38.43	167	5.61
		व्यावहारवादी	28.59	166	5.17

इस प्रकार हम कह सकते है कि कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का जेण्डर के आधार पर गणित के शैक्षिक उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं है जबकि शिक्षण प्रणाली तथा जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) के बीच अर्न्तक्रिया का सार्थक अन्तर पाया गया ।

कक्षा 10वी के विद्यार्थियों की गणित विषय के शिक्षण में जेण्डर तथा रचनावादी उपागम व व्यवहारवादी उपागम का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रभाव के अध्ययन करने पर पर जेण्डर के आधार पर गणित के उपलब्धि स्तर में सार्थक नहीं अन्तर पाया गया जबकि शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं व्यावहारवादी) तथा जेण्डर एवं शिक्षण प्रणाली (रचनावादी एवं

व्यावहारवादी) के बीच अर्न्तक्रिया का गणित के उपलब्धि स्तर में 0.01 स्तर सार्थक अन्तर पाया गया। अत: अध्ययन से स्पष्ट है कि रचनावादी शिक्षण से बच्चों की कक्षा कक्ष में सहभागिता बढ़ती है तथा वे कक्षा शिक्षण में सक्रिय रहकर सीखते है जिसका प्रभाव उनके उपलब्धि स्तर में सार्थक रूप से दिखाई देता है । इसमें शिक्षण के दौरान प्रतिभाग का अीधक अवसर मिलता है जिससे उनमें आत्म विश्वास की भावना का विकास होता है । साथ ही विषय अत्यन्त सरल तथा रोचक हो जाता है । इस विधि द्वारा बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका स्थाई अंग बन जाता है । इस विधि सरल एवं स्वभाविक है, इसलिये इस विधि में कमजोर बच्चे भी लाभान्वित होते है । इस विधि के द्वारा शिक्षण करने से बच्चों को स्वतंत्र चिन्तन की क्षमता का विकास होता है । यह विधि बच्चों में तर्क, विचार, खोज एवं निर्णय करने की शक्ति विकसित होती है । इस प्रकार हम कह सकते है की रचनावादी शिक्षण बच्चों में गणित विषय के प्रति रूचि उतपन्न करने के साथ उनके उपलब्धि स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

संदर्भ

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005, राष्टीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली

गणित कक्षा 10,राष्टीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली

प्रशिक्षण मॉडूल कक्षा 10, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Study of Common Mistakes in Mathematics Committed by Students of Upper Primary Level

DR. ASHWANI KUMAR GARG
Assistant Professor of Mathematics
Regional l Institute of Education (NCERT), Bhopal

ABSTRACT: Elementary Education occupies prominent place in educational setup. This study is undertaken to address the level of performance of students of mathematics at Upper Primary level. The major objectives of this study was to know the performance level of students in mathematics and classify different types of errors/mistakes'. For this study two States M.P. and Chhattisgarh were selected. From each state two districts were selected (Tribal and Non tribal) and from each district 5 schools (Rural and Urban) were selected on the basis of random sampling method. Students of class 6, 7 and 8th were taken under the sample. From the analysis it has been found that due to language problem students do not understand the questions, in both states and there are no separate mathematics teachers in the schools. One teacher teaches mostly all subjects in the class, during classroom teaching, teachers do not give sufficient emphasis on each learner, teachers do not give sufficient time to CCE and students practices during classroom teaching, in the classroom teaching both the states teachers do not provide the space learners to discuss with teachers for book related problems, such type of tests mostly schools are not conducting, due to this reason students do not have practice of solving such type of questions and teachers also do not analyze the students problems and provide the remedial measures to the students.

Key Words: Common Mistake, Committed, Errors/mistakes, Critical analysis, CCE, remedial measures etc.

Introduction: Universal Elementary Education of good quality is the key to boost economic growth as well as improve equity in India's liberalizing economy. After independence in 1947, universalization of Elementary Education and eradication of illiteracy have been important targets of the Government of India. The Directive Principles of the constitution of

India envisage provision of free and compulsory elementary education to all children up to the age of 14 years. The overall goal is to provide free and compulsory education of satisfactory quality to all children. As the past decades have seen the elementary school system in India grow in size, it calls for an efficient management of schools to provide quality education in these institutions. Universal Elementary Education of good quality is the key to boost economic growth as well as improve equity in India's liberalizing economy. As the past decades have seen the elementary school system in India grow in size, but the achievement or more appropriately the quality aspect of it remained still mooching. The quality concern not only lies in the poor level of children's achievement but also in the gaps in their achievements across the caste, sex and location which continue to widen further. It is widely believed and reported that the performance of students in Mathematics at Upper Primary level has not been satisfactory. It is also a persistent demand from the different stakeholders. Most often teachers are not clear about what kinds of learning is desired and the criteria against which it could be assessed.

It is widely believed and reported that the performance of students in Mathematics at Upper Primary level has not been satisfactory. However, the reasons for this have not yet been scientifically explored. According to the New National Policy of Education there is a need to look at the performance, causes of common mistakes committed and difficulties of students with a critical mind and assess them properly. It is also a persistent demand from the different stakeholders. Therefore, this study is undertaken to addresses itself to critical analysis the level of performance of students of mathematics at Upper Primary level. It also seeks to suggest intervention for improvement in the performance of students in Mathematics.

Methodology: The major objectives of this study was to know the performance level of performance of students in mathematics and types of common mistakes committed by students in Mathematics at Upper Primary level. For this study two States of M.P. and Chhattisgarh were selected. From each state two districts were selected (Tribal and Non tribal) and from each district 5 schools (Rural and Urban) were selected on the basis of random sampling method. All students of class 6, 7 and 8th (Class 6 =373, Class 7 = 347, class 8 =418 and Total = 1138) were taken under the sample.

The data were collected by self developed tool. This test is prepared by the researcher specifically for the study in workshop mode with the help of resource persons. Each class test

developed in three parts and content were taken one third of the syllabus (Those courses is complete). Each part taken 10 questions and each question given 5 marks wattage. Each paper question 1 was given 5 knowledge based short answer questions. After developing the question paper researcher vetted tool with the help of experts. Class 6 Natural Numbers and Whole Numbers, Integers, Factors and Multiples, Ratio, Proportion and Unitary Method, Percentage and its Application, Algebraic Expression and Linear Equation in one variable; Class 7 Rational Numbers, Operations on Rational Numbers, Decimal Representation of Rational Numbers, Indices, Direct and Inverse Variations, Percentage and its application, Algebraic Expressions, Factorization of Algebraic Expressions and Linear Equations in one variable and Class 8 Square and Square Root, Cube and Cube Root, Rational Exponents, Profit-Loss and Discount, Compound Interest, General Bank Facilities Algebraic Identities, Division of Polynomials and Linear Equation in one variable related contents covered by researcher-. Each class paper total marks was 150 (50 marks each level) marks.

Data were collected from the selected sample schools. Personal visits were undertaken and data were collected using the by the researcher. It took two to three days to complete testing in a school. On the basis of various criterion variables and scores were obtained for the dependent and independent variables, these measures scores were used for knowing the performance level of students in mathematics and type of mathematical errors students commit in examination. After tabulation of data with the help of statistics such as Mean, Standard deviation, 't' test, ANOVA, Chi Square and percentages data were analyzed for all the variables involved in the study for total sample. Qualitative analysis will be done through Triangulation and narrative enquiry. Classification of Errors Committed by students of different levels were analyzed in sever categories (1- Procedure Errors, 2-Understanding Errors, 3-Computational Errors, 4-Conceptual Errors, 5-Accidental/Incidental Errors, 6- Not Attempted at all and Fully Correct).

Results and Discussion: The researcher analyzed the data according to objectives. On the bases of learner achievement following references were drawn from the study of Common Mistakes in Mathematics Committed by Students of Upper Primary level in the M.P. and Chhattisgarh states-

" The mean score of achievement in Mathematics of students of M.P. and Chhattisgarh do not differ significantly.

" The mean score of achievement in Mathematics of students belonging to different classes differ significantly at 0.01 level. It is evident that 't' value for class 6 and class 8 is 3.51 which is significant at 0.01 level df = 763. It reflects that the means scores of achievement in Mathematics of students studying in class 6 and class 8 differ significantly. Further the mean score of achievement in Mathematics of students studying in class 6 is 38.57 which is significantly lower than those of class 8 whose mean score of achievement in Mathematics of students is 43.01. Therefore it can be said that students studying in class 8 have better achievement in Mathematics than those of class 6. Similarly't' value for class 7 and class 8 is 3.06 which is significant at 0.01 level df = 789. It reflects that the means scores of achievement in Mathematics of students studying in class 7 and class 8 differ significant but the means scores of achievement in Mathematics of students studying in class 6 and class 7 do not differ significantly.

" The mean score of achievement in Mathematics of students of interaction between state and class differ significant at 0.05 level.

" The mean score of achievement in Mathematics of students belonging to different districts differ significant at 0.05 level. From Table 3.2.2.1 it is evident that t-value for Jhabua and Mahasamund districts is 2.00 which is significant at 0.05 level df = 560. It reflects that the means scores of achievement in Mathematics of students studying in Jhabua and Mahasamund differ significantly. Further the mean score of achievement in Mathematics of students studying in Jhabua is 41.56 which is significantly higher than those of studying Mahasamund district whose mean score of achievement in Mathematics of students 38.52. Therefore we said that student studding in Jhabua has significant better achievement in Mathematics than those are Mahasamund.

" The mean score of achievement in Mathematics of students of Rural and Urban do not differ significant. So there is no significant influence of school localities (Rural and Urban) on achievement in Mathematics of students. It may there be said that both Rural and Urban students were found to have achievement in Mathematics to the same extent.

" The mean score of achievement in Mathematics of students of interaction between district and local differ significantly at 0.01 level.

" The mean score of achievement in Mathematics of students belonging to boys and girls category do not differ significantly. It may therefore be said that the achievement of the

students in mathematics was found to be independent of gender.

" In case of difficult questions, more rural children were able to solve it in comparison to urban children. Similarly, girls were able to solve more difficult questions in comparison to boys.

Question-wise analysis and interpretation of Common Mistakes: Analysis of each question on the basis of frequency and percentage was done. Each question was analyzed in mind the above aspects. Some questions analysis are given below-

Class	Questions No. 3
6	हल करो– $376 + (620 \div 62)$
7	$\frac{4}{9}, \frac{-5}{6}, \frac{-7}{-12}, \frac{11}{24}$ को अवरोही कम में लिखिए ।
8	भिन्न $\frac{625}{1296}$ के वर्गमूल ज्ञात कीजिए ।

" In the state of Madhya Pradesh class 6, 7, and 8 only 34.18%, 13.71% and 19.82% students respectively solved this question correctly and more than 44% (Class 6 =44.39%, Class 7 = 61.93% and class 8 = 53.30%) students not attempted at all. It shows that Class 7 and class 8 more than 50 percentages students given wrong response. In the state of Chhattisgarh class 6, 7 and 8 more than 33 percentages (34.46%, 38.67% and 46.07% respectively) students not attempted at all. Both states more than 13 percentages of students do not understand the questions in each class. Overall state and class wise frequency and percentage of mistakes are given in the following table 4.3-

Table: 4.3

Sl.No.	Name of State	Class	Types of Mistake														Total
			a	%age	b	%age	c	%age	d	%age	e	%age	f	%age	g	%age	
1	Madhya Pradesh	6	1	0.51	32	16.33	4	2.04	5	2.55	0	0.00	87	44.39	67	34.18	196
		7	4	2.03	27	13.71	5	2.54	10	5.08	2	1.02	122	61.93	27	13.71	197
		8	2	0.88	25	11.01	10	4.41	22	9.69	2	0.88	121	53.30	45	19.82	227
		Total	7	1.13	84	13.55	19	3.06	37	5.97	4	0.65	330	53.23	139	22.42	620
2	Chhattisgarh	6	2	1.13	32	18.08	1	0.56	19	10.73	0	0.00	61	34.46	62	35.03	177
		7	2	1.33	56	37.33	2	1.33	16	10.67	5	3.33	58	38.67	11	7.33	150
		8	3	1.57	30	15.71	11	5.76	36	18.85	0	0.00	88	46.07	23	12.04	191
		Total	7	1.35	118	22.78	14	2.70	71	13.71	5	0.97	207	39.96	96	18.53	518
	Total	6	3	0.80	64	17.16	5	1.34	24	6.43	0	0.00	148	39.68	129	34.58	373
		7	6	1.73	83	23.92	7	2.02	26	7.49	7	2.02	180	51.87	38	10.95	347
		8	5	1.20	55	13.16	21	5.02	58	13.88	2	0.48	209	50.00	68	16.27	418
		Total	14	1.23	202	17.75	33	2.90	108	9.49	9	0.79	537	47.19	235	20.65	1138

a. Procedure Errors, b. Understanding Errors, c. Computational Errors, d. Conceptual Errors, e. Accidental/Incidental Errors, f. Not attempted at all, g. Fully Correct

Graph showing on overall state and class wise percentage of errors in mathematics committed by students

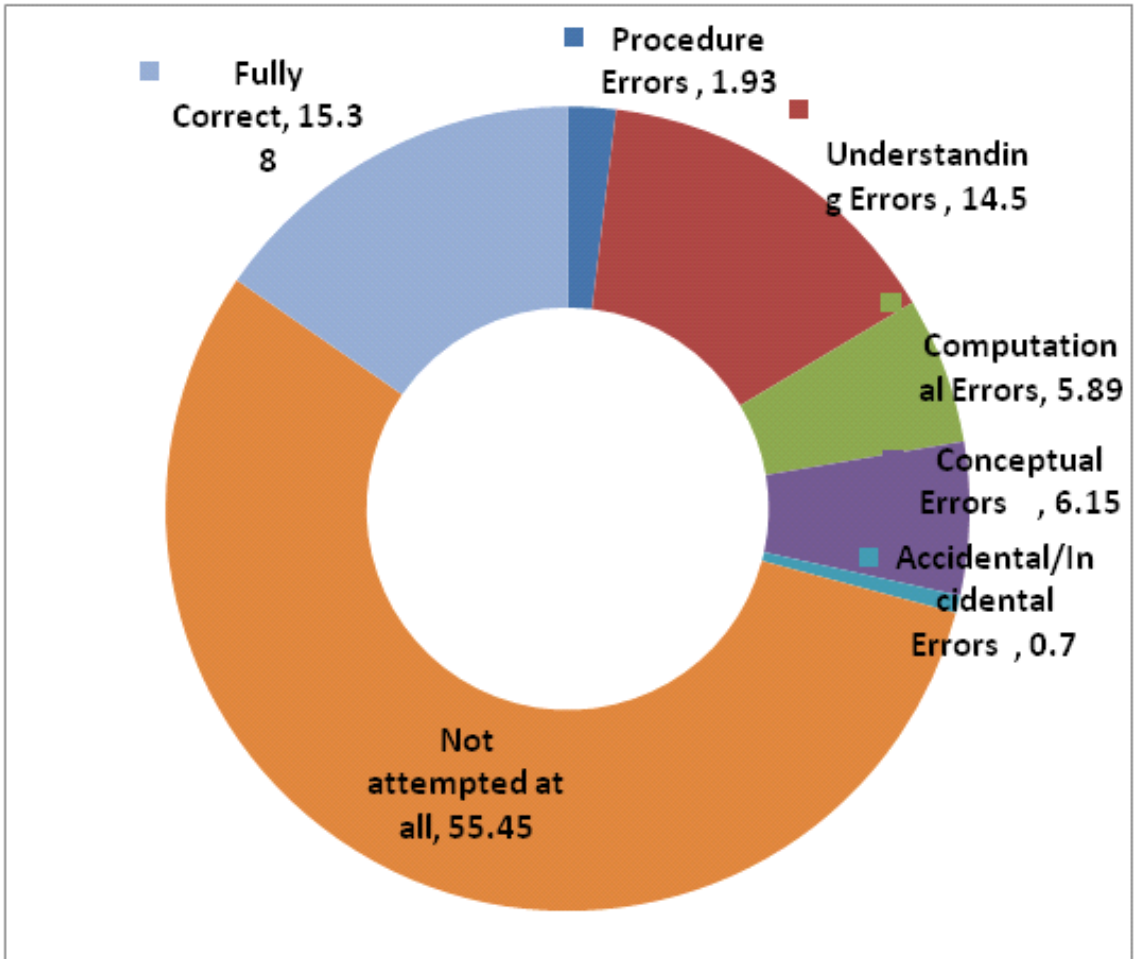

Class	Questions No. 9
6	108, 135, 162 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए ।
7	$\left(\frac{7}{8}\right)^2 \div \left(\frac{8}{7}\right)^{-2}$ को सरल कीजिए ।
8	$(.008)^{2/3}$ का मान निकालिए ।

In the state of Madhya Pradesh class 6, 7, and 8 only 2041%, 20.81% and 29.07% students respectively solved this question correctly and more than 48 percentage (Class 6 =58.16%, Class 7 = 50.76% and class 8 = 48.02%) students not attempted at all. In the state of Chhattisgarh class 6, 7 and 8 only 18.08%, 5.33% and 15.71% respectively students solved the question correctly and more than 60 percentage (Class 6 =64.97%, Class 7 = 63.51% and class 8 = 61.39%) students not attempted at all. Over all, in both states class 6, 7, and 8 only 19.30%, 14.12% and 22.97% respectively students solved the question correctly, more than 55 percentage (Class 6 =61.39%, Class 7 = 55.04% and class 8 = 55.50%) students not attempted at all and rest were found the different types of errors/mistakes. Overall state and class wise frequency and percentage of mistakes are given in the following table 4.9-

Table: 4.9

Sl.No.	Name of State	Class	Types of Mistake														Total
			a	%age	b	%age	c	%age	d	%age	e	%age	f	%age	g	%age	
1	Madhya	6	3	1.53	16	8.16	10	5.10	12	6.12	1	0.51	114	58.16	40	20.41	196
	Pradesh	7	0	0.00	37	18.78	7	3.55	9	4.57	3	1.52	100	50.76	41	20.81	197
		8	0	0.00	21	9.25	4	1.76	23	10.13	4	1.76	109	48.02	66	29.07	227
		Total	3	0.48	74	11.94	21	3.39	44	7.10	8	1.29	323	52.10	147	23.71	620
2	Chhattisgarh	6	5	2.82	10	5.65	8	4.52	7	3.95	0	0.00	115	64.97	32	18.08	177
		7	10	6.67	20	13.33	5	3.33	14	9.33	2	1.33	91	60.67	8	5.33	150
		8	8	4.19	6	3.14	1	0.52	23	12.04	0	0.00	123	64.40	30	15.71	191
		Total	23	4.44	36	6.95	14	2.70	44	8.49	2	0.39	329	63.51	70	13.51	518
	Total	6	8	2.14	26	6.97	18	4.83	19	5.09	1	0.27	229	61.39	72	19.30	373
		7	10	2.88	57	16.43	12	3.46	23	6.63	5	1.44	191	55.04	49	14.12	347
		8	8	1.91	27	6.46	5	1.20	46	11.00	4	0.96	232	55.50	96	22.97	418
		Total	26	2.28	110	9.67	35	3.08	88	7.73	10	0.88	652	57.29	217	19.07	1138

a. Procedure Errors, b. Understanding Errors, c. Computational Errors, d. Conceptual Errors, e. Accidental/Incidental Errors, f. Not attempted at all, g. Fully Correct

Graph showing on overall state and class wise percentage of errors in mathematics committed by students

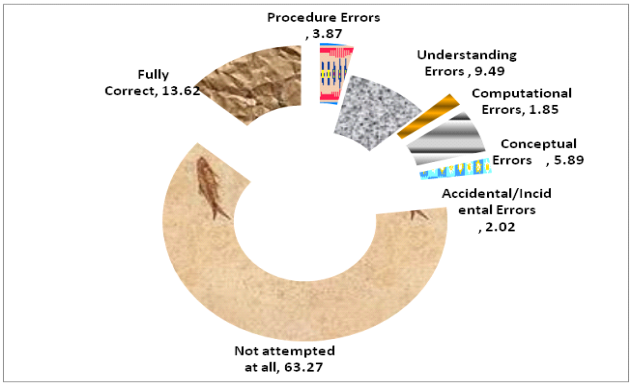

Class	Questions No. 16
6	25 मीटर कपड़े का मूल्य रू. 3875 है । 17 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा ?
7	यदि एक मनुष्य अपना टेलीवीजन 7200 में बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ पाने के लिए उसे अपना टेलीवीजन कितने रूपयों में बेचना चाहिए ।
8	चकवद्धि ब्याज के सूत्र का प्रयोग कर मिश्रधन ज्ञात कीजिए यदि मूलधन रू. 3000 दर 5% वार्षिक और समय 2 वर्ष हो ।

In the state of Madhya Pradesh class 6, 7, and 8 only 12.24%, 21.32% and 22.03% students respectively solved this question correctly and about more than fifty percentages (Class 6 =62.24%, Class 7 = 59.90% and class 8 = 51.10%) students not attempted at all. In the state of Chhattisgarh all classes only 2.32% students solved the question correctly. Over all, in both states class 6, 7, and 8 only 8.31%, 12.10% and 13.16% respectively students solved the question correctly, more than 47 percentages not attempted at all and rests were found the different types of errors/mistakes. Overall state and class wise frequency and percentage of mistakes are given in the following table 4.16-

Table: 4.16

Sl.No.	Name of State	Class	Types of Mistake														
			a	%age	b	%age	c	%age	d	%age	e	%age	f	%age	g	%age	Total
1	Madhya	6	2	1.02	18	9.18	14	7.14	8	4.08	8	4.08	122	62.24	24	12.24	196
	Pradesh	7	0	0.00	12	6.09	7	3.55	15	7.61	3	1.52	118	59.90	42	21.32	197
		8	1	0.44	25	11.01	11	4.85	18	7.93	6	2.64	116	51.10	50	22.03	227
		Total	3	0.48	55	8.87	32	5.16	41	6.61	17	2.74	356	57.42	116	18.71	620
2	Chhattigarh	6	0	0.00	4	2.26	6	3.39	8	4.52	0	0.00	152	85.88	7	3.95	177
		7	2	1.33	24	16.00	7	4.67	11	7.33	2	1.33	104	69.33	0	0.00	150
		8	0	0.00	35	18.32	33	17.28	33	17.28	2	1.05	83	43.46	5	2.62	191
		Total	2	0.39	63	12.16	46	8.88	52	10.04	4	0.77	339	65.44	12	2.32	518
	Total	6	2	0.54	22	5.90	20	5.36	16	4.29	8	2.14	274	73.46	31	8.31	373
		7	2	0.58	36	10.37	14	4.03	26	7.49	5	1.44	222	63.98	42	12.10	347
		8	1	0.24	60	14.35	44	10.53	51	12.20	8	1.91	199	47.61	55	13.16	418
		Total	5	0.44	118	10.37	78	6.85	93	8.17	21	1.85	695	61.07	128	11.25	1138

a. Procedure Errors, b. Understanding Errors, c. Computational Errors, d. Conceptual Errors, e. Accidental/Incidental Errors, f. Not attempted at all, g. Fully Correct

Graph showing on overall state and class wise percentage of errors in mathematics committed by student

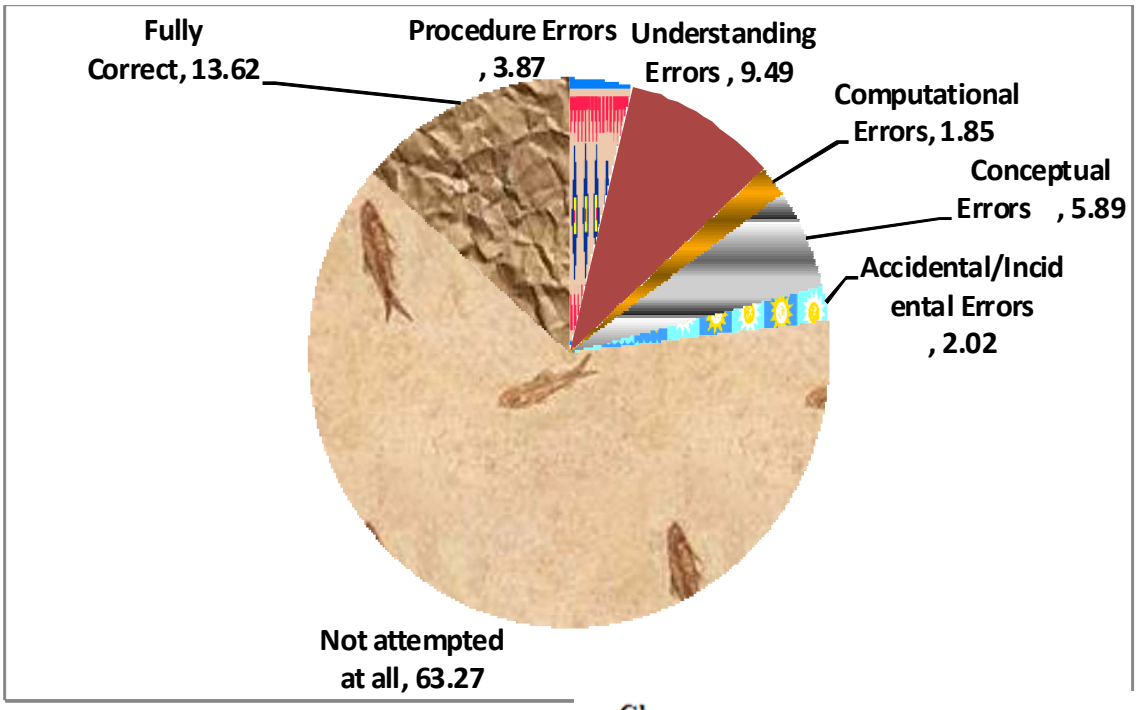

Class	Questions No. 26
6	व्यंजको $3x + 2y + 3z$ और $4x - 6y + 5z$ के योग घटाइए ।
7	$6xy^3 + 15x^2y^2$ के गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए ।
8	$\frac{25x^2+10x+5}{\sqrt{5}}$ को हल कीजिए ।

In the state of Madhya Pradesh class 6, 7, and 8 only 19.39%, 12.69% and 21.59% students respectively solved this question correctly and more than 53% (Class 6 =62.24%, Class 7 = 73.60% and class 8 = 53.74%) students not attempted at all. In the state of Chhattisgarh class 6, 7 and 8 same as Madhya Pradesh 13.56%, 14.00% and 13.09% respectively students solved the question correctly. Over all, in both states class 6, 7, and 8 only 16.62%, 13.26% and 17.70% students respectively solved the question correctly, more than 52% (Class 6 =67.29%, Class 7 = 66.57% and class 8 = 52.63%) students not attempted at all and rest were found the different types of errors/mistakes. Overall state and class wise frequency and percentage of mistakes are given in the following table 4.26-

Table: 4.26

Sl.No.	Name of State	Class	Types of Mistake														Total
			a	%age	b	%age	c	%age	d	%age	e	%age	f	%age	g	%age	
1	Madhya Pradesh	6	6	3.06	15	7.65	2	1.02	13	6.63		0.00	122	62.24	38	19.39	196
		7	7	3.55	9	4.57	5	2.54	6	3.05		0.00	145	73.60	25	12.69	197
		8	2	0.88	24	10.57	15	6.61	15	6.61		0.00	122	53.74	49	21.59	227
		Total	15	2.42	48	7.74	22	3.55	34	5.48		0.00	389	62.74	112	18.06	620
2	Chhattisgarh	6	8	4.52	5	2.82	2	1.13	8	4.52	1	0.56	129	72.88	24	13.56	177
		7	15	10.00	24	16.00	0	0.00	4	2.67	0	0.00	86	57.33	21	14.00	150
		8	4	2.09	43	22.51	10	5.24	11	5.76	0	0.00	98	51.31	25	13.09	191
		Total	27	5.21	72	13.90	12	2.32	23	4.44	1	0.19	313	60.42	70	13.51	518
	Total	6	14	3.75	20	5.36	4	1.07	21	5.63	1	0.27	251	67.29	62	16.62	373
		7	22	6.34	33	9.51	5	1.44	10	2.88	0	0.00	231	66.57	46	13.26	347
		8	6	1.44	67	16.03	25	5.98	26	6.22	0	0.00	220	52.63	74	17.70	418
		Total	42	3.69	120	10.54	34	2.99	57	5.01	1	0.09	702	61.69	182	15.99	1138

a. Procedure Errors, b. Understanding Errors, c. Computational Errors, d. Conceptual Errors, e. Accidental/Incidental Errors, f. Not attempted at all, g. Fully Correct

Graph showing on overall state and class wise
ted by students

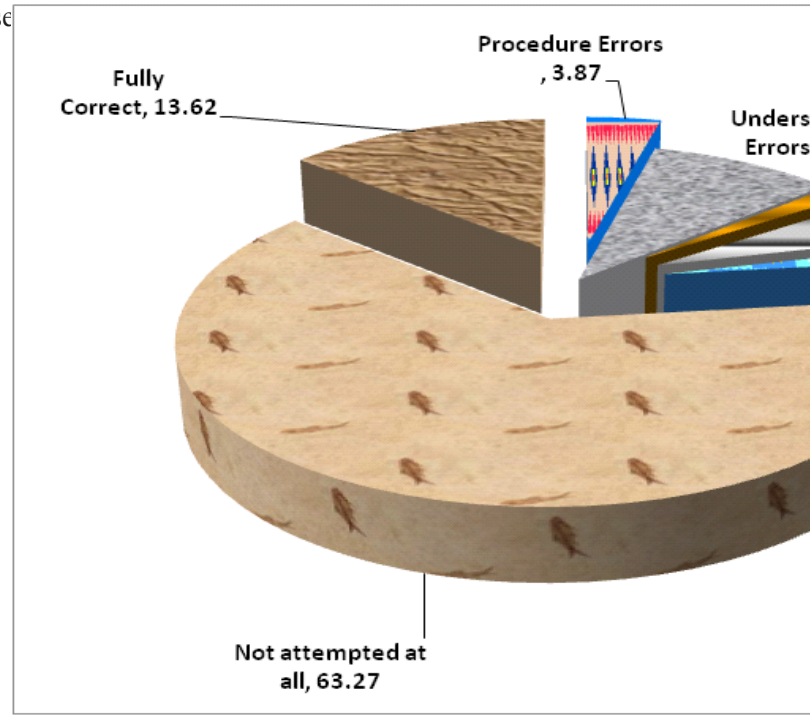

Conclusions: Over all analysis of research study it was found that due to language problem students do not understand the questions, in both states there are no separate mathematics teachers in the schools. One teacher teach mostly all subjects in the class during classroom teaching, teachers do not give sufficient emphasis on each learner, teachers do not give sufficient time to CCE and students practices during classroom teaching, in the classroom teaching both the states teachers not provide the space learners to discussed with teachers for book related problem, such type of tests mostly schools are not conducting, due to this reason students do not have practice of solving such type of questions and teachers also do not analyze the students problems and provide the remedial measures to the students.

References :

" Kothari, C.R. (2004), Research methodology (Method and Technique), Newage international publishers, New-Delhi.

" NCERT (2005), National Curriculum Framework 2005, National Council of Educational Research and Training, New-Delhi.

" MHRD, Department of education (1968-86), National policy on education, Ministry of Human Resource Development, New-Delhi.

" IGNOU (2005), Teaching of mathematics CPE-2, Indira Gandhi National Open University, New-Delhi.

" Pedagogy of Mathematics(2012), Textbook for two-year B.Ed, Course, National Council of Educational Research and Training, New-Delhi.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Developement and synthesis of 1-(2-Hydroxyphenyl)-2-propen-1-one Epoxides using Rasoda reaction

SANTOSH KUMAR DAKHLE Research Scholar Dept. of Chemistry
Jodhpur National University

Abstract-

α-Bromo-β-hydroxydihydrochalcones, the intermediates in the Rasoda reaction, were generally available from the reaction of 2'-acetoxychalcones with N-bromo-succinimide in aqueous BuOH and readily cyclized to chalcone epoxides. The base-catalysed recyclization of a 6'-substituted chalcone epoxide gave an aurone and not a *trans*-dihydroflavonol as was obtained in the absence of a 6'-substituent.

Plants stunted or diseased by nematode related activity are likely to produce reduced yields and loss in quality and quantity of the produce[1]. Inspite of considerable damage caused by nematodes to various agricultural crops, till today very few nematicides are available for use. Chalcones are natural biocides and are well known intermediates for the synthesis of various organic heterocycles. The presence of a reactive α, β unsaturated keto function in chalcones is found to be responsible for their antimicrobial activity[2]. In present study, we have utilized 3-(substituted phenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-ones as starting material for the synthesis of carbamates., it was thought of interest to synthesize and evaluate nematicidal activity of substituted 4-[3-(substitutedphenyl) prop-2-enoyl]phenyl phenyl carbamates.

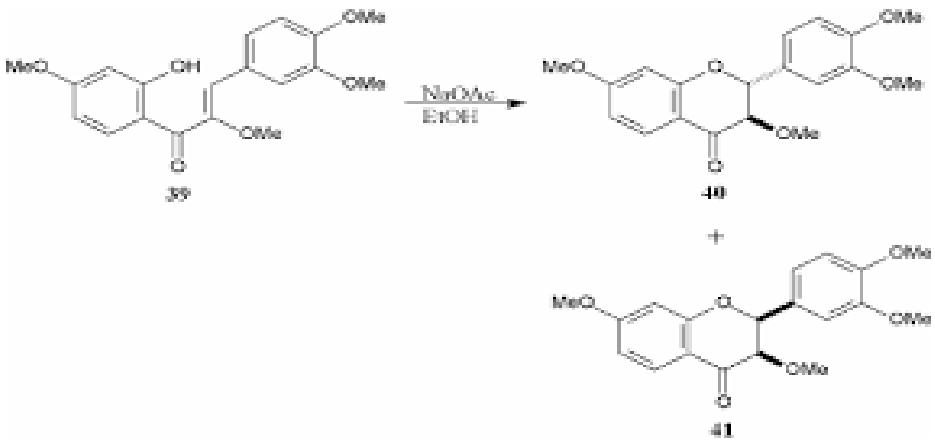

Introduction-

Synthesis of 3-(4-chloro/methyl/nitro/methoxy/3,4,5-trimethoxy/2,4-dichloro/ 4-bromo/ 3, 4-dimethoxy/ 2, 4-dimethoxy/ 3-bromo/ 2-chloro/ 2-methoxy phenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (14-25) has been carried out from substituted benzaldehyde (1-12) and 4-hydroxy acetophenone (13). The condensation of synthesized 2-propen-1-ones (14-25) with phenyl isocyanate (26) gave 4-[3-(4-chloro/ methyl/nitro/methoxy/3, 4, 5-trimethoxy/2, 4-dichloro/4-bromo/3, 4-dimethoxy/2, 4-dimethoxy/3-bromo phenyl) prop-2-enoyl] phenyl phenylcarbamate (27-36). The synthesized compounds were characterized on the basis of analytical and spectral data. All the compounds were evaluated for their nematicidal activity *in- vitro* against second stage juveniles (J_2) of root - knot nematode (*Meloidogyne javanica*). Incorporation of carbamoyloxy moiety in 2-propen-1-ones enhanced the activity. Irrespective of the concentration, compounds 3-(4-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (17) and 4-[3-(4-methoxyphenyl) prop-2-enoyl] phenyl phenyl carbamate (30) have shown maximum nematode mortality i.e. 30% and 51.8%.

Plants stunted or diseased by nematode related activity are likely to produce reduced yields and loss in quality and quantity of the produce[1]. Inspite of considerable damage caused by nematodes to various agricultural crops, till today very few nematicides are available for use. Chalcones are natural biocides and are well known intermediates for the synthesis of various organic heterocycles. The presence of a reactive α, β unsaturated keto function in chalcones is found to be responsible for their antimicrobial activity[2]. In present study, we have utilized 3-(substituted phenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-ones as starting material for the synthesis of carbamates. The carbamates are derivatives of carbamic acid, $HOC(O)NH_2$ and are well known class of insecticides. Carbamates were originally extracte from the calabar bean, which grows in west Africa. Carbamates as a class are not generally persistent in the environment[3]. Carbamates are effective nematicides by virtue of their ability to inhibit acetyl cholinesterase (AchE) in the nervous system and thereby, disrupt nervous transmission at that location[4]. In view of the diverse type of biological activities shown by carbamates, their importance as agrochemicals and as a part of our ongoing new nematicide development programme[5-7], it was thought of interest to synthesize and evaluate nematicidal activity of substituted 4-[3-(substitutedphenyl) prop-2-enoyl]phenyl phenyl carbamates.

Materials &Methods- The melting points were determined in open capillaries on a Ganson electrical melting point apparatus and are uncorrected. Homogeneity of the compounds was routinely checked on silica gel-G TLC plates using ethyl acetate: hexane (3:7) as irrigant. IR spectra were recorded on "Perkin Elmer FTIR" spectrophotometer in KBr and frequencies are expressed in cm^{-1}. The NMR spectra were recorded on "Bruker AC-400-F" (400MHz) NMR spectrophotometer in $CDCl_3$ or DMSO-d_6 using tetramethylsilane (TMS) as internal reference. The chemical shift values are expressed in δ (ppm) units while J values in Hz and are compatible with the assigned structures. The elemental analyses were within ± 0.4 % of that of evaluated values. Only those spectral data have been mentioned which have a direct bearing on the assignment of the structures and are discussed here.

Chemistry & Research-

3-(4-methylphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (15)
Yield 80%, m.p.157-158℃ (Lit. 156℃)[8]. IR (KBr) cm^{-1}: 3128(OH), 1671(C=O). ^{1}HNMR ($CDCl_3$):2.38(s, 3H, C_4-CH_3); 7.01(d, J=8.0Hz, 2H, C_3-H & C_5-H); 7.21(d, J=16.0 Hz, 1H, CO-CH=CH); 7.25(d, J=8.0Hz, 2H,C_3`-H & $C_5$`-H); 7.50 (d, 2H, C_2-H & C_6-H); 7.52 (d, J=16.0 Hz, 1H, CO-CH=CH); 7.69 (d, J=8.0Hz, 2H, C_2`-H & $C_6$`-H). Analysis found : C, 80.35; H, 5.80%.;$C_{16}H_{14}O_2$ Required : C, 80.65; H, 5.92%.

3-(4-nitrophenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (16)
Yield 71%, m.p. 204-206℃ (Lit. 210℃)[8]. IR (KBr) cm^{-1}:3162(OH), 1660(C=O), 1572,1344(C-NO_2). Analysis found: C, 66.92; H, 3.94; N, 5.08%.;$C_{15}H_{11}NO_4$ Required:C, 66.91; H, 4.12; N, 5.20%.

3-(4-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (17)
Yield 79%, m.p. 177-179℃ (Lit. 179-181°C)[9]. IR (KBr) cm^{-1}: 3126(OH), 1676(C=O), 1250 (C-OCH_3). ^{1}HNMR ($CDCl_3$): 3.82 (s, 3H, C-OCH_3); 6.93 (d, J=16.0Hz, 1H, CO-CH=CH); 7.67 (d, J=16.0 Hz, 1H, CO-CH=CH); 7.54 – 7.59 (m, 6H, Ar-H). Analysis found :C, 75.38; H, 5.32%. ;$C_{16}H_{14}O_3$ Required:C, 75.57; H, 5.55%.

3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (18)
Yield 60%, m.p. 221-223℃ (Lit. 222℃)[8]. IR (KBr) cm^{-1}: 3121(OH), 1621(C=O), 1250 (C-OCH_3).^{1}HNMR ($CDCl_3$):3.90 (s, 3H, C-OCH_3); 3.92 (s, 9H, 3 x OCH_3); 6.96 (d, 1H, CO-CH=CH); 7.64 (d, 1H, CO-CH=CH); 6.85 (s, 2H, C_2-H & C_6-H). Analysis found:C, 68.34; H, 5.74%. ;$C_{18}H_{18}O_5$ Required:C, 68.78; H, 5.77%.

Conclusion- The condensation of 4-chloro/methyl/nitro/methoxy/3,4,5-trimethoxy/2,4-dochloro/4-bromo/3,4-dimethoxy/2,4-dimethoxy/3-bromo/2-chloro/2-methoxy benzaldehyde (1-12) with 4-hydroxy acetophenone (13) in using 20% ethanolic sodium hydroxide after stirring gave the corresponding 3-(4-chloro/ methyl/ nitro/ methoxy/ 3,4,5-trimethoxy/ 2,4-dichloro/ 4-bromo/3,4-dimethoxy/2,4-dimethoxy/3-bromo phenyl)-1-(4-hydroxy phenyl)-2-prop-1-one (14-25). Thus, a total of twelve different chalcones were synthesized. The different benzaldehyde derivatives used in this reaction are listed in Scheme (Scheme-I).

Thus, a total of ten different 4-[3-(substitutedphenyl)prop-2-enoyl]phenyl phenyl carbamates were synthesized. The different 3-(substitutedphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-ones used in this reaction are listed in scheme-II.

In the ^{1}HNMR spectrum of 4-[3-(4-chlorophenyl) prop-2-enoyl] phenyl phenyl carbamate (27), two aromatic protons at positions 3 and 5 appeared at 7.01 δ (J=8.0Hz) as doublet. Another two doublets at 7.38 δ and 7.55 δ integrating for two protons each were assigned to protons at positions C_3` and $C_5$` or C_2 and C_6 respectively. The downfield shift of C_2` and $C_6$` protons ortho to carbonyl functionalities appeared at 7.66 δ. The remaining aromatic protons appeared as multiplet at 7.66 δ to 7.55 δ. The broad singlet at 8.50 δ was assigned to NH proton of carbamoyloxy moiety. The formation of carbamates of the above compounds follows from the mode of synthesis and were supported by the appearance of a band around 3340 cm^{-1} for NH functionality and around 1670 and 1690 cm^{-1} for carbonyl and carbamoyloxy (C=O) functionalities respectively. Thus, structures of all these compounds were fully supported by their NMR and IR spectra.

References-

1. Hague, N.G.M. and Gowen, S.R. *Chemical Control of Nematodes. In principles and practice of nematode control in crops*. Academic Press, 1987.
2. Prasad, Y.R.; Rao A.L. and Rambabu, R. Synthesis and Antimicrobial Activity of some Chalcone Derivatives. *E-Journal of Chemistry*,2008, *5(3),* 461-466.
3. Baron, R.L. *Handbook of Pesticide Toxicology,* Academic Press, New York, 1991, 1125-1189.
4. Roy, K.K.; Dixit, A. and Saxena, A.K. *J. Mol. Graph. Model.,* 2008, *27*, 197-208.
5. Chopra, I.; Walia, R.K. and Singh, R. *Pestic. Res. J.,* 2006, *18(2)*, 124-128.
6. Singh, R., Abrol, V.; Gupta, B.B. and Malik, O.P. *Pestic. Sci.,* 1988, *20*, 125-130.
7. Kumari, S.; Singh, R.; Kumar, A and Walia, R.K. *Asian J. Chem*., 2014, *26(11),* 3139-3143.
8. Nikhil, Synthesis of potential agrochemicals and their evaluation against American bollworm and root-knot nematode. PhD Thesis, CCS Harayana Agricultural University, Hisar, 2006
9. Syam, S.; Abdelwahab, S.I.; Al-Mamary, M.A. and Mohan, S. *Molecules*, 2012, *17*, 6179-6195.
10. Gill,K.; Mehta,S.K.; Malik, M.S.; Malik, O.P. and Walia, R.K. *Nematol. medit.,* 2001, *29*, 219-222.
11. https://vdocuments.site/synthesis-and-cyclization-of-1-2-hydroxyphenyl-2-propen-1-one-epoxides.html
12. http://www.orientjchem.org/vol30no3/synthesis-and-bioevaluation-of-3-substitutedphenyl-1-4-hydroxyphenyl-2-propen-1-ones-and-their-carbamate-derivatives-against-root-knot-nematode-meloidogyne-javanica/
13. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo960163z?mobileUi=0&journalCode=joceah
14. http://www.elementalmatter.info/chemical-formula-and-equations.htm
15. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040402079850607
16. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0040402079850590

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Cyclisation of 1-(2-Hydroxyphenyl)-2-propen-1-one Epoxides using Rasoda reaction

Santosh Kumar Dakhle
Research Scholar Dept. of Chemistry
Jodhpur National University

Abstract-

Competitive α and β cyclization of 2'-hydroxychalcone epoxides affords 2-(α-hydroxybenzyl)-3-coumaranone and/or 3-hydroxyflavanones, which depends on the conditions employed. Epoxidation of 2'-hydroxychalcones by dimethyldioxirane followed by either base- or acid-catalyzed ring closure provides a novel, general, and efficient method for the synthesis of *trans*-3-hydroxyflavanones, which includes also the naturally occurring derivatives. Extension of this two-step procedure to 1-(2-hydroxyphenyl)-2-alken-1-ones was also accomplished. A strong preference for α cyclization was observed in the case of β-unsubstituted or -monoalkylated α,β-enones, while both 2,2-dimethyl-3-hydroxychromanones and 2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3-coumaranones were obtained from the β,β-dimethylated substrates.

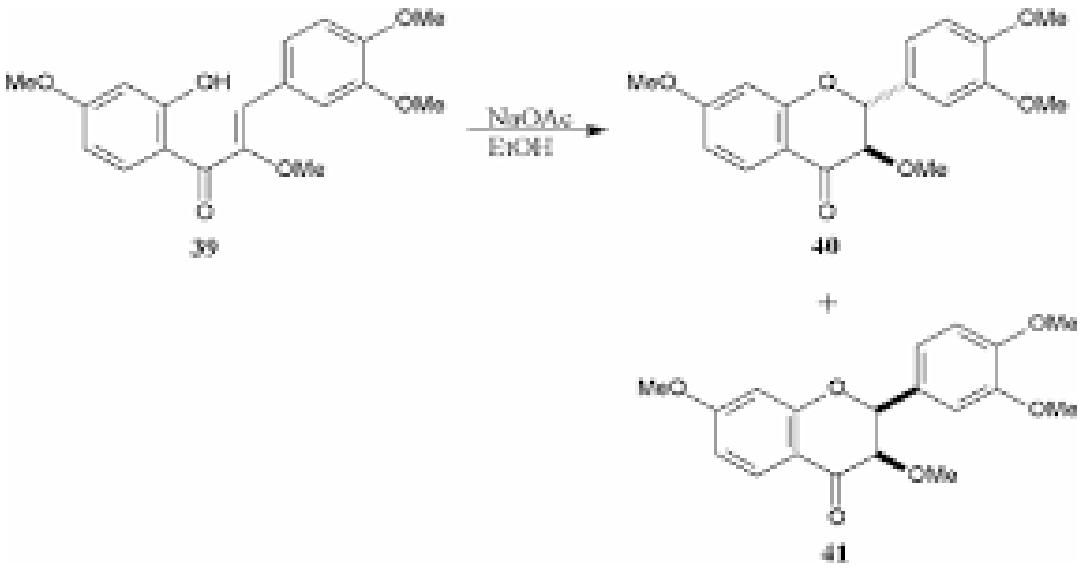

39 40 41

Introduction-

Rasoda reaction Involves conversion of 2 '-hydroxy (free or protected) chalcone dlbronlde s into flavanols by the action of aqueous solvents followed by alkali. Usually treatment of 2*-4iydroxy chalc(»ie dlbromlde s with alkali yield* aurones or flavones which are on the same ozldatloii level as that of the starting material. However the rather unusual oxidation Involved in the Ha soda reaction has been attributed to the overall dlsproportlonatlon In which a part of the chalcone dlbrtailde Is oxidised to flavonol at the cost of the other part which was reduced to chalcone or any other reduced product at the same oxidation level^. £n this reaction when concentrated aqueous sodium hydroxide Is replaced by sodium carbonate a bromine free product was obtained.

Plants stunted or diseased by nematode related activity are likely to produce reduced yields and loss in quality and quantity of the produce[1]. Inspite of considerable damage caused by nematodes to various agricultural crops, till today very few nematicides are available for use. Chalcones are natural biocides and are well known intermediates for the synthesis of various organic heterocycles. The presence of a reactive α, β unsaturated keto function in chalcones is found to be responsible for their antimicrobial activity[2]. In present study, we have utilized 3-(substituted phenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-ones as starting material for the synthesis of carbamates. The carbamates are derivatives of carbamic acid, $HOC(O)NH_2$ and are well known class of insecticides

Materials &Methods-

Synthesis of 3-(4-chloro/methyl/nitro/methoxy/3,4,5-trimethoxy/2,4-dichloro/ 4-bromo/ 3, 4-dimethoxy/ 2, 4-dimethoxy/ 3-bromo/ 2-chloro/ 2-methoxy phenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (14-25) has been carried out from substituted benzaldehyde (1-12) and 4-hydroxy acetophenone (13). The condensation of synthesized 2-propen-1-ones (14-25) with phenyl isocyanate (26) gave 4-[3-(4-chloro/ methyl/nitro/methoxy/3, 4, 5-trimethoxy/2, 4-dichloro/4-bromo/3, 4-dimethoxy/2, 4-dimethoxy/3-bromo phenyl) prop-2-enoyl] phenyl phenylcarbamate (27-36). The synthesized compounds were characterized on the basis of analytical and spectral data. All the compounds were evaluated for their nematicidal activity *in- vitro* against second stage juveniles (J_2) of root - knot nematode (*Meloidogyne javanica*). Incorporation of carbamoyloxy moiety in 2-propen-1-ones enhanced the activity. Irrespective of the concentration, compounds 3-(4-methoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one (17) and 4-[3-(4-methoxyphenyl) prop-2-enoyl] phenyl phenyl carbamate (30) have shown maximum nematode mortality i.e. 30% and 51.8%.

In the ^{1}HNMR spectrum of 4-[3-(4-chlorophenyl) prop-2-enoyl] phenyl phenyl carbamate (27), two aromatic protons at positions 3 and 5 appeared at 7.01 δ (J=8.0Hz) as doublet. Another two doublets at 7.38 δ and 7.55 δ integrating for two protons each were assigned to protons at positions C_3` and $C_5$` or C_2 and C_6 respectively. The downfield shift of C_2` and $C_6$` protons ortho to carbonyl functionalities appeared at 7.66 δ. The remaining aromatic protons appeared as multiplet at 7.66 δ to 7.55 δ. The broad singlet at 8.50 δ was assigned to NH proton of carbamoyloxy moiety. The formation of carbamates of the above compounds follows from the mode of synthesis and were supported by the appearance of a band around 3340 cm^{-1} for NH functionality and around 1670 and 1690 cm^{-1} for carbonyl and carbamoyloxy (C=O) functionalities respectively. Thus, structures of all these compounds were fully supported by their NMR and IR spectra.

Conclusion-

The cyclisation of 4-chloro/methyl/nitro/methoxy/3,4,5-trimethoxy/2,4-dochloro/4-bromo/3,4-dimethoxy/2,4-dimethoxy/3-bromo/2-chloro/2-methoxy benzaldehyde (1-12) with 4-hydroxy acetophenone (13) in using 20% ethanolic sodium hydroxide after stirring gave the corresponding 3-(4-chloro/ methyl/ nitro/ methoxy/ 3,4,5-trimethoxy/ 2,4-dichloro/ 4-bromo/3,4-dimethoxy/2,4-dimethoxy/3-bromo phenyl)-1-(4-hydroxy phenyl)-2-prop-1-one (14-25).

Thus, a total of ten different 4-[3-(substitutedphenyl)prop-2-enoyl]phenyl phenyl carbamates were synthesized. The different 3-(substitutedphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-ones used in this reaction are listed in scheme-II.

References-

1. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo960163z?mobileUi=0&journalCode=joceah
2. https://www.google.co.in/search?q=CYCLISATION+OF+RASODA&rlz=1C1CAFB_enIN766IN768&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=D6iDwpJhnACDCM%253A%252CQSVqh1Re4kCcvM%252C_&usg=__YB2YI3Dhqcs-aqQYCeZfEtQaETM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiy_MOqpaPbAhUEvY8KHQAoCEUQ9QEIMzAC#imgrc=D6iDwpJhnACDCM:
3. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo960163z?mobileUi=0&journalCode=joceah
4. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/155679/5/04_part%20i.pdf

1. Hague, N.G.M. and Gowen, S.R. *Chemical Control of Nematodes. In principles and practice of nematode control in crops*. Academic Press, 1987.
2. Prasad, Y.R.; Rao A.L. and Rambabu, R. Synthesis and Antimicrobial Activity of some Chalcone Derivatives. *E-Journal of Chemistry*,2008, *5(3)*, 461-466.
3. Baron, R.L. *Handbook of Pesticide Toxicology*, Academic Press, New York, 1991, 1125-1189.
4. Roy, K.K.; Dixit, A. and Saxena, A.K. *J. Mol. Graph. Model.*, 2008, *27*, 197-208.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Improvement in HPLC method for assay Rosuvastatin of some drug.

SubhashRam Dawar
Research Scholar Dept. of Chemistry
Jodhpur National University

Abstract-

A simple and sensitive HPLC method was developed for the determination of ethionamide (ETA) in serum. The method was based on liquid liquid extraction with acetonitrile causing precipitation of serum proteins, drying of supernatant layer and reconstitution with mobile phase. The separation was done by reverse phase chromatography using a hypersil ODS column (2S0 mm × 4.6 mm, Sμm particle size) and detection at 291 nm. The mobile phase consisted of acetonitrile: phosphate buffer (75:25) which was delivered at 1.5 mL/ min flow rate. The retention time of ETA was found to be 3.8 mm. The assay was linear in the concentration range of 0.1-4 μg/ mL. Within day and between day precision extract by relative standard deviation was less than 4 % and inaccuracy did not exceed 3 %. This method is an improved method wherein instead of solid phase extraction, liquid liquid extraction is carried out which resulted in increased sensitivity.

Introduction-

Rosuvastatin calcium is chemically, bis[(E)-7[4-(4-? uorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl (methyl-sulphonyl)amino]pyrimidin-5-yl](3R,5S)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid] calcium salt (? g. 1). It belongs to a class of drugs called statins, which are employed to lowerhypercholesterolemia and related conditions and to prevent cardiovascular diseases. It increases the number of hepatic low density lipoprotein receptors involved in the catabolism of LDL and also inhibits hepatic synthesis of very low density lipoprotein[1-3]. A detailed survey of analytical literature for rosuvastatin revealed few methods based on a variety of techniques such as UV-spectrophotometry[4], high performance thin layer chromatography (HPTLC) [5] and HPLC[6,7]. Since a HPLC method has many advantages over that of a HPTLC method for quantitation, HPLC is often the first choice for developing an analytical method as compared to HPTLC. Till date, none of the reported analytical procedure describe a simple, satisfactory and validated HPLC method for studying the effect of stress on pharmaceutical dosage forms as well as for assay and determination of content uniformity of rosuvastatin calcium in tablet dosage forms. Table 1 shows comparison of published methods with the developed method.

Materials &Methods-

Rosuvastatin calcium reference standard (label claim 99.8% pure) was provided by Glenmark Pharmaceuticals Ltd., Ankleshwar, India. Tablets of rosuvastatin calcium, Zyrova, with a 10 mg label claim, manufactured by Zydus Cadila, Ahmedabad, India were procured from a local pharmacy. HPLC grade acetonitrile and orthophosphoric acid were obtained from Merck India Limited, Mumbai, India. Analytical grade hydrochloric acid, sodium hydroxide pellets and hydrogen peroxide solution 30% (v/v) were obtained from Ranbaxy Fine Chemicals, New Delhi, India and 0.45 ? m membrane filter was obtained from Pall Life Sciences, Mumbai, India. High purity deionised water was obtained from a Milli-Q (Millipore, Milford, MA, USA) puri? cation system.

Chromatography:

The chromatographic system used to perform development and validation of this assay method consisted of an LC-10ATvp binary pump, an SPD- M10Avp photodiode array detector and a Rheodyne.

Manual injector model 7725i with 20 ? l loop (Shimadzu, Kyoto, Japan) connected to a multi-instrument data acquisition and data processing system.

Chromatographic analysis was performed on YMC C8 (150˜4.6 mm id, 5 m particle size) column. Separation was achieved using a mobile phase consist of acetonitrile-water (40:60, v/v) solution at a flow rate of 1.5 ml/min. The eluent was monitored using PDA detector at a wavelength 242 nm. The column was maintained at ambient temperature and injec tion volume of 20 was used. The mobile phase was ?ltered through 0.45 m ?lter prior to use.

Results & Conclusion-

In this work an analytical HPLC method for assay and determination of content uniformity of osuvastatin calcium in a tablet for mulation was developed and validated. The basic chromatographic conditions were designed to be simple and easy to use and reproduce and were selected after testing the different conditions that affect HPLC analysis, for example column, aqueous and organic components of the mobile phase, proportion of mobile phase components, detection wavelength, diluents and concentration of analyte. The YMC Pack C8 column was used because of its advantages of high resolving capacity, better reproducibility, low-back pressure, and low tailing. For mobile phase selection, preliminary trials using mobile phases of different composition containing water adjusted to acid pH by addition of orthophosphoric acid and

methanol resulted in poor peak shape. When methanol was replaced by acetonitrile better peak shape was obtained. The proportion of the mobile phase components was optimized to reduce retention times and enable good resolution of rosuvastatin calcium from the degradation products. A detection wavelength of 242 nm was selected after scanning the standard solution over the range 190-370 nm by use of the PDA detector. Detection at 242 nm resulted in good response and good linearity.

The drug substance was easily extracted from the pharmaceutical dosage form using water-acetonitrile (50:50, v/v). The tablet dispersed readily in water and the drug substance was freely soluble in acetonitrile. Solutions of standard and test preparations were found to be stable in this solvent mixture. By using the same concentration of analyte for assay and for determination of content uniformity both methods could be validated simultaneously except for determination of precision.

References-

1. www.ijpsonline.com

Indian Journal of Pharmaceutical Sciences598 September - October 2010

Indian J. Pharm. Sci., 2010, 72 (5): 592-598

London: Royal Pharmaceuitical Society of Great Britain; 2005. p. 996.

2. 2. Lennernas H, Fager G. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of

the HMG-CoA reductase inhibitors, similarities and differences. Clin

Pharmacokinet 1997;32:403-25.

3. 3. Nissen S, Nicholls S, Sipahi I, Libby P, Raichlen JS, Ballantyne

CM, et al. Effect of very high-intensity statin therapy on regression

of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. J Am Med Assn

2006;295:1556-65.

4. 4. Gupta A, Mishra P, Shah K. A simple UV Spectrometric determination

of rosuvastatin calcium in pure form and pharmaceutical formulations.

E J Chem 2009;6:89-92.

1. 5. Sane RT, Kamat SS, Menon SN, Inamdar SR, Mote MR. Determination of rosuvastatin calcium in it's bulk drug and pharmaceutical preparations by high- performance thin layer chromatography. J Planar Chromatogr Mod TLC 2005;18:194-8.

2. 6. Sankar GD, Babu JP, Kumar AB, Krishna VM. RP- HPLC method for the estimation of rosuvastatin calcium in bulk and pharmaceutical dosage form. Acta Ciencia Indica Chem 2007;33:1-4

3. https://scholar.google.co.in/scholar?q=Improvement+in+HPLC+method+for+assay+of+some+drugs&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116304/

5. https://www.researchgate.net/publication/51240154_A_New_Improved_RP-HPLC_Method_for_Assay_of_Rosuvastatin_Calcium_in_Tablets

6. https://www.researchgate.net/publication/260312380_An_improved_HPLC_method_for_the_determination_of_Ethionamide_in_Serum

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

Improvement of purification in HPLC column, comparison of column chromatography

SubhashRam Dawar
Research Scholar Dept. of Chemistry
Jodhpur National University

Abstract-

we have developed an anion-exchange high-performance liquid chromatography (hplc) method using q sepharose xl (amersham pharmacia biotech) as adsorbent to analyze samples containing adenovirus. this method has several major advantages over the hplc method previously described for quantitating particles, namely

(1) a >10-fold improvement in the detection limit of adenovirus in crude preparations; (2) absence of interferences originating from nucleic acids and proteins which usually contaminate crude samples;

(3) unprecedented sharpness and symmetry of adenovirus peak, rendering the identification of the viral peak unambiguous, even in extremely crude and dilute preparations;

(4) no enzymatic treatment required even for crude samples. This assay was used to quantitate particles in samples taken at the transfection and amplification stages of production of various recombinant adenovirus, and in cultures of wild-type adenovirus of different serotypes. A modification of this analytical method was also developed for the purification of infectious adenovirus particles, including fiber-modified and third-generation recombinant viruses, giving highly purified preparations from low-titer crude lysates with an excellent overall recovery (50–74%).

Introduction-

Natural products are widely used in the pharmaceutical, food supplement, nutraceutical, and alternative medicine industries.1-4 Chromatography has long been an integral part of natural product research, including chemical fingerprinting, structural elucidation, and isolation of bioactive compounds on the preparative scale. Since natural product extracts are usually complex mixtures comprised of many different compound classes with a variety of functional groups, acid-base properties, and molecular sizes, reversed-phase liquid chromatography (RPLC) often lends itself as the technique of choice for the analysis and purification of natural products, largely due to its general applicability. The use of preparative high performance liquid chromatography (prep HPLC) has become a mainstay in the isolation of most classes of natural products over the last ten years.4 In target compound purification, adequate resolution between target analytes and their adjacent interference peaks is a prerequisite for successful preparative chromatography. Typical approaches for improving resolution include the following: evaluating different stationary phases, mobile phases, and modifiers; changing the temperature of the separation; and varying the gradient slope. However, the ultimate objective for prep chromatography is to efficiently collect target compounds of desired purity. Consequently, experimental parameters such as sample diluents and injection techniques and their impact on solvent consumption and productivity should also be considered in the overall method development strategy.5 This is particularly important for natural product isolation, since the desired compounds often exist at low concentrations within very complex matrices. To that end, at-column dilution (ACD) has proven to be a viable alternative to conventional injection techniques. ACD allows for injections of large volumes of sample in strong solvents while preserving chromatographic integrity and resolution, thereby improving overall purification productivity.6 This application note uses peppermint extract7 to demonstrate a typical prep HPLC method development workflow, systematically improving resolution and column loading for the isolation of a minor component in a natural product.

Materials &Methods-

Column screening and focused gradients Prep chromatography shares many basic principles with its analytical counterpart. As a result, preparative HPLC method development often starts with an analytical LC followed by geometric scale-up to prep. The target compound, as well as other minor components in the crude extract, was best resolved on the XSelect CSH C18 Column, as shown in Figure 1A. The XSelect CSH C18 Column chemistry was, therefore, chosen for all ensuing experiments.

A large number of gene therapy clinical trials utilize recombinant adenoviruses as vectors for gene tranfer into humans. The development of manufacturing processes for adenovirus requires that accurate, rapid, and sensitive methods be developed to assay particles at all stages of the production process. Until recently, the method currently used to quantitate particles in adenovirus preparations was an anion-exchange HPLC method on Source 15. The development and availability of an HPLC method for assaying particles in crude preparations represented an important achievement, allowing for the first time fast and accurate quantitation of particles in preparations. Only semi-quantitative and time-consuming biological assays have been available previously. Despite this major progress, this method suffers from some severe limitations, including insufficient sensitivity precluding particle quantitation in transfections and in very dilute preparations; interferences with proteins in some production media, and with host nucleic acids;

Difficulties in identifying unambiguously the adenovirus peak in very complex mixtures. This study was undertaken to develop an HPLC method which ideally would overcome these limitations. This report summarizes our results and describes a new method, its performance and applications.

Conclusion-

This application note illustrated a systematic preparative HPLC method development to isolate a minor component from peppermint extract using an AutoPurification System. The

overall workflow included screening different column chem
gradients, scaling up, and employing an ACD injection scheme.
an optimized analytical chromatographic condition, employing
loading by five-fold while maintaining the resolution on th
techniques demonstrated in this case study have general app
routinely performing natural product isolation using preparative

References-

1. Harvey AL. Strategies for discovering drugs from previously u
Drug Discovery Today. 2000; 5 (7):294-300.

2. Harvey AL. Natural products in drug discovery. Drug Discovery T
901. 3. Li JWH, Vederas JC. Drug Discovery and natural product
frontier? Science. 2009; 325(10):161-165.

4. Latif Z, Sarker SD. Isolation of natural products by preparat
chromatography (prep-HPLC). Methods Mol Biol. 2012; 864: 255-7

5. Thomas Wheat, et al. At-Column Dilution Application Note
71500078010rA. 2003.

6. Fecka I, Turek S. Determination of Water-Soluble Polyphenoli
Herbal Teas from Lamiaceae: Peppermint, Melissa, and Sage. J.
10908-10917.

International Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

''मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं की राज्य की राजनीति में प्रतिनिधित्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में''

तबस्सुम (शोधार्थी)
शोध केन्द्र- शा. गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर
(स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल

महिलाओं में राजनीतिक क्रियाशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए समस्त राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि वे स्वस्थ्य दृष्टिकोण अपनाकर लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समय प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में महिलाओं के लिए भी निर्धारित संख्या में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने को भी सम्मिलित करें ताकि वे ऐसे उपलब्ध अवसरों से आकर्षित हो राजनीतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक हिस्सा लेने के लिए प्रेरित एव प्रोत्साहित हो सकें । फ्लस्वरूप महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं में व्याप्त निराशा का स्थान व्याप्त है । इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों को इस बात की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनके राजनीतिक दलों में लम्बे समय से कार्यरत महिला की आवश्यकता है कि उनके राजनीतिक दलों में लम्बे समय से कार्यरत महिला कार्यकर्ता को उसकी सक्रियता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर अपने राजनीतिक संगठन के तहत उच्च पदों पर आसीन होने के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि उच्च पदों को प्राप्त करने का आकर्षण सक्रिय महिला राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित कर सकें आज जरूरत इस बात की भी है कि दल में सक्रिय ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी कार्यकर्ताओं को चाहे वह महिलाएं हो या पुरूष विशेष रूप से आदर एवं सम्मान प्रदान किया जाए ताकि अन्य महिलाओं को भी राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिल सके ।

जब हम अपने समाज को देखते है तो पाते हैं कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो महिलाओं का है निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है इनकी स्थिति को देखते हुए हम नि:संकोच इन्हें ऐसे वर्ग में रख सकते है जिनके विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है भारत में संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझ था । संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है । अनुच्छेद 15(3) में भी स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है ।

विधानसभा में प्रतिनिधित्व की स्थिति-

1 नवंबर, 1956 को मध्यप्रदेश बनने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा का अपने वर्तमान रूप में पुनर्गठन हुआ, इस पुनर्गठन मे विन्ध्यप्रदेश, मध्य भारत, महाकौशल और भोपाल राज्य की विधान सभाओं को शामिल किया गया । इन विधानसभाओं का एकीकरण होते ही इन चारों विधानसभाओं के सदस्य अपने आप मध्यप्रदेश की नयी और पहली विधानसभा के सदस्य बन गये । राज्य के पुनर्गठन के कुछ पहले सितम्बर, 1956 में ही नयी एकीकृत विधानसभा के भवन के लिए भोपाल की एक खूबसूरत इमारत मिंटो हॉल का चुनाव कर लिया गया था । 1 नवंबर, 1956 से यह भवन विधानसभ भवन के रूप में परिवर्तित हुआ । तब से लेकर अगस्त, 1996 तक यह भवन मध्यप्रदेश की चालीस वर्ष की संसदीय यात्रा का हमकदम और मध्यप्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का साक्षी बना रहा ।

विधानसभा के कामकाज की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर मूल मिंटो हाल में इमारतों के नये खंड जोड़ना पड़े । सन् 1980 तक यह महसूस किया जाने लगा था कि विधानसभा से जुड़े कामकाज के फैलाव को देखते हुए विधानसभा के लिए एक ऐसी इमारत की जरूरत है, जिसमें सभी सहूलियतें तथा पर्याप्त जगह हो । 14 मार्च, 1981 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ द्वारा नये विधानसभा भवन का शिलान्यास संपन्न हुआ । अरेरा पहाड़ी पर बिड़ला मंदिर और राज्य मंत्रालय के बीच 17 सितम्बर, 1984 को इस नये भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ । इस नए भवन का उद्घाटन दिनाक 3 अगस्त, 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा के कर कमलों से हुआ । भवन का नाम ''इंदिरा गांधी भवन'' रखा गया है । 1 नवंबर, 2000 को मध्यप्रदेश का पुनर्गठन कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया । मध्यप्रदेश के 16 जिले इस नये राज्य का हिस्सा बने उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 11 लोकसभा और 90 विधानसभा क्षेत्र थे ।

मध्यप्रदेश में विधानसभ की 230 सीट है । राज्य से भारत की संसद को 40 सदस्य भेजे जाते है । जिनमें 29 लोकसभा (निचले सदन) और 11 राज्यसभा के लिए (उच्च सदन) के लिए चुने जाते है । राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ं राज्य का कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है । जो कि विधानसभा निर्वाचित सदस्यों का नेता होता है । वर्तमान 2018 में राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शिवराज सिंह चौहान है । राज्य की प्रमुख राजनीतिक दलों में भारतीय जनता (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है । कई पड़ोसी राज्यों के विपरीत, यहाँ छोटे या क्षेत्रीय दलों के विधानसभा चुनावों में ज्यादा सफ्लता नहीं मिली है ।

नवंबर 2013 में राज्य के चुनावों में भाजपा ने 165 सीटों में जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आये और कांग्रेस केवल 58 सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष पर, 4 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी, राज्य में तीसरे स्थान पर है, वही अन्य ने 3 सीटें जीती है । मध्यप्रदेश 51 जिलों, जो 10 संभागों है । 2017 तक राज्य में 51 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत/ब्लॉक, और 23023 ग्राम पंचायत है । राज्य में नगर पालिकाओं में 16 नगर निगम, 100 नगर पालिका और 264 नगर पंचायत शामिल है । वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीता सरण शर्मा व उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह है ।

भोपाल में महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करने वाली दोनों प्रमुख राजनीतिक पाटियां भाजपा और कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में 14वीं विधानसभा के गठन के लिए 25 नवम्बर को होने वाले चुनाव में उन्हें टिकट देने में खासी कंजूसी बरती है । प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा एवं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वरा 230 विधानसभ सीटों के लिए किए गए टिकट वितरण का विश्लेषण करने से पता चलता है कि महिलाओं के राजनीतिक संरक्षण की बातें करने वाली कांग्रेस ने टिकट देने में उनके प्रति उतनी ही कंजूसी बरती है ।

कांग्रेस ने इस चुनाव में महिलाओं को केवल 10 प्रतिशत यानी 23 सीटों पर मौका दिया है, जबकि भाजपा ने भी मात्र 13 प्रतिशत यानी 28 महिलाओं को विधानसभ पहुंचने का अवसर प्रदान किया है । दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस में यह स्थिति तब है, जब पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गाँधी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी, तब उन्होंने हर जिले से कम से कम एक महिला नेता का प्रत्याशी बनाने की पुरजोर वकालत की थी । प्रदेश महिला कांग्रेस की एक पदाधिकारी ने अपना नाम सामने नहीं लाने की शर्त पर कहा कि अब टिकट वितरण के बाद यह साफहो चुका है कि शोभा ओझा नई दिल्ली में महिलाओं की लड़ाई पूरी ताकत से नहीं लड़ रही है । दूसरी और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा में ताकतवर महिला नेताओं को टिकट देने में कांग्रेस की तुलना में पूरी उदारता नजर आती है । क्योंकि भाजपा ने 28 महिला प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया है ।

वर्तमान सरकार राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है । मध्यप्रदेश में 1956 में प्रथम विधानसभा की स्थापना हुई इस समय विधानसभा में सदस्यों की कुल 340 सीट थी । जिसमें 328 पुरूष विधायक और 12 महिला विधायक जनप्रतिनिधि थी । महिला विधानसभा सदस्य की संख्या प्रारम्भ से ही काफी कम है । वर्तमान मध्यप्रदेश की विधानसभा में 230 सीट है जिसमें महिला विधायक 31 है ।

वर्तमान में भोपाल जिले में कुल 07 विधानसभा क्षेत्र यथा बैरसिया, भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण-पश्चिम, भोपाल मध्य, हुजूर, नरेला एवं गोविंदपुरा है ये भोपाल संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते है ।

उपरोक्त विधानसभा के कुल विधायकों की सूची से ज्ञात होता है कि प्रथम विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 340 थी, जिसमें पुरूष विधायक 328 और महिला विधायक मात्र 12 थी । महिला विधायकों का प्रतिशत 3.52 रहा । जबकि मुस्लिम महिला विधायक श्रीमती मैमुना सुल्तान रही और मुस्लिम महिला विधायकों का प्रतिशत 0.29 रहा, जो अत्यधिक ही कम रहा।

द्वितीय विधानसभा में विधायकों की संख्या घटकर 300 रह गई जिसमें 266 पुरूष विधायक थे एवं 34 महिला विधायक थी इस विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत बढ़कर 11.33 हो गया । परन्तु मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत 0 रहा । जिससे यह प्रतीत होता है कि मुस्लिम महिलाओं की राजनीति में सहभागिता शुरू नहीं की है । लेकिन तृतीय विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत 5.31 प्रतिशत ही रहा मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत 0 रहा । चतुर्थ विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत 3.51 आ गया जो प्रथम विधानसभा के बराबर था परन्तु मुस्लिम महिला

विधायकों का प्रतिशत 0 रहा जो कि प्रथम विधानसभा से भी कम है पंचम विधानसभा में 307 कुल विधायकों में पुरूष 290 एवं महिला विधायक मात्र 17 ही रही, जिनका प्रतिशत 5.53 प्रतिशत रहा । परन्तु मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत 0 ही रहा । षष्टम् विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई, 325 विधायकों में से 315 पुरूष विधयक एवं सिर्फ10 महिला विधायक ही चुनकर आयी । महिला विधायकों का प्रतिशत 0.37 रहा जो मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत 0 प्रतिशत रहा । सप्तम विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत 5.88 रहा व मुस्लिम महिला विधायक का स्तर 0 प्रतिशत रहा । अष्टम विधानसभा में महिला विधायकों की सहभगिता बढ़कर 9.37 प्रतिशत हो गयी वही मुस्लिम महिला विधायक डॉ. फिरोजा अहसान अली रही व मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत 0.31 रहा । नवम् विधानसभा में महिला विधायक का प्रतिशत 3.43 व मुस्लिम विधायक का प्रतिशत 0 रहा । वही दशम् विधानसभा में महिला विधायक का प्रतिशत 5.62 रहा व मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत 0 रहा । एकादश विधानसभा में महिला विधायक का प्रतिशत 9.56 रहा व मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत 0 रहा । द्वादश विधानसभा में कुल 230 विधायकों में से 210 पुरूष विधायक एवं 20 महिला विधायक जिनका प्रतिशत 8.69 भागीदारी रही व मुस्लिम महिला विधायक की भागीदारी शून्य रही ।

त्रयोदश विधानसभा में महिला विधायक का प्रतिशत 10.86 रहा व मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत शून्य रहा । चतुर्दश विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व 13.47 हो गया परंतु वर्तमान में मुस्लिम महिला विधायक का प्रतिशत नगण्य है । उपरोक्त कथनों से ज्ञात होता है कि वर्ष 1956 से लेकर वर्तमान विधानसभा के चुनावों में मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया । जबकि मध्यप्रदेश की मुस्लिम महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में बराबर की सहभागिता होनी थी, जो अभी तक नहीं हुई है।

लोकसभा में प्रतिनिधित्व की स्थिति-

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसदीय प्रणाली अस्तित्व में है । इस संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकार करने की पृष्ठभूमि में भारत शासन अधिनियम 1919 तथा 1935 रहे है । भारत में प्रथम बार अंतरिम सरकार 12 अगस्त, 1946 को संसदात्मक शासन पद्धति के अनुसार गठित की गयी थी । जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सृदृढ़ किया । यही कारण रहा कि संविधान समिति ने प्रारूप संविधान में इसे रखा और संविधान सभा ने स्वीकार किया भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश व्यवस्था से प्रभावित होने पर भी उसकी अनुकृति नहीं हैं।

लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन है । भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है । लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है । भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है । लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परन्तु इसे समय से पूर्व भंग किय जा सकता है । प्रथम लोकसभा 1952

पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 260 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुँची । इसके साथ ही जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।

किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी सदन संवैधानिक बाध्यता के कारण संघीय स्तर पर राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है । इसी सिद्धांत के आधार पर भारत में राज्य सभा का गठन हुआ है । राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की समीक्षा करता है यह मंत्रीपरिषद् के विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकता है । क्योकि कम से कम 12 विशेषज्ञ इस सभा में मनोनीत होते हैं । भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन ''सभापति'' होते हैं । राज्यसभा को राज्यों का परामर्शदाता भी कहा जाता है । संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और 238 सदस्य सभी राज्यों एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते है वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य है जिसमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों एवं दिल्ली और पुडुंचेरी के प्रतिनिधि है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वरा मनोनीत किये गए है । राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के विशेषज्ञ या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते है ।(11)

मध्यप्रदेश मे लोकसभा सीटों की संख्या 29 है जिसमें महिला सांसद केवल पाँच ही निर्वाचित हुई है एवं मुस्लिम महिला सांसद निर्वाचित नहीं है मध्यप्रदेश में ग्यारहवीं लोकसभा से सोलहवीं लोकसभा सांसद सदस्यों में मुस्लिम महिला सांसद एक भी निर्वाचित नहीं हुई है । लोकसभा भारत की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं में बराबर-बराबर की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जानी थी परन्तु यहाँ अंतर अभी बहुत अधिक है । इसी भारी असमानता को दूर करना अति आवश्यक है यह अंतर तभी दूर होगा जब मुस्लिम महिलाएं स्वंय जागरूक होगा ।(12)

राजनीतिक दलों द्वारा आम निर्वाचनों में मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन हेतु टिकट वितरण करते समय मुस्लिम महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक सीटें दी जानी चाहिए । सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया तो पुरूष वर्ग की विवशता हो गई कि मुस्लिम महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाना पड़ेगा । वास्तविक व्यवहार में पुरूष वर्ग की राजनेता की कथनी एवं करनी में बहुत अंतर होता है । उनका मानना है कि मुस्लिम महिलाएं घर के कार्य बहुत अच्छी तरह से करती है वे राजनीति में उतने अच्छे से अपना योगदान नहीं दे पाएगी क्योंकि उन पर दोहरी जिम्मेदारी होती है और मुस्लिम महिलाओं को पूरा मन घर पर ही लगा रहता है तथा पुरूषों की अपेक्षा उनमें राजनीतिक क्रियाशीलता, कार्यक्षमता का अभाव भी रहता है । इसी मानसिकता ग्रसित विभिन्न राजनीतिक दल कम से कम मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाते है । विभिन्न राजनीतिक दल का मानना यह होता है कि राजनीति में वहीं मुस्लिम महिलाएं सफल होती है जिनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार राजनीति में हो । लेकिन ऐसा नहीं है मुस्लिम महिलाएं स्वयं दृण्ढ़ संकल्प एवं रूचि से कार्य करें तो पुरूषों परंतु वर्तमान में राजनीति का प्राय: अपराधीकरण हो गया है इस कारण भी मध्यम वर्ग की मुस्लिम महिलाएं राजनीति में आने से कतराती है । मुस्लिम महिलाओं को आगे आकर उन्हें राजनीति के प्रति उत्साह, चेतना एवं कार्यक्षमता विद्यमान कर सम्पूर्ण रूप से उपयोग कर वे राजनीतिक क्षेत्र में अपनी

सहभागिता देनी होगी तभी मुस्लिम महिलाओं का विकास सम्भव है ।(13)

पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की स्थिति-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम पंचायती राज की स्थापना रहा है । राजस्थान वह पहला राज्य है जिसे देश में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना का गौरव प्राप्त है । 12 अक्टूबर, 1959 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में दीप प्रज्जवलित कर पंचायती राज को स्थापना की गई थी । आरम्भ में गाँवों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में पंचायती राज व्यवस्था शिथिल होने लगी और अपने अंतिम चरण में तो यह मृतप्राय: सी हो गई । इसी उद्देश्य से संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जो संविधान 73 वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ । यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया । इसको सुदृढ़ और सशक्त बनाये जाने की दिशा में इस अधिनियम में कई कारगर कदम उठाये गये हैं लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है । संशोधन के माध्यम से से पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किये है।

किसी भी राज्य की खुशहाली के लिए वहां की महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान होता है यह तथ्य सर्वविदित है कि महिलाओं की कार्यक्षमता किसी भी पहलू में पुरूषों से कम नहीं होती लेकिन यह इस बात पर निर्भर है कि समाज महिलाओं को किस प्रकार का स्थान देता है यदि महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार हासिल रहते है, उनमें शिक्षा का प्रसार रहता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सक्रियता बनी रहती है तो राष्ट्र में भी महिलाओं की स्थिति कुछ संतोषजनक कहीं जा सकी है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के महत्व को पूर्णत: नजरअंदाज किया जात है । जनसंख्या एवं श्रम शक्ति प्रमुख भाग होने के बावजूद भी ग्रामीण महिलाएं न सिर्फउपेक्षित है । बल्कि अत्यधिक शोषण का शिकार भी है । इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया । भारत सरकार ने 24 अप्रैल, 1993 को संविधान में 73 वां संशोधन अधिनियम, 1992 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी और यह एक ऐतिहासिक कदम था । क्योंकि इसमें न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया । साथ ही इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट भी आरक्षित की गई थी । वर्ष 2015 में मध्यप्रदेश सरकार ने स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हैं । जिससे महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है ।

वर्तमान में मध्यप्रदेश में जिलों की संख्या 51 है व मध्यप्रदेश में कुल जिला पंचायतें 50 व जनपद पंचायत 313 और ग्राम पंचायतें 23006 है । जिले का प्राशनिक मुख्यालय भोपाल में है प्रशासन की सुविधा हेतु जिले को 02 तहसीलों तथा हुजूर व बैरसिया में विभक्त किया गया है । त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत 01 जिला पंचायत, 02 जनपद पंचायत एवं 195 ग्राम पंचायतें तथा 491 ग्राम सभाऐं है । जिले में कुल ग्रामों की संख्या 526 है जिनमें से 462 आबाद ग्राम एवं 29 ग्राम वीरान है । इनमें से 492 राजस्व ग्राम है तथा 05 वन ग्राम है । जिले में दो विकासखंड फन्दा एवं बैरसिया है।

मध्यप्रदेश में जिला पंचायत के निर्वाचन में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया है भाजपा ने प्रदेश के 41 जिलों

में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विजय हासिल कर कांग्रेस को मात्र 7 स्थान प्राप्त हुए है । दो स्थानों पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई है । भाजपा के नौ जिलों में निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए है । अनूपपुर को छोड़कर 50 जिलों में गुरूवार को चुनाव हुए । भोपाल में विजयी रहे मनमोहन नागर भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष व रेखा राजपूत उपाध्यक्ष है ।

बैरसिया नगर पालिका का परिषद अध्यक्ष राजमल गुप्ता है । भारतीय जनता पार्टी दल से निर्वाचित है ।

मध्यप्रदेश के चार नगर निगमों सहित 11 नगरीय निकायों के चुनाव में चारों नगर निगम में भाजपा के महापौर निर्वाचित हुए है । भोपाल के महापौर श्री आलोक शर्मा है । वही इंदौर की महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ व जबलपुर की महापौर श्रीमती स्वाति गोडबोले एवं छिंदवाड़ा की महापौर श्रीमती कांता सदारंग निर्वाचित हुई है । भोपाल में कुल 85 वार्ड है जिनमें नगरीय निकाय चुनाव हुए है ।

नगरीय निकाय चुनावों में भोपाल जिले के 85 वार्डो में कुल 41 महिला पार्षद निर्वाचित हुई वही मुस्लिम महिला पार्षद केवल 8 ही निर्वाचित हुई । इस बार महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित होने से आधी आबादी को भी भरपूर प्रतिनिधित्व मिला ।

जिले में मुस्लिम महिलाओं में बराबरी का भाव जागृत हो रहा है । और वे पुरूष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है । इसका मूल कारण है कि भोपाल जिले में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कॉलेज, और स्कूलों में प्राध्यापक और शिक्षिकाओं की सहभागिता से है । मुस्लिम महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए राजनीति के प्रत्येक स्थान पर वे अपना योगदान दे रही है । लेकिन ग्रामीण स्तर पर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है ।

संदर्भ

1. डॉ. ममता पाण्डेय, ''राजनीति विज्ञान'', लहर प्रकाशन, इलाहाबाद, 2005 पृ. 181
2. प्रो. लाल बहादुर शर्मा, ''संविधान और महिला अधिकार'', भूषण साहित्य केन्द्र, दिल्ली, 2012, पृ. 249
3. Google Search-www.mpvidhansabha.nic.in
4. एच. सी. शर्मा, ''तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण'', जनशक्ति प्रकाशन, दिल्ली, 2007, पृ. 45
5. दैनिक भास्कर, भोपाल, 9 दिसम्बर, 2013, पृ. 4
6. Google Search-www.chief minister of m.p
7. Google Search- www.mp.gov.in.>mla
8. राज एक्सप्रेस, भोपाल, 13 जुलाई, 2016, पृ. 13
9. जय सेन व मयूरी सैनी, ''नयी राजनीति'', प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2006, पृ. 125
10. शैलेन्द्र सेंगर, ''भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ'', गुंजन प्रकाशन, दिल्ली, 2009, पृ. 75
11. डॉ. आर. एन. त्रिवेदी व डॉ. एम. पी. राय, ''भारतीय सरकार एवं राजनीति'', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2004, पृ. 353

12.Google Search-www Parliament gov in india.loksabha.nic.in

13. सी. बी. गैना, ''तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक समस्यायें'', विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1980, पृ. 65

14. भावना गुप्ता, ''पंचायती राज और कानून'', इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010, पृ. 61

15. डॉ. नीतू रानी, ''पंचायती राज व्यवस्था सिद्धान्त एवं व्यवहार'', राजपाल एण्ड सन्ज़, दिल्ली, 2010, पृ. 36

16.Google Search-www.bhopal.nic.in

17. डॉ. अशोक नायक व प्रो. हर्षित द्विवेदी, ''पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएं एवं राजनीतिक सहभागिता'', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, पृ. 154

18. नवदुनिया, भोपाल, 05 फरवरी, 2015 पृ. 19

19. देवेन्द्र उपाध्याय, ''पंचायती राज व्यवस्था'', जगदीश भारद्वाज सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 1989 पृ. 177